




किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे

ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन



**India
Justice**
Report | 2025

किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे: ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2025 में प्रकाशित

किशोर न्याय व्यवस्था के इस अध्ययन में यह मूल्यांकन किया गया है कि 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015' के तहत राज्य 'विधि विवादित बच्चों' (CCL) के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किस हद तक तैयार हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से संसद में दिए गए जवाबों और एक वर्ष तक विभिन्न राज्यों से पूछे गए RTI के उत्तरों पर आधारित है। इस अध्ययन में 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB), 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI), 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SPJU) और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) जैसे प्रमुख संस्थानों की क्षमता का विश्लेषण किया गया है। सभी संस्थानों में यह क्षमता चार प्रमुख मानकों- आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, बजट और विविधता के संदर्भ में आंकी गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) का यह अध्ययन बिखरे हुए आंकड़ों को एक स्थान पर संकलित करके नीति निर्माताओं, सक्रिय नागरिकों और हितधारकों को बहुमूल्य उपकरण प्रदान करता है, जिससे वे व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और उसके समग्र कामकाज में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठा सकते हैं।

मुख्य शोधकर्ता और लेखक

- माया दारुवाला, मुख्य संपादक, IJR
- नयनिका सिंघल, वरिष्ठ शोधकर्ता, IJR
- निदा परवीन, शोधकर्ता, IJR
- सौम्या श्रीवास्तव, शोधकर्ता, IJR
- कृष्णा शर्मा, सलाहकार
- वलरय सिंह, लीड, IJR

शोध सहायक

- डॉ. अर्शी शौकत, डेटा एनालिस्ट, IJR
- दिपुल यादव, शोधकर्ता, IJR

तकनीकी समीक्षा

अनंत कुमार अस्थान, अधिवक्ता एवं बाल न्याय तथा आपराधिक मामलों के वकील

हिंदी अनुवाद: मनीष झा

संपादन: भारत सिंह, संचार सलाहकार, IJR

अधिक जानकारी के लिए IJR की वेबसाइट देखें:

<https://indiajusticereport.org>

रिपोर्ट डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिक्स (www.howindialives.com)

कवर डिज़ाइन: मुकेश साह

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, फ़र्स्ट और अपर ग्राउंड फ़्लोर, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

© इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025

यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाबों से मिले आंकड़ों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदर्भ सुझाव: 'किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे: ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025)'



किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे

ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन



इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न राज्यों की औपचारिक न्याय व्यवस्था की क्षमता को रैंक करने वाला गणनात्मक सूचकांक है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से किया गया एक साझा प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई और दो साल में आने वाली IJR हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाती है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार और विविधता जैसे मात्रात्मक मापदंडों पर किया जाता है।

संचालन समिति

- डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, संस्थापक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- गगन सेठी, सह-संस्थापक, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
- लिया वर्गीज़, रिसर्च मैनेजर, दक्ष
- माया दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- वलय सिंह, लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इंडिया
- प्रोफेसर विजय राघवन, TISS-प्रयास
- डॉ. विपुल मुद्गल, निदेशक, कॉमन कॉज़

साझेदारों के बारे में

→ **सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (सामाजिक न्याय केंद्र/CSJ)** संगठन हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों के न्याय तक पहुंचने के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रेरे की विचारधारा से प्रेरित CSJ, भारत के आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय है, जहां उसने मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए हैं और ज़मीनी स्तर पर क़ानून का रणनीति के रूप में उपयोग करते हुए काम किया है। CSJ की मुख्य कोशिशें क़ानूनी सुधार और अनुसंधान में संस्थागत बदलाव लाना है। ये हस्तक्षेप महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर क़ानून और नीति निर्माण को ज़मीनी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के साथ व्यापक रूप से जोड़ते हैं।

→ **कॉमन कॉज़** सार्वजनिक मुद्दों की वकालत, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संस्थाओं की अखंडता के लिए अभियानरत है। यह लोकतांत्रिक तरीकों और प्रचार के ज़रिए लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीतियों में सुधारों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कॉमन कॉज़ खासतौर पर उन बदलावों के लिए जाना जाता है जो वह जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से लाने में सफल रहा है, जैसे कि पूरे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का रद्द होना; मनमाने तरीके से आवंटित कोयला खदानों का रद्द होना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार' को मान्यता देना। कॉमन कॉज़ और CSDS-लोकनीति 2018 से पुलिस की जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग पर 'स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट्स' (SPIRs) प्रकाशित करते हैं।

→ **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI)** एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों में शोध, रणनीतिक प्रचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानवाधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति के लिए कार्य करता है। CHRI विशेष रूप से न्याय तक पहुंच (पुलिस और जेल सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्र में काम करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया

अधिकारों और दासता के समकालीन रूपों को समाप्त करने के लिए भी कार्य करता है। CHRI कॉमनवेल्थ द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है और इसे UN ECOSOC (संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल) से विशेष परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त है।

→ **DAKSH** बेंगलुरु स्थित एक थिंक-टैंक है जो मज़बूत, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक संस्थाओं की दिशा में कार्य करके कानून के शासन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

→ **TISS-प्रयास** की 1990 में स्थापना की गई। यह 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज' के 'सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी' की एक सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। 'प्रयास' का मुख्य ध्यान सेवा प्रदान करने, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और समूहों के लिए सुधार और पुनर्वास से संबंधित नीतिगत बदलाव लाने पर है। इसका मिशन सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, समुदायों और समूहों को मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली की नीति और प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी और समझ देना है, क्योंकि इन लोगों/समूहों के आपराधिक वारदातों, यौन शोषण या मानव तस्करी का शिकार होने का ज़्यादा खतरा होता है।

→ **विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो क़ानूनों को बेहतर बनाने और सार्वजनिक हित के लिए शासन सुधारने के उद्देश्य से क़ानूनी शोध करता है। यह उच्च गुणवत्तापूर्ण और मौलिक क़ानूनी शोध के ज़रिए यह कार्य करता है। साथ ही, भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर नीति-निर्माण के बारे में सूचित करने और नीतियों के प्रभावी ढंग से क़ानून बनने में सहायता करता है; महत्वपूर्ण क़ानून और नीति संबंधी मुद्दों पर न्यायालयों में अपील और रणनीतिक मुकदमेबाजी करता है। इसके स्थायी मूल्य प्रभाव, उत्कृष्टता और स्वतंत्रता हैं।

आभार

वर्ष 2025 में संशोधित 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' को लागू हुए दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह ऐसा निर्णायक पड़ाव था, जिसने भारत के बाल संरक्षण और आपराधिक न्याय परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। दिल्ली में जघन्य बलात्कार और हत्याकांड के बाद पारित यह संशोधित अधिनियम एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। इसके ज़रिए 'किशोर न्याय बोर्ड' के प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात 16-18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराधों में वयस्कों की तरह मुकदमा का चलाने की इजाजत दी गई। अगस्त 2014 में इस विधेयक को पेश करते समय सरकार ने 'किशोर न्याय अधिनियम, (JJ एक्ट) 2000' के क्रियान्वयन और प्रक्रियागत देरी सहित कई मुद्दों का हवाला दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि बढ़ते किशोर अपराधों के चलते कठोर दंड और निवारक उपायों की ज़रूरत है।

अपने पूर्ववर्ती कानून की तरह, JJ एक्ट, 2015 में भी 'विधि विवादित बच्चों' और 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' दोनों के लिए प्रावधान हैं। यह एक्ट दो महत्वपूर्ण संस्थाओं 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) और 'बाल कल्याण समिति' (CWC) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। इसमें गोद लेने (दत्तक ग्रहण) सहित कई अन्य महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों को भी शामिल किया गया है।

दस वर्ष बाद, न्याय प्रणाली के अमूमन अदृश्य रहने वाले इस हिस्से की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। किशोर न्याय प्रणाली के नैतिक केंद्र में बच्चे हैं। इसलिए इस व्यवस्था की मानवीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए स्पष्ट पैमाना तय है। बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष सुरक्षा उपाय भी निर्धारित हैं। बावजूद इसके, बच्चों को अक्सर एक ऐसी व्यवस्था का बोझ ढोना पड़ता है जो क्षमता और संसाधनों की कमी से जूझ रही है। यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि बच्चों के साथ किया जाने वाला व्यवहार हाशिए पर नहीं रह सकता। यह न्याय व्यवस्था के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है और यह हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

वर्ष 2023 में 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के तीसरे संस्करण के प्रकाशन और हमारी संचालन समिति के प्रोत्साहन के बाद हमने अपनी इस नवीनतम रिपोर्ट पर काम शुरू किया था। यह रिपोर्ट भी

हमारे इस सतत प्रयास का विस्तार है, जिसमें हम डेटा-आधारित तरीकों से 'विधि विवादित बच्चों' के लिए किशोर न्याय प्रणाली की क्षमता और प्रदर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

हम सर्वप्रथम, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके मार्गदर्शन, सुझावों और बाल अधिकारों के संरक्षण व उन्नति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने हमें निरंतर प्रेरित किया है, जो उनके न्यायिक करियर और उसके बाद भी लगातार देखने को मिलती है।

हम अपने उन सम्मानित सहकर्मियों का भी धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रारंभिक और गहन अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक अनुभवों ने इस कार्य को आकार दिया: अभिजीत निर्मल, अनंत अस्थाना, भारती अली, भारती शर्मा, एनाक्षी गांगुली, निकोल रेंगल, प्रभात कुमार, स्वागता राहा (जिन्होंने रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए), तनिष्ठा दत्ता और शिरीन वकील, इन सभी ने प्रारंभिक चरण में मूल्यवान योगदान दिया।

हम कंवलमीत सिंह के भी अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने हमें जटिल डेटा-संग्रह प्राप्त करने में ही मदद नहीं की, बल्कि कई महत्वपूर्ण आंकड़ों के कुशल दृश्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा मुकुंदन ने विशेष रूप से बच्चों के लिए परिवीक्षा अधिकारियों की भूमिका और कार्यप्रणाली पर बहुत मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान किया। हम वेंकटेश नायक के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने RTI प्रक्रियाओं पर हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही, RTI दाखिल करने और डेटा एंट्री में निरंतर सहयोग के लिए अजय बाबू का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

हमारी मेहनती इंटरन टीम; अनया गर्ग, एम्बर वर्मा, अदारी जसवंत, फौमीना केपी, मिहिका जोशी, नंदिनी त्यागी, ओम रावल, प्रिशा कश्यप और उपासना व्यास ने उच्च न्यायालय और 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' की वेबसाइटों की स्कैनिंग, RTI प्रतिक्रियाओं की पुष्टि और जहां संभव हुआ JJB सदस्यों से संपर्क कर उनकी कार्यप्रणाली और कार्यभार को समझने में असाधारण योगदान दिया।

हम 'हाउ इंडिया लिक्स' के अविनाश और उनकी टीम के विशेष रूप से आभारी हैं, जिनकी विश्वसनीय सहभागिता और डेटा संकलन और उसके दृश्यांकन की मेहनती पद्धति ने एक बार फिर इस रिपोर्ट की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाया है। उनकी निरंतरता और सटीकता, 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के प्रत्येक संस्करण और हमारी अन्य उप-रिपोर्टों की आधारशिला रही है।

हम 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' टीम के वर्तमान और भूतपूर्व सहयोगियों के ऋणी हैं। नयनिका सिंघल ने इस परियोजना का नेतृत्व शुरू से संभाला। हमें कृष्णा शर्मा से RTI तैयार करने, दाखिल करने और संकलन में महत्वपूर्ण मदद मिली। अन्य सहकर्मियों में- भरोसेमंद सहयोगी सौम्या श्रीवास्तव ने बजट से जुड़े आंकड़ों और लेखन में मदद की; अर्शी शौकत ने बजट को व्यवस्थित करने में सहयोग किया; दिपुल यादव के उत्साह और कड़ी मेहनत ने हमें समयबद्ध रहने में सहायता की; निदा परवीन ने RTI प्रतिक्रियाओं को संकलित और श्रेणीबद्ध करने के कठिन कार्य को अंजाम दिया और प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किए; भारत सिंह ने पूरी रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के हिंदी अनुवाद की निगरानी की और जटिल निष्कर्षों को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम मधुसूदन श्रीनिवास और श्रीहरि पलियथ का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पत्रकारों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित कर इस रिपोर्ट के निष्कर्षों का व्यापक प्रसार संभव किया। हम हमेशा की तरह देबाशीष रे के भी आभारी हैं, जिन्होंने अपनी सटीक और सरल भाषा से रिपोर्ट को व्यापक रूप से समझने योग्य बनाया।

हम माया दारूवाला के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनकी दृष्टि, नैतिक स्पष्टता और प्रमाण आधारित सुधारों में अटूट भरोसे ने 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' को हमेशा मार्गदर्शित किया है। उनके हमेशा गहन और मानवीय मार्गदर्शन ने न केवल इस संस्करण को यह आकार दिया, बल्कि यह पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है। उनके साथ काम करना अपने-आप में एक सम्मान है और लगातार याद दिलाता है कि किसी मकसद के प्रति असीम समर्पण वास्तव में क्या मायने रखता है।

व्यक्तिगत रूप से, यह रिपोर्ट मेरे लिए बाल अधिकारों के क्षेत्र में दस वर्षों की यात्रा को भी चिह्नित करती है। यह ऐसी राह रही है जिसे दयनीय बच्चों की कहानियां और असाधारण सहयोगियों दोनों ने आकार दिया है। यहां उल्लिखित हर साथी ने समर्पण, कठोर परिश्रम और किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने तथा बाल संरक्षण के व्यापक उद्देश्य को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को समृद्ध किया है। उनके जुनून ने न केवल इस रिपोर्ट को समृद्ध किया है, बल्कि लगातार यह भरोसा दिलाया है कि यह काम कितना ज़रूरी है।

हम उस व्यापक समुदाय के प्रति भी हृदय की गहराई से आभारी हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि प्रत्येक बच्चे के साथ सम्मान, न्याय और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाए।

वलर सिंह

लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

संक्षिप्ताक्षर

संक्षिप्ताक्षर	पूरा नाम	संक्षिप्ताक्षर	पूरा नाम
ASI	असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर	NGO	गैर-सरकारी संगठन
BNS	भारतीय न्याय संहिता	NALSA	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
BNSS	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता	NCPCR	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
CCL	विधि विवादित बच्चे	OBH	पर्यवेक्षण गृह
CNCP	देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	LSC	विधिक सेवा क्लीनिक
CWC	बाल कल्याण समिति	LCPO	विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी
CWPO	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	PHQ	पुलिस मुख्यालय
CWO	बाल कल्याण अधिकारी	PLVs	पैरालीगल वॉलनटियर्स
CCI	बाल देखरेख संस्थान	POCSO	पॉक्सो/यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
Dy.SP	डीएसपी/पुलिस उपाधीक्षक	PIO	लोक सूचना अधिकारी
DCPU	ज़िला बाल संरक्षण इकाई	PoS	सुरक्षित स्थान
DLSA	ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण	RTI	सूचना का अधिकार
DCPO	ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी	SCPS	राज्य बाल संरक्षण समिति
DD	दैनिक डायरी/रोज़नामचा	SLSA	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
FIR	प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी	SBR	सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
ICPS	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	SJPU	विशेष किशोर पुलिस इकाई
JJ Act	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	SIR	सामाजिक जांच रिपोर्ट
JJ Model Rules	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016	SH	विशेष गृह
JJB	किशोर न्याय बोर्ड	SP	पुलिस अधीक्षक
JJF	किशोर न्याय कोष	WCD	महिला और बाल विकास

विषय सूची

रिपोर्ट और लेखकों के बारे में, कॉपीराइट और उद्धरण	2
शीर्षक पृष्ठ	3
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में	4
साझेदारों के बारे में	5
आभार	6
संक्षिप्ताक्षर	9
1. राष्ट्रीय निष्कर्ष	12
2. अनुशंसाएं	21
3. परिचय	24
4. संरचना और प्रक्रिया	28
5. व्यवस्था कितनी सक्षम?	34
क. पुलिस	35
SJPU की मौजूदगी	35
सामाजिक कार्यकर्ता	36
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	37
ख. किशोर न्याय बोर्ड	38
JJB की मौजूदगी	38
JJB की संरचना	39
कार्यभार	42
ग. कानूनी सहायता	44
JJB से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक	45
JJB से संबद्ध पैनल वकील	46
घ. बाल देखरेख संस्थान	48
CCI की मौजूदगी	49
स्वीकृत और नियुक्त वास्तविक कर्मचारी	52

विषय सूची

ड. परीक्षा	53
LCPO की मौजूदगी	54
कार्यभार	54
च. निरीक्षण और निगरानी	56
JJB द्वारा निरीक्षण	57
DCPO फ़िल्ड विज़िट	58
छ. किशोर न्याय बजट	59
6. 292 जिलों की कहानी	64
7. सूचनाओं तक पहुंच और आंकड़े	74
अन्य अनुभाग	
1. अनुलग्नक	80
क. पुलिस मुख्यालय को भेजे RTI प्रश्न	81
ख. राज्य बाल संरक्षण समिति को भेजे RTI प्रश्न	81
ग. महिला और बाल विकास विभाग को भेजे RTI प्रश्न	82
घ. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे RTI प्रश्न	83
ड. 292 जिलों की कहानी	84
2. संदर्भ	92
3. चित्रों की सूची	98

અધ્યાય 1

રાષ્ટ્રીય નિષ્કર્ષ

क्रानूनी प्रावधान बनाम कार्यान्वयन

भारत की किशोर न्याय प्रणाली अपनी कार्यवाही, सार्वजनिक समयबद्ध आंकड़ों और दस्तावेजों के ज़रिए यह साबित करने में असफल रही है कि यह हकीकत में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" में पूरी क्षमतानुसार कार्य कर रही है। 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट/JJ एक्ट) को लागू हुए लगभग एक दशक हो चुका है। इस क़ानून के अंतिम आधिकारिक राष्ट्रीय ऑडिट को पांच साल और डिजिटल निगरानी के भी तीन साल पूरे हो गए हैं। लेकिन आज भी स्थिति चिंताजनक है। क़ानून में स्पष्ट और अनिवार्य रूप से कहा गया है कि किशोर न्याय प्रणाली के आंकड़े एकत्र कर निगरानी करने वाले उच्चाधिकारियों को भेजे जाएंगे। इसके बावजूद, संस्थानों की कमी, खाली पद और अव्यस्थित आंकड़े बताते हैं कि ज़िम्मेदारी का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। यह समस्या नई नहीं है। इसे बार-बार विधायिका, ऑडिट रिपोर्टों और अदालतों द्वारा उठाया गया है। नीतियों में सुधार आने और निगरानी के व्यापक इंतज़ाम होने के बावजूद सिस्टम में खामियां बनी हुई हैं।

भारत की किशोर न्याय प्रणाली विकेंद्रीकृत मॉडल पर आधारित है और विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। इसमें ज़िला स्तर पर बाल-केंद्रित सुलभ सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस स्तर पर निगरानी करने के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर के संस्थान हैं। ये संस्थान समन्वय और जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं। इस व्यापक संरचना के बावजूद, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और आंकड़े साझा न करने से पूरी प्रणाली के काम करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

क़ानून में परस्पर सहयोग आधारित एक मज़बूत बाल-केंद्रित प्रणाली की बात कही गई है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि इस व्यवस्था में आंकड़ों के साथ-साथ संसाधनों की भी भारी कमी है।

यह अध्ययन मुख्य तौर पर 'सूचना के अधिकार' (RTI) के आवेदनों के जवाब में मिली जानकारी पर आधारित है। जिन नोडल एजेंसी पर निगरानी करने और अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी जमा करने की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने हमारे RTI आवेदनों को ज़िलों के पास भेज दिया। इससे पता चलता है कि उनके पास जानकारी तैयार रूप में मौजूद नहीं थी। यही नहीं, ये संस्थान लगातार निगरानी करने के बजाए बीच-बीच में अनियमित और प्रतीकात्मक रूप से निगरानी करते हैं। ज़िलों ने या तो लगभग हर बार अधूरी जानकारी भेजी या जवाब नहीं दिया या फिर हमारे आवेदनों को सीधे खारिज कर दिया।

यह कहना उचित होगा कि जिन एजेंसियों ने पूरी जानकारी उपलब्ध कराई, वे प्रशासनिक रूप से सुव्यवस्थित हैं। वहीं, अधूरी या बिल्कुल जानकारी न देने वाली एजेंसियों के पास ऐसी क्षमता नहीं है। हर ज़िले के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूझान यही बताते हैं।

अगर जानकारी नियमित रूप से जमा न की जाए और पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार लोगों तक न पहुंचे तो कार्यान्वयन का सत्यापन, अच्छे प्रदर्शन का प्रसार और जोखिम का प्रबंधन नहीं हो पाता। ऐसे में प्रदर्शन का स्तर गिर जाता है।

अधूरी जानकारियों से उभरने वाली तस्वीर भी गंभीर स्थिति बयां करती है। हर चार में से एक 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) में पूर्ण पीठ नहीं थी। केसों की सुनवाई अक्सर 'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट' की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकतर अधिकारियों के लिए ये केस अतिरिक्त कार्यभार की तरह होते हैं। इस कारण वे हर हफ्ते या पखवाड़े में केवल कुछ ही दिन या इन दिनों में भी कुछ घंटों के लिए ही इन केसों की सुनवाई करते हैं। 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' (LCPO) की संख्या पूरी नहीं है। ऐसे में जितने LCPO हैं, उन पर अत्यधिक कार्यभार रहता है और लंबित मामले बढ़ते जाते हैं। इस स्थिति में सुधार के कोई चिह्न नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे JJB की संख्या काफ़ी कम है जिनसे 'क्रानूनी सेवा क्लिनिक' संबद्ध हो। ये क्लिनिक ही 'विधि विवादित बच्चों' (क्रानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों) को क्रानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। बच्चों के केसों के लिए अलग विशेषज्ञ पैनल बनाने के निर्देशों के बावजूद, ज़्यादातर DLSA ने ये पैनल नहीं बनाया। क्रानूनी रूप से तय संख्या से बहुत कम निरीक्षण किए गए। साथ ही, ज़्यादातर 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI) में डॉक्टर और काउंसलर मौजूद नहीं थे और न ही वहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए बोर्ड की कितनी बैठक हुई या 'विधि विवादित बच्चों' के फ़ैसलों में कितना समय लग रहा है, इसके मूल्यांकन की ज़रूरत नहीं है। लंबित मामलों की संख्या ही हालात बयां कर देती है। क़ानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'विधि विवादित बच्चे' के केस में बिना देरी से निपटारा होना चाहिए। इस दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे की गरिमा और उसकी अहमियत को बढ़ावा मिले। हालांकि, यह मक़सद काफ़ी हद तक अधूरा रह जाता है। आम विचाराधीन कैदियों की तरह ही इन बच्चों को भी इस व्यवस्था के परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। 292 ज़िलों के संस्थानों और 'गृहों' द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के मूल्यांकन से दिखता है कि इन संस्थानों की क्षमता और रिपोर्ट तैयार करने के तरीकों में व्यापक अंतर है।

1 धारा 2(9), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf

संस्थागत निष्क्रियता और सूचना के अभाव को सहज स्वीकार कर लेने को केवल प्रशासनिक चूक कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। निगरानी करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरणों को इस पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल सुधार के लिए क़दम उठाने चाहिए।

दस्तावेज़ों का अनियमित संकलन बताता है कि नियमों का पालन नहीं

हो रहा। इससे यह भी पता नहीं चलता कि व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं। उपलब्ध दस्तावेज़ बताते हैं कि बच्चों के लिए अलग से बनाई गई व्यवस्था भी समूची न्याय व्यवस्था जैसी कमियों से ही ग्रस्त दिखती है। किशोरों न्याय प्रणाली को जहां पूरी न्याय व्यवस्था के समक्ष उच्च मानक स्थापित करना था, अब इसमें भी उसी तरह की देशी, रिक्तियां और अपारदर्शिता दिखाई देती हैं।



40,036
किशोर निरुद्ध किए गए

स्रोत: क्राइम इन इंडिया 2023



31,365
केस IPC और विशेष और
स्थानीय क़ानूनों के तहत दर्ज



4 में से 3
किशोर 16-18 वर्ष आयु
वर्ग के थे

292 ज़िलों की कहानी

एक ज़िले में ज़मीनी स्तर पर क्षमता का आकलन करने के लिए 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' (IJR) ने 292 ज़िलों के सात प्रमुख मानकों का मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन ने हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई। इसमें यह देखा गया कि क्या उस ज़िले में- 'बाल देखरेख संस्थान' की उपलब्धता है, पूर्ण सदस्यों वाला 'किशोर न्याय बोर्ड' है, प्रत्येक पुलिस थाने में कम-से-कम एक 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) और दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें एक महिला हो) से मिलकर बनी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) है; 'किशोर न्याय बोर्ड' से संबद्ध 'विधिक सेवा क्लिनिक' है, 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' है, क्या गृहों में पर्याप्त कर्मचारी हैं², क्या उनमें क्षमता से ज़्यादा बच्चे रखे गए हैं और 'किशोर न्याय बोर्ड' के समक्ष अधिक केस लंबित हैं या कम। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का दावा करने वाली व्यवस्था के लिए न्यूनतम ज़रूरतें हैं। वर्ष 2022-23 में इन 292 ज़िलों में कुल 77,713 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 42% का निपटारा हुआ और अक्टूबर 2023 के अंत तक 44,881 मामले लंबित थे। इन 292 ज़िलों ने कुल 110 'पर्यवेक्षण गृह', 94 प्रभारी

अधिकारी, 19 डॉक्टर और 70 परामर्शदाताओं की जानकारी दी। 292 ज़िलों में से केवल 11 ज़िलों ने उपरोक्त सभी 7 शर्तों को पूरा किया। इनमें से मिज़ोरम के 8 और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं असम का एक-एक ज़िला शामिल था। हालांकि, इन ज़िलों से सभी सूचनाएं नहीं मिलीं और इनमें कुछ पद खाली भी थे। मिज़ोरम के मामित और सियाहा के बोर्ड में एक-एक सामाजिक कार्यकर्ता का पद खाली था, SJPU के सामाजिक कार्यकर्ताओं की लैंगिक आधार पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, कछार (असम) के 'पर्यवेक्षण गृह' में कोई परामर्शदाता नहीं था और केवल जोरहाट (असम) और गंगटोक (सिक्किम) के संस्थानों में डॉक्टर थे। इन 11 ज़िलों में से मिज़ोरम के 8 JJB ने अपने आधे से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनके लंबित मामलों की संख्या 100 से कम रही और CCI में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं रखा गया। हालांकि असम को छोड़कर, ये सब छोटे ज़िले थे और इनके पास कम मामलों का बोझ था। लेकिन, इन ज़िलों के प्रदर्शन से यह साफ़ है कि जहां पर्याप्त ढांचा और कर्मचारी मौजूद हैं, वहां किशोर न्याय व्यवस्था बाल-केन्द्रित उद्देश्यों को हासिल कर पाती है। जहां ऐसा नहीं होता, वहां देखभाल का वादा अधूरा रहता है और बच्चों के लंबे समय तक हिरासत में रहने का खतरा बढ़ जाता है।

1 किशोर न्याय बोर्ड: असंगत स्थिति

प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक पूर्ण गठित 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB)³ होना चाहिए, जिसमें एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। वर्ष 2023-2024 तक देश के 765 ज़िलों में कुल 707 JJB⁴ कार्यरत थे। 18 राज्यों और जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक ज़िले में एक-एक JJB मौजूद था।⁵ दिल्ली के 11 ज़िलों में, संयुक्त रूप से, 7 बोर्ड गठित किए गए हैं। ओडिशा (30 ज़िलों में 34 JJB) और कर्नाटक (31 ज़िलों में 34 JJB) जैसे कुछ राज्यों में बोर्डों की संख्या ज़िलों से अधिक पाई गई।

707

JJB हैं कुल 765
ज़िलों में।



19

18 राज्य और
1 कें.शा.प्र. (J&K) के हर
ज़िले में 1 JJB है।

2 देखें, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>

3 धारा 4(1), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

4 2024 में संबंधित RTI जवाबों और अन्य स्रोतों पर आधारित।

5 गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

2 बोर्ड्स की क्षमता: असमान



24%

470 में से 111 JJB ने बताया कि उनके यहां पूर्ण पीठ नहीं है।

‘किशोर न्याय बोर्ड’ विशेष न्यायिक मंच है, जिसका दायित्व ‘विधि विवादित बच्चों’ से संबंधित मामलों की सुनवाई और निपटारा करना होता है। IJR को 701 में से जिन 470 JJB ने जानकारी उपलब्ध कराई, उनमें से सिर्फ 24% (111/470) जिलों में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ताओं वाली पूर्ण पीठ कार्यरत थी। ओडिशा, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर (2019 से केंद्र शासित प्रदेश) जैसे राज्य ही पीठों का समुचित गठन कर पाए। हालांकि, बिहार में JJB की सभी पीठों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, लेकिन 10 या 27% में ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके परिणामस्वरूप सुनवाई की प्रक्रिया धीमी होती है, बच्चों के लिए कम संवेदनशील फैसले आते हैं और केस लंबे चलते हैं। बच्चों को ‘बाल देखरेख संस्थानों’ में अक्सर ज्यादा समय तक रहना पड़ता है।



73%

बिहार के JJB में पूर्ण पीठ नहीं है।

3 कार्यभार: बढ़ रहा

IJR ने पहली बार देशभर में JJB के कार्यभार का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच 16 राज्यों के 362 JJB ने भाग लिया।

- कार्यभार और रुझान: 362 ‘किशोर न्याय बोर्ड’ (JJB) पर कुल 1,00,904 मामलों का कार्यभार था। इनमें से 50,627 केस पिछले वर्षों से लंबित थे और साल 50,277 मामले 2022-23 में नए दर्ज हुए। इनमें से कुल 45,097 मामलों (कुल कार्यभार के 45%) का निपटारा हुआ और 55,816 मामले लंबित रहे। लंबित केसों की संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले 5,189 केसों की बढ़ोतरी हुई। संक्षेप में, दो में से लगभग एक मामला लंबित रह गया।
- व्यापक अंतर: विभिन्न राज्यों के मामले निपटाने की दर में बहुत ज्यादा अंतर सामने आया। मिजोरम ने जहां 79% केसों का निपटारा किया, तो ओडिशा सिर्फ 17% केस ही निपटा सका। गोवा (72%), सिक्किम (68%), कर्नाटक (65%), नगालैंड (56%), तेलंगाना (54%) और मध्य प्रदेश (51%) ने 50% से अधिक केसों का निपटारा किया, जबकि त्रिपुरा (38%), अरुणाचल प्रदेश (31%), मेघालय (27%) और जम्मू और कश्मीर (26%) में यह दर 40% से कम रही।
- ज्यादा केस दर्ज होने और संसाधनों की कमी से केसों के निपटारे की गति कम होती है। इससे कार्यभार में बढ़ोतरी हो सकती है। किशोर न्याय व्यवस्था के संसाधनों को वृद्ध न्यायिक तंत्र के साथ साझा करने से इस व्यवस्था में इनकी कमी रहती है। यह स्थिति बताती है कि केसों के निपटारे और कार्यभार को बढ़ने से रोकने के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों का निरंतर मूल्यांकन कर उनको मजबूत करने की जरूरत है।



100,094

केस (पिछले लंबित + 2022-23 में 362 JJB में दर्ज)।



45%

केस 2022-23 में निपटाए गए कुल कार्यभार के।



17-79%

(ओडिशा-मिजोरम में) न्यूनतम और सर्वाधिक केस निपटान दर रही।

4 निगरानी: अनियमित और प्रतीकात्मक

आंकड़ों से अनियमित निरीक्षण और अपूर्ण निगरानी का रूढ़ान सामने आता है। इससे चुनौतियों की समय पर पहचान और उन्हें दूर करने के आवश्यक कदम सीमित हो जाते हैं। निगरानी की ज़िम्मेदारी कई अधिकारियों को सौंपी गई है। JJR ने यह आकलन किया कि क्या 'किशोर न्याय बोर्ड'⁶ ने 'विधि विवादित बच्चों' के लिए बने गृहों का अनिवार्य मासिक निरीक्षण किया और 'ज़िला बाल संरक्षण अधिकारियों' (DCPO) ने कितनी क्षेत्रीय यात्राएं कीं।⁷ 14 राज्यों और जम्मू और कश्मीर में, प्रति माह एक दौरे के हिसाब से JJR के 1,992 निरीक्षण होने चाहिए थे, लेकिन केवल 810 निरीक्षण की जानकारी मिली। DCPO के फ़िल्ड विज़िट भी यही कहानी बयां करते हैं। 246 ज़िलों में स्थित 105 गृहों के 905 दौरे किए गए, जिनमें से केवल 26 CCI का मासिक दौरा किया गया। पर्याप्त निरीक्षण के बिना अनुपालन की कल्पना नहीं की जा सकती और फिर बच्चों की सुरक्षा व अधिकार भी सुनिश्चित नहीं किए जा सकते।



810/1,992

14 राज्यों और 1 कें.शा.प्र. में प्रति माह एक दौरा किया गया। 1992 के बजाए केवल 810 निरीक्षण हुए।



905

दौरे 105 गृहों में DCPO ने 246 ज़िलों में किए, केवल 26 CCI में मासिक दौरे हुए।

5 क़ानूनी सहायता: पहुंच से बाहर

बच्चों को विशेषज्ञ क़ानूनी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक 'किशोर न्याय बोर्ड' के साथ एक 'विधिक सेवा क्लिनिक' संबद्ध हो। साथ ही, 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' के पास ऐसे विशेषज्ञ वकीलों का पैनल हो, जिनका विशेष कार्य बच्चों का प्रतिनिधित्व करना हो। जानकारी उपलब्ध कराने वाले बोर्ड्स में से मात्र 70% (305/433) के यहां DLSA क्लिनिक संबद्ध हैं। मणिपुर और नगालैंड में ऐसे क्लिनिक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। केवल आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक और दिल्ली ने बताया कि उनके सभी JJR के रोज़र में बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त किए जाते हैं। अधिकांश राज्य किशोरों के लिए वकीलों का एक समर्पित और प्रशिक्षित पैनल बनाने के बजाए ज़िला स्तर पर पहले से पैनलबद्ध क़ानूनी सहायता के वकीलों पर निर्भर रहते हैं। ये वकील आमतौर पर हर तीन साल में बदलते रहते हैं। अधिकांश जगहों पर बच्चों के लिए वकीलों का विशिष्ट पैनल मौजूद न होने से NALSA द्वारा परिकल्पित विशेषज्ञता अभी भी अमली जामा नहीं पहन सकी है।



70%

437 JJR में से 305 ने बताया कि उनके यहां संबद्ध DLSA क्लिनिक है।

6 धारा 8(3)(j), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

7 'मिशन वात्सल्या नियमावली 2022', अध्याय 2, कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा। DCPU में कर्तव्यों के धारकों की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां। पृष्ठ संख्या 14. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf>

6 आवासीय सुविधाएं: विस्तृत आंकड़े नहीं

आवासीय सुविधाओं के प्रबंधन और संचालन के कम आंकड़े उपलब्ध हैं। उदाहरणस्वरूप, न तो लोक सभा प्रश्नों और न ही RTI के जवाबों से 'विधि विवादित लड़कियों' के लिए संस्थानों की संख्या या उनकी क्षमता की पूरी जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर, 319 'पर्यवेक्षण गृह', 41 'विशेष गृह' और 40 'सुरक्षित स्थान' (Place of Safety) हैं।⁸ चौदह राज्यों में कोई 'सुरक्षित स्थान' नहीं है।⁹ कई बड़े राज्यों में संपूर्ण ढांचा नहीं है और कई राज्यों में आवासीय सुविधाओं का मिलाजुला उपयोग होता है। 292 जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केवल 40 गृह लड़कियों के लिए उपलब्ध हैं। असामान्य रूप से, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखने वाली आवासीय सुविधाएं हैं।¹⁰

जिले में संपूर्ण आवासीय सुविधाओं के अभाव से पहले ही अपने परिवारों से अलग हो चुके बच्चों को अन्य दूर के संस्थानों में रखा जाता है। इससे बच्चों को उनके क्षेत्र के JJB, परिजनों और प्रतिनिधियों से मिलने में समस्या आती है। बच्चों के अलग-अलग उम्र और विभिन्न अपराध की श्रेणियों वाले किशोरों से असुरक्षित तरीके से घुलने-मिलने की संभावना बढ़ती है, जबकि बच्चों को इन नुकसानों से बचाने के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया था। इन संस्थानों के नियमित आंकड़े सार्वजनिक न होने से राज्यों के पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि इन गृहों में क्षमता से अधिक आबादी है या कम। आंकड़ों की कमी से यह प्रमाणित करना भी मुश्किल है कि ये संस्थान बच्चों को पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए प्रभावी रास्ता प्रदान करने में सक्षम हैं।



400

कुल गृह हैं देश में, जिनमें 319 पर्यवेक्षण, 41 विशेष गृह और 40 सुरक्षित स्थान हैं।



40

गृह लड़कियों के लिए उन 292 जिलों में हैं, जिन्होंने आंकड़े उपलब्ध कराए।



9,907

319 पर्यवेक्षण गृहों में 8,241, 14 पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृहों में 496, 41 विशेष गृहों में 389 और 40 सुरक्षित स्थानों में 781 बच्चे हैं।



14

राज्यों में सुरक्षित स्थान नहीं बनाए गए हैं।

JJ एक्ट के अनुसार, राज्यों के लिए खुद या स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI) स्थापित करना अनिवार्य है। ये संस्थान बच्चे के इलाके से नजदीक होने चाहिए। ये संस्थान आयु, लिंग तथा अपराध की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होने चाहिए। इन संस्थानों का उद्देश्य बच्चों को नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। साथ ही, उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, परामर्श और देखभाल की सुविधा प्रदान करना भी आवश्यक है। 'पर्यवेक्षण गृह' में जांच पूरी होने तक बच्चे को अस्थायी रूप से रखा जाता है। अपराध का दोषी पाए जाने पर दीर्घकालिक पुनर्वास और सुरक्षा के लिए बच्चों को 'विशेष गृह' में रखा जाता है। जघन्य अपराध के आरोपी या दोषी पाए गए 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 'सुरक्षित स्थान' में रखा जाता है। इन संस्थानों में ऐसे बच्चे भी रखे जा सकते हैं जिन पर नाबालिग उम्र में अपराध का आरोप लगा हो, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वे वयस्क हो चुके हों।

8 लोक सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 4264, दिनांक 20 दिसंबर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध:




https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqals

9 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

10 नियम 29, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली 2016 अनुसार लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग आवासीय सुविधा होनी चाहिए।

7 कर्मचारियों की संख्या: अपर्याप्त

जानकारी उपलब्ध कराने वाले 15 राज्यों के 128 CCI में से केवल 82 या लगभग 60% में ही प्रभारी अधिकारी तैनात होने की जानकारी मिली। केवल 28 संस्थानों में ही चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध थे, जबकि लगभग 80% संस्थानों में कोई चिकित्सा कर्मी नहीं था। 45% (71 संस्थानों) में परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और पुनर्वास सेवाओं को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए योग्य और पर्याप्त कर्मियों की तैनाती ज़रूरी है।



8 परिवीक्षा: कार्यभार से दबी

किशोर न्याय प्रणाली में शामिल प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वह 'विधि विवादित बच्चा' हो या 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा', प्रारंभ से अंत तक पूरी प्रक्रिया के दौरान 'परिवीक्षा अधिकारी' के साथ रहता है। 'किशोर न्याय अधिनियम 2015' के तहत, परिवीक्षा अधिकारी ही JJB और CWC (बाल कल्याण समितियों) की मदद करते हैं। परिवीक्षा असल में 'विधि विवादित बच्चों' को 'बाल सुधार गृह' भेजने का महत्वपूर्ण विकल्प होता है। यह सामुदायिक देख-रेख और बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार पुनर्वास योजनाओं पर केंद्रित होती है।

'मिशन वात्सल्य 2022 के दिशा-निर्देशों' के अनुसार प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक और अधिकतम तीन 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' होने आवश्यक हैं। इनकी संख्या का निर्धारण ज़िले में ब्लॉक की संख्या, उनके भौगोलिक विस्तार और मामलों के बोझ से तय किया जाता है। 'पर्यवेक्षण अधिनियम, 1958' के तहत नियुक्त 'परिवीक्षा अधिकारी' भी उस क्षेत्र में बच्चों के लिए 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

जानकारी उपलब्ध कराने वाले 10 राज्यों में 145 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारियों' पर कुल 25,403 केसों यानी प्रति अधिकारी औसतन 175 मामलों का कार्यभार था। दिल्ली में यह औसत 800 और ओडिशा में 380 केसों का था। बच्चे के इतिहास, परिस्थितियों और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने वाले अधिकारियों पर इतने ज़्यादा बोझ से लापरवाही होने और बच्चों के सुधार गृह में बने रहने का जोखिम पैदा होता है। इस स्थिति में बच्चों की देखरेख के बजाय उनकी अभिरक्षा वाली व्यवस्था तैयार होने का खतरा रहता है।




175
औसत केस प्रति LCPO थे जवाब देने वाले वाले 10 राज्यों में।

9 पुलिस: सकारात्मक संकेत

प्रत्येक ज़िले में एक 'विशेष किशोर पुलिस इकाई' (SJPU) का गठन अनिवार्य है। इसके प्रमुख पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए और इसमें संबंधित क्षेत्र के सभी थानों से नामित 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जिनमें महिला का होना आवश्यक है। कुल 23 राज्यों ने इस विषय पर पूर्ण या आंशिक जानकारी दी। इनमें से 12 राज्यों¹¹ और दिल्ली ने बताया कि उनके हर ज़िले में SJPU गठित है,¹² जबकि 6 राज्यों¹³ में 90% से अधिक ज़िलों में ऐसी इकाइयां स्थापित हैं। बाकी राज्यों में यह कवरेज अपेक्षाकृत कम है। हिमाचल प्रदेश (14 में से 12 ज़िले), जम्मू और कश्मीर (20 में से 16 ज़िले) और सिक्किम (6 में से 4 ज़िले) से मिले आंशिक जवाबों से संकेत मिलता है कि ये इकाइयां बनी तो हैं, लेकिन 'विधि विवादित बच्चों' से संवेदनशीलता के साथ निपटने के लिए राज्य की पुलिस व्यवस्था की पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाती।

'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) को विशेष तौर पर पीड़ित या आरोपी दोनों तरह के बच्चों से संबंधित मामलों को देखने के लिए नामित किया जाता है। 16 राज्यों¹⁴ और दिल्ली ने 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों' के थानेवार आंकड़े उपलब्ध कराए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ने लगभग सभी थानों में CWPO की नियुक्ति दर्शाई, जो लगभग संपूर्ण कवरेज दिखाती है। दिलचस्प रूप से 9 राज्यों¹⁵ में CWPO की संख्या पुलिस थानों की संख्या से कहीं अधिक मिली। इसकी वजह पुलिस अधिकारियों को एक से अधिक जिम्मेदारियां देना, पुलिस थानों में एक से अधिक CWPO की नियुक्ति या विशेष प्रतिनियुक्तियां हो सकता है। उदाहरण के लिए, मिज़ोरम में 45 थानों के लिए 124 CWPO, दिल्ली में 225 थानों के लिए 412 अधिकारी¹⁶ और छत्तीसगढ़ में 495 थानों के लिए 674 CWPO पाए गए। छत्तीसगढ़ ने 2019 से अब तक 870 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।¹⁷



13

राज्यों और कें.शा.प्र. ने (23 से पूछा था) जवाब दिया कि उनके हर ज़िले में SJPU थी।

11 अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड।

12 दिल्ली ने RTI के जवाब में सामाजिक कार्यकर्ता की जानकारी नहीं दी। यहां महिलाओं और बच्चों के लिए एक 'संयुक्त विशेष पुलिस इकाई' है, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत कार्य करती है और 'महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई' (SPUWAC) के नाम से जानी जाती है। दिल्ली की 'किशोर न्याय इकाई' की वेबसाइट पर भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। लिंक पर उपलब्ध: <https://spuwac.in/juvenilejustice.html>

13 आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, मेघालय और पंजाब।

14 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

15 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तराखंड।

16 2023 तक के आंकड़े। इसके बाद 'किशोर न्याय इकाई' की वेबसाइट को अपडेट किया गया है, जिसमें अब 204 पुलिस थानों और 422 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों' की सूची दी गई है। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://spuwac.in/dpju2/sjpas.html>

17 'किशोर न्याय समिति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय' के आंकड़े। न्यूजलेटर खंड-2/JJC/2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf

10 किशोर न्याय कोष: अपर्याप्त वित्तपोषण

किशोर न्याय प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होती है: 'एकीकृत बाल संरक्षण योजना' (ICPS), जिसे अब 'मिशन वात्सल्य' कहा जाता है और राज्य सरकारों के बजट से। इसके अतिरिक्त, 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत प्रत्येक राज्य को एक 'किशोर न्याय कोष' स्थापित करने का अधिकार है। यह विशेष निधि किशोर न्याय प्रणाली में शामिल होने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और कल्याण के लिए बनाई जाती है। यह कोष अनेक कल्याण और पुनर्वास गतिविधियों में काम आ सकता है, जैसे- 'पर्यवेक्षण गृह', 'विशेष गृह' और 'सुरक्षित स्थान' का संचालन। साथ ही यह किशोरों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, 'पश्चातवर्ती देखरेख' और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। JJ फंड में योगदान निम्न स्रोतों से आ सकता है- राज्य सरकार का बजट, केंद्र सरकार का अनुदान, व्यक्तियों, ट्रस्टों या गैर-सरकारी संगठनों और कंपनियों से प्राप्त दान आदि। इसमें 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) के तहत दी गई राशि भी शामिल है।¹⁸

साल 2022-23 में राज्यों द्वारा 'किशोर न्याय कोष' (JJ फंड्स) के आवंटन से मिली-जुली तस्वीर उभरती है। जहां कुछ राज्यों ने अपने बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की, तो कई राज्यों का आवंटन पहले की तरह रहा और कुछ ने आवंटित धनराशि का बहुत कम उपयोग किया। धन की कमी के अलावा, कई राज्यों ने बताया कि वे प्राप्त धनराशि का पूरा या बिल्कुल उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादातर राज्यों में क्षमताओं की कमी थी या आवंटन देर से मिला। दरअसल, वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर नहीं किया जा सका है जिससे बच्चों के हित पूरे नहीं होते हैं। NALSA ने 2019 में देशभर में किशोर न्याय प्रणाली की संरचनाओं, तंत्रों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन¹⁹ किया। इसमें पाया गया कि 71% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 'किशोर न्याय कोष' स्थापित किया था। इसमें देखा गया कि पांच राज्यों- असम, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने 2019 के बाद कोष स्थापित किया।

11 सूचना: सहज उपलब्ध नहीं

सूचना आधारित निर्णय लेने में आसानी और इस पर आम लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि डेटा सिस्टम्स को बेहतर तरीके से एकीकृत किया जाए और नियमित रूप से आंकड़े स्वतः सार्वजनिक किए जाएं। इस अध्ययन के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध आंकड़े और RTI आवेदनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना भी इसका प्रमाण है फ़िलहाल किशोर न्याय व्यवस्था द्वारा अनिवार्य डेटा संग्रह कर सहज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नोडल एजेंसियों को भेजे गए लगभग सारे आवेदन आगे ज़िलों को भेज दिए गए और ज़िलों ने अधूरी जानकारी ही उपलब्ध कराई।

IJR ने अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच किशोर

न्याय प्रणाली की क्षमता से संबंधित 16 प्रश्न तैयार किए। इन प्रश्नों के लिए 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 250 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। ये अनुरोध चार प्रमुख विभागों को भेजे गए: 'महिला और बाल विकास विभाग' (WCD), 'राज्य बाल संरक्षण समिति' (SCPS), पुलिस मुख्यालय, और 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (SLSA)। IJR को प्राप्त हुए 500 से अधिक उत्तरों में से 36% नोडल एजेंसियों से प्राप्त हुए; 29% ज़िलों को भेज दिए गए; 24% आवेदनों का कोई जवाब नहीं मिला और 11% को सीधे खारिज कर दिया गया। यह एक कमज़ोर सूचना संस्कृति का उदहारण है।



16

सवाल RTI के ज़रिए IJR ने व्यवस्था की क्षमता की जांच के लिए पूछे।



11%

ने सूचना देने से साफ़ इनकार किया, 36% नोडल अधिकारियों ने जवाब दिया, 29% ने सवाल ज़िलों को भेजे, 24% ने जवाब नहीं दिया। कुल 500 जवाब मिले।

18 धारा 105(2), 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015'।


19 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, किशोर न्याय प्रणाली की स्थिति - संरचनाएं, तंत्र और प्रक्रियाएं, 2019. इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408568184710.pdf>

અધ્યાય 2

અનુશંસાં

अनुशंसाएं



बीते दशकों के दौरान 'सर्वोच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति', 'उच्च न्यायालय किशोर न्याय समितियों', CAG के ऑडिट्स, संसदीय समितियों, NHRC और अदालती फैसलों में कई अनुशंसाएं की गई हैं। इन सबका एक ही निष्कर्ष यह है कि: किशोर न्याय प्रणाली संस्थागत और प्रक्रियागत कमियों, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है। इन सबके के कारण कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन नहीं हो पाता है।

किशोर न्याय प्रणाली ऐसी संरचना के रूप में कार्य करती है जिसके विभिन्न अंग आपस में जुड़े हैं। रणनीतिक हस्तक्षेपों के द्वारा इन अंतर्संबंधों को बेहतर करने से महत्वपूर्ण नतीजे मिल सकते हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि सीमित संसाधनों और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के साथ, मौजूदा वित्तीय संसाधनों के सहारे हितधारक तुरंत कैसे ज़्यादा-से-ज़्यादा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं?



1 व्यवस्था को पंगु बना रही महत्वपूर्ण कमियों को दूर करें।

नया बुनियादी ढांचा स्थापित करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि मौजूदा संस्थानों के महत्वपूर्ण पद-न्यायाधीश, अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता और कानूनी सहायता सलाहकार, पूर्ण रूप से भरे हों।





2 दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक का लाभ उठाएं।

‘डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियां’ लागू करें जो ‘विधि विवादित बच्चों’ के पहली बार किशोर न्याय व्यवस्था के संपर्क में आने से लेकर पुनर्वास तक मदद करें। पुलिस, अदालतों और ‘बाल देखरेख संस्थानों’ को जोड़ कर केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये हमेशा बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। स्वचालित प्रबंधन और अनुपालन की निगरानी द्वारा बिना कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए व्यवस्था को ज़्यादा जवाबदेह बनाएं।


3 प्रशिक्षण को क्षमता-वर्धन के रूप में प्राथमिकता दें।

छिट-पुट कार्यशालाओं के स्थान पर, योग्यता-आधारित ऐसे व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम और केंद्रीकृत कार्यशाला स्थापित की जानी चाहिए, जिससे पुलिस, JJB, परिवीक्षा अधिकारी, वकील, ‘बाल देखरेख संस्थान’ का स्टाफ और ‘विधि विवादित बच्चों’ के लिए काम कर रहे संगठन साथ आएँ और इन पहलों के प्रभाव व परिणाम को मापा जा सके। उदाहरण के तौर पर, इस दौरान किशोरों की आयु निर्धारण प्रक्रिया, ज़मानत, बाल मनोविज्ञान, किशोर न्याय के सिद्धांतों, आघात-संदेवनशील देखरेख, पुनर्वास और गैर-संस्थागत विकल्पों को ध्यान में रखा जाए।




4 समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन करें।

‘किशोर न्याय अधिनियम’ की धारा 55 और ‘किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2016’ के नियम 42 के अनुसार समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन करें। आधिकारिक मूल्यांकनों के अतिरिक्त, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक कार्य विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रबंधन संस्थानों की समितियों द्वारा नियमित और पारदर्शी ऑडिट्स की संस्थागत प्रक्रिया स्थापित करें, जिसमें नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। अनुपालन मानकों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने से समकक्ष संस्थानों और ज़िलों पर दबाव बनता है, जिससे अतिरिक्त खर्च के बिना प्रदर्शन में सुधार होता है।



5 प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन दें।

वैधानिक समय-सीमाओं में कार्य पूरा करने वाले ज़िलों, मानकों का अनुरक्षण करने वाले संस्थानों और अनुपालन सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों को प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित करें। ऐसा करने से बिना कुछ खर्च किए व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। इसके विपरीत, लगातार अनुपालन न करने पर जवाबदेही का निवारक प्रभाव बहाल होता है। 20



संक्षेप में, व्यवस्था में तेज़ी से सुधार के लिए ऐसे बदलावों को लागू करें जिन्हें तुरंत ज़मीन पर उतारा जा सकता हो। इसके लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय करें: मौजूदा रक्तियों को भरना; वर्तमान कर्मचारियों का प्रशिक्षण; मौजूदा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण; सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करना और सोशल ऑडिट के ज़रिए इसे बढ़ाना।

इस व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच फंसे बच्चों को ऐसे व्यावहारिक और प्रभावी समाधानों की ज़रूरत है जिन्हें उपलब्ध

संसाधनों और JJ एक्ट के मूल उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने वाले सक्षम पेशेवरों के ज़रिए तुरंत लागू किया जा सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर ‘विधि विवादित बच्चे’ को क़ानून के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास का अवसर मिले जो कि न्याय की मांग भी है।

खाका मौजूद है। जानकारी उपलब्ध है। अब समझदारी और जिम्मेदारी से काम लेने का समय है।

અધ્યાય ૩

પરિચય

भारत की किशोर न्याय प्रणाली अब भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है, जो साबित कर सके कि यह वास्तव में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" में कार्य कर रही है। यह व्यवस्था अपनी लिखित कानूनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और उनका अनुपालन मापने योग्य और जमीनी बदलावों को प्रमाण में तब्दील करने के लिए जूझ रही है। इस दिशा में मूल कानून, 1986 में लागू होने के लगभग चार दशक हो चुके हैं। 'किशोर न्याय अधिनियम' को लागू हुए भी एक दशक बीत गया है और अंतिम आधिकारिक ऑडिट के पांच साल बाद भी ऐसी चिंताजनक स्थिति बरकरार है।

अपनी प्रारंभिक रूपरेखा से ही किशोर न्याय प्रणाली एक ही मूलभूत सिद्धांत पर तैयार की गई है: प्रत्येक कानून, नीति, संस्थान और प्रक्रिया से बच्चे के संरक्षण, पुनर्वास और गरिमा के अधिकार को वास्तविक रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। ये सब विशेष तौर पर 'विधि विवादित बच्चों' के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। इसी स्थायी मानक के प्रकाश में, 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' (IJR) का यह अध्ययन उस संस्थागत तंत्र की मौजूदा क्षमता की जांच-पड़ताल करता है, जिसका कार्य अपराध होने पर बच्चों को पकड़ना, जांच करना, अदालती कार्यवाही करना, उनकी निगरानी, पुनर्वास और पुनः एकीकरण करना है। इस अध्ययन का मकसद यह आकलन करना है कि अनिवार्य प्रावधानों का वास्तव में पालन हो रहा है या नहीं।

विगत दशकों में, किशोर न्याय ढांचे का सैद्धांतिक और संरचनात्मक दोनों स्तर पर विकास हुआ है। कानूनी व्यवस्था के ढांचे में कल्याणकारी प्रावधान वाले अधिनियमों से लेकर व्यापक अधिकार तक शामिल हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, 'मिशन वात्सल्य' योजना आज कानूनी ढांचे, वित्तपोषण और प्रावधानों के बीच तालमेल और समन्वय करके नीति और कार्यान्वयन संबंधी असंगति के खतरों को कम कर रही है और बाल संरक्षण के नतीजों में सुधार ला रही है।

बच्चे का सर्वोत्तम हित

'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 2(9) में बच्चे के सर्वोत्तम हित को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: बच्चे के संबंध में लिए गए किसी भी फैसले का आधार उसके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक व बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करता हो।

इस सफ़र की शुरुआत 1850 के 'अप्रेंटिसशिप एक्ट' से हुई, जिसके तहत अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 10 से 18 वर्ष के बच्चों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का अनिवार्य प्रावधान किया

गया था। इसके बाद 1897 का 'रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट' आया और 'भारतीय जेल समिति' (1919-20) के साथ इस यात्रा ने गति पकड़ी, जिसने 'विधि विवादित बच्चों' के लिए निष्पक्ष अदालती कार्यवाही और उनके साथ मानवीय व्यवहार की तत्काल ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसके परिणामस्वरूप मद्रास (1920), बंगाल (1922), और बॉम्बे (1924) ने सबसे पहले 'बाल अधिनियम' लागू किया, जिसके ज़रिए सज़ा के बजाए संरक्षण की शुरुआत हुई।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 1960 में बने 'बाल अधिनियम' (चिल्ड्रन एक्ट) में इन आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया गया। वर्ष 1985 में 'संयुक्त राष्ट्र के किशोर न्याय प्रशासन के लिए मानक न्यूनतम नियम' (बीजिंग नियम) के आधार पर संसद ने 1986 में देश का पहला समर्पित 'किशोर न्याय कानून' लागू किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी 'शीला बरसे बनाम भारतीय संघ'²¹ केस में इस दिशा में प्रोत्साहन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कानूनों में मानकीकरण की कमी और इनके लागू न होने पर चिंता जाहिर करते हुए ज़ोर दिया कि "कानून के समक्ष आने वाले बच्चों के साथ व्यवहार और बच्चों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कानून आवश्यक है।"

राष्ट्रीय एकरूपता स्थापित करने के लिए, 'किशोर न्याय अधिनियम, 1986' ने सभी राज्य बाल अधिनियमों को निरस्त कर दिया। इस कानून ने "उपेक्षित बालक" और "दोषी बालक" के बीच के मूल अंतर को पुनः पुष्ट किया और इन्हें "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" (CNCP) और "विधि विवादित बच्चों" (CCL) के रूप में परिभाषित किया।

1986 के अधिनियम की हिरासत संबंधी पूर्वाग्रहों और बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं न अपना पाने के कारण आलोचनाएं हुईं और अंततः 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000' लागू किया गया। कानूनी सुधारों में यह मील का पत्थर था। इसने भारतीय कानून को 'संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन' के अनुरूप बनाया। इसने लड़के और लड़कियों- दोनों के लिए किशोरावस्था की आयु 18 वर्ष निर्धारित की। 'विधि विवादित बच्चों' की सुरक्षा को मज़बूत करने और इसमें स्वेच्छाचारिता को दूर करने के लिए 2006 और 2011 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने स्पष्ट किया कि बच्चे की आयु की गणना अपराध की तिथि पर की जाएगी। साथ ही, कुछ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण धाराओं को भी हटा दिया गया।

'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015'²² को 2012-13 के दिल्ली और मुंबई के सामूहिक बलात्कारों के बाद

21 शीला बरसे और अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य [रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या. 1451 / 1985]. आदेश इस लिंक उपलब्ध: <https://api.sci.gov.in/jonew/judis/8969.pdf>

22 इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/IJAct_2015.pdf

उपजे जनाक्रोश के मद्देनजर बदला और लागू किया गया था, जिसमें एक संदिग्ध नाबालिग था। इसने पहली बार 'किशोर न्याय बोर्डों' को इस प्रारंभिक मूल्यांकन की अनुमति दी कि क्या जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। साथ ही, इसमें पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण को पुनः समाहित किया गया। अधिकांश स्थानों पर "किशोर" शब्द को "बच्चा" शब्द से बदला गया और नई परिभाषाएं तय कीं (जैसे, अनाथ, परित्यक्त और असहाय बच्चे)। जांच के लिए समय-सीमा तय की। 'आदर्श नियमावली, 2007' के संदर्भ में दोहराया गया कि कानून के पालन में सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा किशोर न्याय के मौलिक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें एक पूरा अध्याय बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराधों और गोद लेने के विषय पर केंद्रित रहा। इसके अलावा, 'बाल देखरेख संस्थानों' के पंजीकरण और समय-सीमा से संबंधित शर्तें भी निर्धारित की गईं। 'आदर्श नियमावली, 2016'²³ ने पुनः एकीकरण और सुधार को किशोर न्याय प्रणाली के मौलिक दर्शन के रूप में रेखांकित किया।

विधायी प्रावधानों के अलावा, देश की विभिन्न अदालतों और भारत के उच्चतम न्यायालय ने लगातार किशोर न्याय की रूपरेखा को परिभाषित किया है और क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। 'सम्पूर्ण बेहुरा बनाम भारतीय संघ'²⁴ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बाध्यकारी निर्देश दिए। इनमें रिक्त पदों को भरने, बुनियादी ढांचे में सुधार, बाल मैत्रीपूर्ण अदालतें स्थापित करने, CCI पंजीकरण लागू करवाने और राज्यों द्वारा इनके अनुपालन पर जोर दिया गया। इसी प्रकार, "तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम भारतीय संघ व अन्य"²⁵ में, न्यायालय ने 'उच्च न्यायालय किशोर न्याय समितियों' को सशक्त करने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विसंस्थागतीकरण की आवश्यकता पर निर्देश दिए। न्यायालय ने विशेष रूप से 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) और उसके राज्य स्तरीय समकक्ष आयोगों को यह निर्देश दिया कि वे सामाजिक लेखा परीक्षण "पूरी निष्ठा और गंभीरता" से करें। क्योंकि यह 'बाल देखरेख संस्थानों' और 'किशोर न्याय अधिनियम' व 'आदर्श नियमावली' के तहत अन्य निकायों की पारदर्शिता और जवाबदेही की निगरानी एवं पर्यवेक्षण का सर्वोत्तम तरीका है।

हालिया समय में, सितंबर 2022 से लागू 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021' ने प्रणालीगत

कमियों को दूर किया है। इसने गोद लेने की प्रक्रिया का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया, अस्पष्ट अपराध श्रेणियों का पुनः वर्गीकरण किया और 'किशोर न्याय बोर्डों' (JJB) और 'बाल कल्याण समितियों' (CWC) पर प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाई।

बरकरार संस्थागत कमजोरियों को दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' ने 'मिशन वात्सल्य' के तहत 'मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन' (MASI) लॉन्च किया है। MASI एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य 'बाल कल्याण समितियों' (CWC), 'किशोर न्याय बोर्डों' (JJB) तथा राज्य और जिला प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों का समन्वय करना है, ताकि 'बाल देखरेख संस्थानों' की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके। हालांकि, MASI सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं है और इससे संबंधित कोई भी जानकारी इसकी प्रत्यक्ष समीक्षा के बजाय आधिकारिक बयानों पर आधारित है। 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 तक 1,800 से अधिक 'बाल देखरेख संस्थानों' के 5,300 से अधिक निरीक्षण किए गए थे।²⁶ MASI की सर्वोत्तम व्याख्या एक निगरानी ढांचे के रूप में की जा सकती है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रक्रिया अनुपालन की जानकारी रिकॉर्ड करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह निरीक्षणों की गुणवत्ता, फॉलो-अप या चिह्नित कमियों को दूर करने की जानकारी देता है या नहीं। MASI समन्वय की दिशा में एक

मिशन वात्सल्य

'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs) के अनुरूप बाल विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। यह योजना 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' और 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' के तहत कार्यान्वित की जाती है। मूल रूप से इसका नाम 'एकीकृत बाल संरक्षण योजना' (ICPS) था जो 2009-10 में लागू की गई थी। इसका नाम बदलकर 2017 में 'बाल संरक्षण सेवाएं' (CPS) योजना कर दिया गया। ICPS के पहले से मौजूद इन तीन योजनाओं का इसमें विलय किया गया: (i) 'देखरेख और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों और 'विधि विवादित बच्चों' के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम'; (ii) 'बेघर बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम' और (iii) 'बच्चों के आवास (शिशु गृह) के लिए सहायता योजना'। साल 2021-22 से, इस CPS योजना को 'मिशन वात्सल्य' में एकीकृत कर दिया गया है।

23 इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>

24 रिट याचिका (सिविल) संख्या 473/2005

25 रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 102/2007 दिनांक 5 मई 2017 के आदेशानुसार। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://api.sci.gov.in/jonew/ropor/rop/all/932242.pdf>

26 राज्य सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 1270, दिनांक 13 दिसंबर, 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/annex/262/AU1270.pdf?source=pqars>

26 राज्य सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 1270, दिनांक 13 दिसंबर, 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/annex/262/AU1270.pdf?source=pqars>

कोशिश जरूर है, लेकिन सार्वजनिक जवाबदेही के दृष्टिकोण से इसकी सीमाएं हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों या संसाधन आवंटन की निगरानी के लिए कोई सार्वजनिक समय-सीमा उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में, कानून और न्यायिक समीक्षा ने मिलकर एक जटिल संस्थागत ढांचे का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य 'किशोर न्याय बोर्ड', 'बाल कल्याण समितियों', 'पर्यवेक्षण गृहों', 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SJPU), 'परिवीक्षा अधिकारियों', 'ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों' (DCPU) और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिकारों और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। लिखित तौर पर इसकी संरचना प्रभावशाली और व्यापक है। यह पुनर्वास आधारित बाल-मैत्रीपूर्ण और समुदाय से जुड़ा पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराता है, जहां 'विधि विवादित बच्चों' को केवल संस्थानों में नहीं रखा जाता बल्कि सम्मान और देखरेख के साथ फिर से समाज का हिस्सा बनने में उनकी मदद भी की जाती है।

लेकिन कानून, चाहे कितने भी बेहतरीन लिखे गए हों, उनकी सफलता लागू करने वाली व्यवस्था पर निर्भर करती है। हालांकि नियामक कानून, 'किशोर न्याय अधिनियम', एक केंद्रीय कानून है, लेकिन इसका व्यावहारिक कार्यान्वयन पूरी तरह से राज्यों पर निर्भर है। इसके लिए हर राज्य का 'किशोर न्याय बोर्ड', 'बाल कल्याण समितियां' और विभिन्न देखरेख संस्थान स्थापित करना अनिवार्य है। 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' और 'केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' केंद्रीय स्तर पर इसकी निगरानी और मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि, 'विधि विवादित बच्चों' की वास्तविक स्थिति राज्यों द्वारा इस कानून के अमल और बच्चों को दी जा रही व्यवहारिक सहायता और संरक्षण पर निर्भर करती है।

'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' द्वारा 2018-20 में 'बाल देखरेख संस्थानों' के ऑडिट²⁷ ने इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली की हकीकत को साफ़ तौर पर उजागर किया, जैसे: कई CCI अपंजीकृत थे, 60% से अधिक संस्थानों में चिकित्सा कर्मचारियों का अभाव था और आधे से अधिक में प्रशिक्षित परामर्शदाता या उत्पीड़न रोकने के सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं थे। निगरानी करने वाले प्रशासनिक तंत्र निष्क्रिय हो गए थे। इस मूल्यांकन ने फिर उजागर किया कि कई दशकों के बावजूद, क्षमता और प्रक्रिया संबंधी प्रणालीगत विफलताएं बरकरार हैं और 'विधि विवादित बच्चों' के लिए राज्य प्रायोजित विशेष सहायता उपलब्ध कराने का आदर्श हकीकत से दूर है।

यह अध्ययन क्या कहता है?

IJR का यह अध्ययन 1 नवंबर, 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों के आधार पर किशोर न्याय संरचना की क्षमता का आकलन करता है। इसमें यह मूल्यांकन किया गया है कि यह संरचना 'विधि विवादित बच्चों' से संबंधित अपनी परिकल्पित भूमिकाओं को पूरा करने में कितनी सक्षम साबित हुई है।

यह अध्ययन प्रमुख संस्थानों- 'किशोर न्याय बोर्ड', 'बाल देखरेख संस्थान', 'विशेष पुलिस किशोर इकाइयों' और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, बजट और विविधता का विश्लेषण करता है। साथ ही आकलन करता है कि ये संस्थान अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने सक्षम और तैयार हैं।

यह अध्ययन आधिकारिक वेबसाइट्स पर मौजूद सार्वजनिक आंकड़ों, संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों और सभी राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक साल के दौरान भेजे गए RTI आवेदनों के ज़रिए प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

इन आवेदनों में ये दो प्रश्न पूछे गए थे:

- क) 'विधि विवादित बच्चों' के संरक्षण और कल्याण का दायित्व जिन निकायों पर है, वे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बजट, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों से वास्तव में कितने लैस हैं;
- ख) क्या इस व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकृत शीर्ष निकायों- 'महिला और बाल विकास विभाग', 'राज्य बाल संरक्षण समिति', पुलिस मुख्यालय और 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' के पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं?

इस अध्ययन से आकांक्षा और कार्यान्वयन के बीच स्पष्ट अंतर सामने आता है। कानूनी प्रावधान स्पष्ट होने के बावजूद, कानूनी ढांचे लक्ष्यों से बहुत दूर हैं। अध्ययन के निष्कर्ष इन संरचनात्मक कमियों के लगातार होने की पुष्टि करते हैं: प्रमुख पद रिक्त रहते हैं, भौतिक सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं और संस्थागत निरीक्षण कई मामलों में बहुत ही सतही होता है।

27 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग', बाल देखरेख संस्थानों का सोशल ऑडिट। इस लिंक पर उपलब्ध:

https://ncpcr.gov.in/uploads/167145198563a05551c7b75_national-report--social-audit-of-ccis.pdf

अध्याय 4

संरचना और प्रक्रिया

‘किशोर न्याय अधिनियम’ का मक़सद यह सुनिश्चित करना है कि ‘विधि विवादित बच्चों’ के लिए सभी ज़रूरी बुनियादी संरचनाएं और सुविधाएं ज़िला स्तर पर उपलब्ध हों। स्थानीय स्तर से राज्य स्तर तक यह सुनिश्चित करने का ज़िम्मा निगरानी और निरीक्षण करने वाले विभिन्न स्तर के अधिकारियों का है।

शीर्ष स्तर पर ज़िलाधिकारी (DM) के अधीन ‘ज़िला बाल संरक्षण इकाई’ (DCPU) ‘मिशन वात्सल्य’ का कार्यान्वयन और संबंधित ज़िले में उपलब्ध सभी बाल सेवा प्रदाताओं और सुविधाओं का दस्तावेजीकरण करती है।

बच्चों से जुड़े पुलिस से संबंधित मामलों का समन्वय प्रारंभिक स्तर पर ज़िला पुलिस स्तर की प्राथमिक फ़ंटलाइन एजेंसी-‘विशेष किशोर पुलिस इकाई’ (SJPU) करती है। यह यूनिट पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के मातहत कार्य करती है जिसमें क्षेत्र के सभी पुलिस थानों में नामित ‘बाल कल्याण पुलिस अधिकारी’ (CWPO) और दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक महिला कार्यकर्ता का होना अनिवार्य है। CWPO कम-से-कम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए और “बच्चों के साथ संवेदनशीलता से काम करने की योग्यता” के आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए।²⁸

जब भी कोई बच्चा निरुद्ध किया जाता है, तो अधिकारी को तुरंत उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में नामित CWPO को सौंप देना चाहिए। यह CWPO का दायित्व है कि वह पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता करे और देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करते हुए क़ानूनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। बच्चे के माता-पिता या अभिभावक, परिवीक्षा अधिकारी (प्रोबेशन ऑफ़िसर) और ‘ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण’ को तुरंत सूचित करना भी CWPO की ही ज़िम्मेदारी होती है। छोटे मामलों में CWPO ही जांच अधिकारी हो सकता है, लेकिन जघन्य केसों में ‘बाल कल्याण पुलिस अधिकारी’ अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है और जांच का ज़िम्मा किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा।

जघन्य अपराधों या ऐसे फिर केसों में जहां सह-आरोपी वयस्क है और चाहे अपराध किसी भी प्रकार का हो, इन दोनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के मामलों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं

की जानी चाहिए। इसका मक़सद बच्चों का पुनर्वास, संरक्षण और समाज में कलंकमुक्त भागीदारी सुनिश्चित करना है। FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी) के बजाय, घटना को सामान्य दैनिक डायरी (रोज़नामचा) में दर्ज किया जाता है। इसके साथ-साथ बच्चे को JJB के सामने पेश करने से पहले अपराध की परिस्थितियों और बच्चे के विवरण के साथ एक ‘सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट’²⁹ (SBR) तैयार की जानी चाहिए। सभी मामलों में बच्चे को JJB या उसके किसी सदस्य के समक्ष यथाशीघ्र और निश्चित रूप से 24 घंटों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8(3)(g) में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों निकाय- JJB और CWC सक्रिय रूप से जुड़े रहें। असलियत में, इससे एक जटिल प्रश्न उत्पन्न हुआ है- रेफ़र करने के बाद क्या बच्चा तुरंत ‘बाल कल्याण समिति’ के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है या ‘किशोर न्याय बोर्ड’ की कार्यवाही औपचारिक रूप से समाप्त होने पर ही CWC ज़िम्मेदारी संभाल सकता है? अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दा अब बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों में JJB और CWC के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। वर्तमान में यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपराधिक संदर्भ के रूप में लंबित है।

पहली बार पेश होने पर, ‘किशोर न्याय बोर्ड’ (JJB) या उसका कोई सदस्य SBR का अध्ययन कर उचित आदेश पारित करता है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं: पहली पेशी पर ही मामले का निपटारा कर दिया जाए; बच्चे को किसी परिवीक्षा अधिकारी या योग्य व्यक्ति की देखरेख या किसी उपयुक्त सुविधा केंद्र में भेज दिया जाए या जांच लंबित रहने तक बच्चे को ‘बाल देखरेख संस्थान’ (CCI) में रखने का आदेश दिया जाए। यदि ‘किशोर न्याय बोर्ड’ को SBR के आधार पर पता चलता है कि क़ानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे को देखरेख और संरक्षण की भी ज़रूरत है, तो अपराध से संबंधित कार्यवाही समाप्त की जा सकती है और मामला ‘बाल कल्याण समिति’ को हस्तांतरित किया जा सकता है।

बच्चे की पहली पेशी के 15 दिनों के भीतर, JJB की ओर से ‘परिवीक्षा अधिकारी’, सामाजिक कार्यकर्ता या ‘बाल कल्याण अधिकारी’ को ‘सामाजिक जांच रिपोर्ट’ (SIR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है (नीचे बॉक्स देखें)। 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में, यह

28 धारा 107(3), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

29 नियम 2 (xvi), किशोर न्याय (देखरेख संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016, में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को “विधि विवादित बच्चे की पृष्ठभूमि से संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट” के रूप में परिभाषित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>

अनिवार्य है कि CWPO पहली पेशी के एक महीने के भीतर गवाहों का बयान प्रस्तुत करे।

व्यवहार में, सभी 'किशोर न्याय बोर्ड' की जांच पहली पेशी की तारीख से चार महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है। सामान्य अपराधों के मामलों में जांच दो महीने से अधिक लंबी होने पर कार्यवाही स्वतः समाप्त मानी जाती है। गंभीर या जघन्य अपराधों के मामलों में जांच के छह महीने से अधिक देर तक जारी रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया पहले शायद ही कभी अपनाई जाती थी, लेकिन अब इन मामलों में अपीलों की संख्या बढ़ने पर इनमें तेज़ी देखी गई है।

जमानत

'किशोर न्याय अधिनियम' यह मानता है कि बच्चों को जेल जाने और कलंक लगने से होने वाले स्थायी नुकसान से बचाया जाना चाहिए और किसी बच्चे को "समुचित जांच के बाद अंतिम उपाय के रूप में" ही किसी संस्थान में भेजा जाना चाहिए। यह मान्यता सामान्य आपराधिक क़ानूनों से साफ़ तौर पर अलग है। इसी तरह से, बच्चों को जमानत देना इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि अपराध जमानती है या ग़ैर-जमानती। अपराध की प्रकृति किसी भी तरह की हो, सभी 'विधि विवादित बच्चों' के लिए 'जमानत ही नियम' है।³¹ पुलिस के पास सभी केसों में जमानत देने का अधिकार है। उन्हें यह निर्देश है कि बच्चे को जमानत के साथ या बिना जमानत के तुरंत छोड़ देना चाहिए। यदि किसी कारण जमानत नहीं दी जा सकती है, तो बच्चे को 'किशोर न्याय बोर्ड' के समक्ष पेश किए जाने तक किसी 'पर्यवेक्षण गृह' में रखा जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को कभी भी पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाना चाहिए।

जमानत केवल तभी अस्वीकार की जा सकती है जब ऐसा करने से बच्चे का अहित होता हो। अगर बच्चे को छोड़े जाने से (i) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो, (ii) वह ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आ सकता हो (iii) न्याय प्रक्रिया बाधित होती हो। इस क़ानून के अंतर्गत केवल इन अपवाद के तहत जमानत रद्द की जा सकती है।³²

यह दो चरणों की प्रक्रिया है। जघन्य अपराध के आरोप में JJB के समक्ष लाए गए आरोपी की उम्र निर्धारित न होने पर सबसे पहले उसकी आयु निर्धारित की जाती है। यदि आरोपी 16 वर्ष या अधिक उम्र का पाया जाता है, केवल तभी बोर्ड द्वारा बच्चे की क्षमता, समझ और परिस्थितियों का प्रारंभिक आकलन किया जाता है। इसके पश्चात निर्णय लिया जाता है कि उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलेगा या नहीं।³⁰

प्रारंभिक मूल्यांकन

जब 16 से 18 वर्ष के बीच के किसी बच्चे पर सात साल या उससे अधिक सज़ा वाले अपराध का आरोप लगता है, तो 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) एक प्रारंभिक मूल्यांकन करना चाहिए। इस आकलन में यह तय किया जाता है कि बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया में एक वयस्क के रूप पेश किया जाए या नहीं। इस प्रक्रिया में आरोपी के दोषी या निर्दोष होने की जांच नहीं की जाती। यह मूल्यांकन विशेषज्ञों की मदद से चार कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है: बच्चे की कथित अपराध को करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, परिणामों को समझने की क्षमता और अपराध की परिस्थितियां। यह मूल्यांकन तीन महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इस मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिकों या मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से बच्चे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है।³³

'बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोला (2022)'³⁴ केस में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर और नाजुक कार्य बताया है। यह फैसला बच्चे के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार से जुड़ा होता है। इसने यह केंद्र सरकार, 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' और 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों' पर छोड़ दिया कि वे इस संबंध में निर्देश या दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें। 2023 के दिशानिर्देशों³⁵ में अब क़ानूनी सहायता अनिवार्य है, विशेषज्ञों की भूमिका को परिभाषित किया गया है और पूरी प्रक्रिया को 'सामाजिक जांच रिपोर्ट' और 'सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट' में निहित किया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं हैं, गोपनीयता आवश्यकता है और तर्कसंगत आदेश बच्चे और उसके परिवार को अवश्य दिए जाएं।

30 धारा 15 और धारा 14(3), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा नियम 10A, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली 2016.

31 धारा 12, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

32 उपरोक्त।

33 धारा 15, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

34 बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोला और अन्य [2022] CrI. No.950/2022.

35 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2023'. 'बाल न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने हेतु दिशानिर्देश। इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncpcr.gov.in/uploads/16813797786437d1c2bea2a_guidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf

दस्तावेज़	सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट ³⁶	सामाजिक जांच रिपोर्ट	व्यक्तिगत देखभाल योजना ³⁷
तैयार करने वाला व्यक्ति	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	CWPO/परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता	परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी (CWO) या सामाजिक कार्यकर्ता
समयसीमा	बच्चे को निरुद्ध किए जाने के तुरंत बाद; पहली पेशी के समय	JJB के आदेश पर पहली पेशी के बाद	JJB द्वारा केस निस्तारण के समय
दर्ज विवरण	बच्चे की जानकारी, अपराध, वयस्क गिरोहों के साथ उसकी संलिप्तता, नशे की स्थिति, बच्चे को पकड़े जाने की परिस्थितियों का विवरण और CWPO के सुझाव।	बच्चे की सामाजिक-आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों पर विस्तृत और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट; जोखिम आकलन, जिसमें जोखिम बढ़ाने और कम करने वाले कारक शामिल हों और परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिशें।	उम्र और लिंग आधारित ज़रूरतों तथा केस हिस्ट्री के आधार पर समग्र विकास योजना, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और जीवन-कौशल प्रशिक्षण जैसी आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)।
उद्देश्य	तत्काल निर्णय का आधार (विचलन, ज़मानत, केस निस्तारण, बाल कल्याण समिति को रेफरल, बच्चे को परिवीक्षा अधिकारी/परिजन/योग्य व्यक्ति को सौंपना, पर्यवेक्षण गृह भेजना)	दीर्घकालिक योजना - पश्चातवर्ती देखरेख, पुनर्वास	दीर्घकालिक योजना- पश्चातवर्ती देखभाल और पुनर्वास
क्रानूनी प्रावधान	JJ आदर्श नियमावली के नियम 8(1), 8(5)	JJ एक्ट की धारा 8(3)(e), 13(1)(ii) & 18(1), JJ आदर्श नियमावली का नियम 10	JJ आदर्श नियमावली 2016 के नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69। (3)

एक बच्चा राज्य की दंडात्मक व्यवस्था के संपर्क में आते ही मुफ्त क़ानूनी सहायता पाने का हक़दार हो जाता है, चाहे वह किसी भी अपराध में आरोपित हो या उसके मामले की जांच किसी भी चरण में हो। संयुक्त और अलग-अलग रूप से यह ज़िम्मेदारी SJPU और JJB की है जो 'विधिक सेवा संस्थानों' के ज़रिए क़ानूनी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक JJB से एक ऐसा 'विधिक सेवा क्लिनिक' (LSC) संबद्ध होना चाहिए, जिसमें पैनल वकील और पैरालीगल वॉलनटियर्स कार्यरत हों ताकि बच्चों और उनके अभिभावकों को क़ानूनी प्रक्रिया में मदद मिल सके। ये सुरक्षा उपाय JJ एक्ट के इस व्यापक सिद्धांत को दर्शाते हैं कि

सभी हस्तक्षेप बच्चे के अधिकारों और पुनर्वास को संरक्षण प्रदान करने वाले, ग़ैर-हिरासत उपायों वाले और बच्चे के हित में होने चाहिए।

बच्चे की ज़मानत, उसकी ज़रूरतों और उसके भविष्य से संबंधित उपायों का निर्धारण करने के लिए JJB अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए तैयार की गई रिपोर्टों की मदद लेता है। इन रिपोर्टों का उपयोग बच्चे के न्याय प्रणाली के विभिन्न चरणों से गुजरने के दौरान किया जाता है (ऊपर दी गई तालिका देखें)।

36 किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016 के नियम 2(16)(xvi) में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "विधि विवादित बच्चे की वह रिपोर्ट, जिसमें बच्चे की पृष्ठभूमि का विवरण होता है और जिसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है।" इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>

37 किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016 के नियम 2(ix) में व्यक्तिगत देखभाल योजना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "एक समग्र विकास योजना, जो बच्चे की आयु और लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा मामले के इतिहास के आधार पर तैयार की जाती है और जिसे बच्चे से परामर्श के साथ इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि बच्चे के आत्म-सम्मान, गरिमा और स्व-मूल्य को पुनर्स्थापित किया जा सके तथा उसे एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित किया जा सके।"

‘सामाजिक जांच रिपोर्ट’³⁸ बच्चे के किशोर न्याय व्यवस्था के संपर्क में आने के शुरुआती दौर में तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट ‘किशोर न्याय बोर्ड’ को बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक और भौतिक परिवेश का आकलन करने में सहायता करने में अहम होती है। यह जमानत और पुनर्वास योजना सहित आगे के कदमों के निर्धारण में मदद करती है। इस रिपोर्ट में बच्चे की पृष्ठभूमि, उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों और कथित अपराध का विस्तृत विवरण रहता है। रिपोर्ट में बच्चे की उम्र, लिंग, धर्म, पता, परिवार का विवरण, जीवन की परिस्थितियों, शिक्षा और रोजगार की जानकारी होती है। इस रिपोर्ट में बच्चे के भागने की प्रवृत्ति या इतिहास, पुराने केसों या संस्थागत इतिहास और बच्चे द्वारा पूर्व में झेले गए शोषण, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, तस्करी या अन्य घटनाओं की जानकारी होती है। इसमें अपराधियों या शोषण करने वालों की जानकारी भी शामिल होती है। यह रिपोर्ट बच्चे के मनो-सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, और आर्थिक वातावरण का आकलन करती है। इसमें विशेषज्ञों की राय और

मनोवैज्ञानिकों या चिकित्सकों की रिपोर्ट भी शामिल की जाती है। साथ ही, यह रिपोर्ट बच्चे को फिर से परिवार में भेजने के खतरों का भी विश्लेषण करती है। अंततः रिपोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता का अवलोकन और बच्चे को भविष्य में कहाँ रखा जाएगा, इसकी योजना दी जाती है। इसमें ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जो अधिकारियों को बच्चे के पुनर्मिलन, लगातार देखभाल या वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह सब बच्चे की पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के समग्र दृष्टिकोण पर आधारित होता है।

आदर्श रूप से, इसे ‘परिवीक्षा अधिकारी’ द्वारा तैयार कर बच्चे की पहली पेशी के पंद्रह दिनों के भीतर ‘किशोर न्याय बोर्ड’ को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। जहाँ ‘परिवीक्षा अधिकारी’ उपलब्ध न हो, वहाँ इसे तैयार करने का कार्य सामाजिक कार्यकर्ता, ‘बाल कल्याण पुलिस अधिकारी’ या ‘किशोर न्याय बोर्ड’ द्वारा नामित किसी स्वयंसेवी संगठन को सौंपा जा सकता है।

आवासीय सुविधाएं

JJ एक्ट में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी अलग-अलग आवासीय सुविधाओं का प्रावधान है जो ‘विधि विवादित बच्चों’ की आवश्यकताओं और कानूनी स्थिति के अनुरूप हों। प्रत्येक जिले या कुछ जिलों को मिलाकर एक ‘पर्यवेक्षण गृह’ (OBH) उपलब्ध होना अनिवार्य है जहाँ जांच लंबित रहने के दौरान बच्चों को अस्थायी रूप से रखा जा सके, उनकी देखरेख और पुनर्वास किया जा सके।³⁹ साथ ही, यदि किसी बच्चे को अनुपयुक्त समय या दूरी के कारण JJB या किसी एक सदस्य के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में CWPO द्वारा बच्चे को पहली बार पेश करने से पहले OBH में रखा जाना आवश्यक है।

जिस बच्चे को JJB द्वारा विधिवत रूप से अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है, उसे रखने के लिए एक विकल्प, दीर्घकालिक पुनर्वास और संरक्षण के लिए तैयार ‘विशेष गृह’ हो सकता है।⁴⁰ राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में या कुछ जिलों में स्वयं या स्वैच्छिक, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे गृह तैयार कर सकती हैं। ज़्यादा गंभीर मामलों में, खासकर जहाँ 16 से 18 साल के किसी बच्चे पर किसी जघन्य अपराध का आरोप हो या उसे दोषी ठहराया गया हो, कानून बच्चे को ‘सुरक्षित स्थान’ पर रखने का प्रावधान करता है और हर राज्य में कम-से-कम एक ऐसा केंद्र होना आवश्यक है।⁴¹ इन सुविधाओं के निर्माण का उद्देश्य आयु के अनुसार अभिरक्षा और पुनर्वास सेवाएं देना है, जिससे बच्चों का वयस्क अपराधियों से संपर्क न हो सके।

38 नियम 2(xvii), किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016.

39 रा 47, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

40 धारा 48, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

41 धारा 49, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 और नियम 29, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली 2016.

पश्चातवर्ती देखरेख

पश्चातवर्ती देखरेख किसी युवा के किशोर न्याय व्यवस्था में 18 वर्ष का होने से पहले ही शुरू हो जाती है। जब कोई 'विधि विवादित बच्चा' या 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता' वाला बच्चा 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI) से बाहर निकलने वाला हो तो संस्थान के कर्मचारियों और 'ज़िला बाल संरक्षण इकाई' को उसके बाहर निकलने के बाद की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इस योजना को 'किशोर न्याय बोर्ड' या 'बाल कल्याण समिति' की मंजूरी भी ज़रूरी है। इस योजना में बच्चे के CCI से निकलने के बाद उसके सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन संबंधी ज़रूरी बातों का इंतज़ाम होता है। इसमें बच्चे की आगे की शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण, नौकरी दिलाने में सहायता, रहने के लिए एक 'सुरक्षित स्थान' (अगर ज़रूरी हो तो 'पश्चातवर्ती देखरेख गृह' भेजना), परामर्श और स्वास्थ्य सहायता देना शामिल है।⁴²

'मिशन वात्सल्य' और 'किशोर न्याय कोष' द्वारा इन सहायताओं, जैसे- छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण, परामर्श, आवास और प्लेसमेंट सेवा के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। यह देखरेख आमतौर पर 21 वर्ष की आयु तक और अपवादस्वरूप 23 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाती है।

बच्चे को पश्चातवर्ती देखरेख में भेजना ज़िम्मेदारी से मुक्त होना नहीं बल्कि इसे नए संस्थान को सौंपना है। 'परिवीक्षा अधिकारियों' या सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से मार्गदर्शन और जांच करें और शोषण या पुनरावृत्ति के जोखिमों को कम करें। यह पूरी प्रणाली व्यक्तिगत देखरेख और निरंतर निगरानी पर ज़ोर देती है, जो संस्थागत जीवन और आत्मनिर्भर वयस्क जीवन के बीच एक पुल का काम करती है।

42 धारा 46, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 और नियम 25 (2), किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली 2016.

અધ્યાય 5

**વ્યવસ્થા કિતની
સક્ષમ?**

पुलिस

मानक

यह पूरी व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि 'विधि विवादित बच्चे' के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसके लिए, कानून के अनुसार प्रत्येक जिले में एक 'विशेष किशोर पुलिस इकाई' (SJPU) होना आवश्यक है। इसके मुखिया पुलिस उपाधीक्षक होते हैं और क्षेत्र के सभी पुलिस थानों में नामित 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) और दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक महिला कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। CWPO कम-से-कम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनका चयन और प्रशिक्षण विशेष रूप से "बच्चों के साथ संवेदनशीलता से काम करने की योग्यता और प्रवृत्ति" के आधार पर किया जाना चाहिए। इस इकाई के गठन का मकसद अपने-अपने जिलों में बच्चों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है।⁴³ इसका कार्य "बच्चों के साथ पुलिस संपर्क को बेहतर" करना और स्वयंसेवी संगठनों एवं 'ज़िला बाल संरक्षण इकाई' (DCPU), 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) जैसे स्थानीय शासी निकायों के साथ मिलकर काम करना है।

'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SJPU) की स्थापना, गठन और कार्य संचालन की जवाबदेही मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। राज्य विशेष रूप से अपने गृह या पुलिस विभाग के ज़रिए ये इकाइयां तैयार करते हैं। ये इकाइयां ही हर जिले में SJPU का विधिवत गठन और कम-से-कम एक 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) की नियुक्ति करती हैं। राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इन इकाइयों के संचालन की निगरानी करते हैं। ये अधिकारी बाल संरक्षण मानकों के अनुपालन की जांच करते हैं, किशोरों के प्रति संवेदनशील प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं और 'किशोर न्याय बोर्ड', 'बाल कल्याण समितियों' और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों' के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' भी स्वतंत्र रूप से SJPU की निगरानी⁴⁴ कर सकता है कि ये बाल-मैत्रीपूर्ण जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। वहीं,

'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' केंद्रीय स्तर पर मार्गदर्शन कर सकता है। ये सब मिलकर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय जवाबदेही तंत्र तैयार करते हैं।

हमारे द्वारा पुलिस मुख्यालय से पूछे गए प्रश्न

क्या प्रत्येक जिले ने अपनी SJPU गठित की है? अगर हां, तो इसकी संरचना क्या है, क्या प्रत्येक थाने में एक नामित 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' है और हर जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? हमने इससे संबंधित आदेशों की प्रति उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

नौ राज्यों⁴⁵ के पुलिस मुख्यालयों ने भेजे गए सभी प्रश्नों के आधार पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। पांच राज्यों- झारखंड, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने भेजे गए किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं भेजा। शेष राज्यों द्वारा RTI आवेदन के जवाब में अधूरी जानकारी मुहैया कराए जाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के पालन का आकलन मुमकिन नहीं हो सका।

हमारे निष्कर्ष

SJPU की मौजूदगी: तेईस राज्यों और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों ने जानकारी उपलब्ध कराई, कुछ ने पूरी, तो कुछ ने आंशिक रूप से (देखें चार्ट 1)। बारह राज्यों⁴⁶ और दिल्ली ने प्रत्येक जिले में एक SJPU गठित करने की सूचना दी। छह राज्यों⁴⁷ ने बताया कि उनके 90% से अधिक जिलों में SJPU मौजूद है जबकि बाक़ी राज्यों में यह संख्या कम थी। हिमाचल प्रदेश (14 में 12 जिले), जम्मू और कश्मीर (20 में 16) और सिक्किम (6 में 4 जिले) द्वारा उपलब्ध कराई गई आंशिक जानकारी से SJPU स्थापित करने का तो पता चला, लेकिन यह तस्वीर पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाई कि 'विधि विवादित बच्चों' के साथ संवेदनशील व्यवहार करने के लिए राज्य की पुलिस व्यवस्था कितनी तैयार है। कर्नाटक की व्यापक SJPU संरचना में प्रत्येक जिले में एक इकाई के अलावा, इसके छह कमिश्नरी मुख्यालयों- बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, बेलगाम, हुबली-धारवाड़ और कलबुर्गी में भी एक-एक इकाई है। इसके अलावा, राज्य के रेलवे और यातायात डिवीजन में अतिरिक्त 6 इकाइयां हैं।⁴⁸

43 धारा 107, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

44 धारा 13(1)(e), बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2056/1/200604.pdf>

45 अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

46 अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड।

47 आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, मेघालय और पंजाब।

48 कर्नाटक सरकार, सरकारी आदेश संख्या HD 20 PCC 2021, दिनांक 29 जून, 2021. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.makkalahakku.com/main-control/uploads/SENIOR-SJPU%20ORDERS.pdf>

चित्र 5.1: फ्रंटलाइन एजेंसी- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)

<div> <div>100% से अधिक</div> <div>100%</div> <div>90% से 100%</div> <div>90% से कम</div> </div>			
राज्य	पुलिस ज़िले ⁴⁹	SJPU की संख्या	प्रति ज़िले SJPU%
कर्नाटक	31	44	141.9
महाराष्ट्र	38	45	118.4
असम ⁵⁰	34	37 ^b	108.8
तेलंगाना ⁵¹	28	30 ^c	107.1
मध्य प्रदेश ⁵²	52	55 ^d	105.8
छत्तीसगढ़ ⁵³	33	34 ^e	103.0
गोवा	2	2	100.0
मिज़ोरम	11	11	100.0
उत्तराखंड	13	13	100.0
दिल्ली ⁵⁴	15	15 ^f	100.0
अरुणाचल प्रदेश	26	26	100.0
गुजरात ⁵⁵	40	40 ^g	100.0
राजस्थान	43	43	100.0
आंध्र प्रदेश ⁵⁶	26	24 ^h	92.3
पंजाब ⁵⁷	25	23 ⁱ	92.0
मेघालय	12	11	91.7
हरियाणा ⁵⁸	24	22 ^j	91.7
केरल ⁵⁹	22	20 ^k	90.9
बिहार ⁶⁰	44	40 ^l	90.9
हिमाचल प्रदेश ⁶¹	14	12 ^m	85.7
ओडिशा	36	30	83.3
पश्चिम बंगाल	47	34	72.3
जम्मू और कश्मीर	23	16 ⁿ	69.6
नगालैंड	16	11	68.8
सिक्किम ⁶²	6	4 ^o	66.7
झारखंड	24	NP	NP
मणिपुर	16	NP	NP
तमिलनाडु	37	NP	NP
त्रिपुरा	8	NP	NP
उत्तर प्रदेश	75	NP	NP
अखिल भारतीय	821	642	78.2

- 49 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो', 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6f1e1ed56a985b635c.pdf
- 50 पश्चिम कार्बी आंगलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए RTI उत्तर के साथ असम सरकार द्वारा SJPU के गठन की एक प्रति संलग्न है। इससे राज्य के 37 जिलों में SJPU के पुनर्गठन की जानकारी प्रदान मिलती है।
- 51 तेलंगाना उच्च न्यायालय के आंकड़े, मार्च 2021 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://tshc.gov.in/documents/2024_06_24T04_57_27_SJPUs.pdf
- 52 आंकड़े 'किशोर न्याय समिति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय' से लिए गए हैं और जनवरी 2025 तक के हैं। दस्तावेज़ में 55 जिलों के अलावा तीन रेलवे जिलों- भोपाल, जबलपुर और इंदौर में स्थापित 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SJPU) का भी उल्लेख किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/JUVENILE%20JUSTICE%20TAKEHOLDERS/6.%20Special%20Juvenile%20Police%20Units.pdf
- 53 'किशोर न्याय समिति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourt.cg.gov.in/ji/sjpu.htm>
- 54 दिल्ली पुलिस, 'ज़िला विशेष किशोर पुलिस इकाई' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://spuwac.in/dpju2/sjpus.html>
- 55 'गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' के 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://gujarat.nalsa.gov.in/en/juvenile-justice-committee/>
- 56 'किशोर न्याय समिति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय' के 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://aphc.gov.in/juvenile_docs/Special_Juvenile_Police_Officers_help_desk.pdf
- 57 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय' के 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jimc/>
- 58 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय' के 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jimc/>
- 59 'केरल राज्य बाल संरक्षण सोसायटी' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://kescpcr.kerala.gov.in/?p=1343>
- 60 बिहार पुलिस मुख्यालय ने बताया कि "सभी जिलों में एक SJPU है।"
- 61 कुल्लू और कांगड़ा जिलों ने उत्तर नहीं दिया।
- 62 केवल 4 जिलों ने जवाब दिया। दो जिले पाकयोंग और सोरेंग नए बने हैं।

नोट: राज्यों के नाम प्रति ज़िले SJPU के घटते क्रम में दिए गए हैं।
स्रोत: RTI से प्राप्त जवाब व अन्य स्रोत।

संरचना: एक समन्वय तंत्र के रूप में, प्रत्येक ज़िले के SJPU में दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें से एक महिला होना आवश्यक) और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' को शामिल किया जाना ज़रूरी है। ये सामाजिक कार्यकर्ता या तो पुलिस बल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या फिर 'ज़िला बाल संरक्षण इकाई' के समूह से लिए जाते हैं। केवल 8 राज्यों और दिल्ली ने महिला कार्यकर्ताओं की संख्या समेत ये दोनों जानकारीयों उपलब्ध कराई।


सामाजिक कार्यकर्ता:⁶³ ग्यारह राज्यों और दिल्ली ने सामाजिक

कार्यकर्ताओं की ज़िलेवार संख्या उपलब्ध कराई। इन राज्यों में 436 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 306 सामाजिक कार्यकर्ता कार्यरत थे यानी कुल 30% कार्यकर्ताओं की कमी थी। पश्चिम बंगाल (72%) और अरुणाचल प्रदेश (87%) जैसे कुछ राज्यों में यह संख्या काफी कम पाई गई। इसके विपरीत, उत्तराखंड, सिक्किम और नगालैंड ने बताया कि उन्होंने स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। असामान्य रूप से, दिल्ली ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।⁶⁴ उपरोक्त कम संख्या के बावजूद, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं में लगभग 50% महिलाएं हैं,

63 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

64 दिल्ली सरकार के RTI के जवाब में सामाजिक कार्यकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। दिल्ली में 'महिलाओं और बच्चों के लिए एक संयुक्त विशेष पुलिस इकाई' कार्यरत है, जो 'महिला अपराध प्रकोष्ठ' के अंतर्गत आती है और जिसे SPUWAC के नाम से जाना जाता है। 'किशोर न्याय इकाई' की वेबसाइट पर भी इसका जिक्र नहीं है। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://spuwac.in/juvenilejustice.html>

चित्र 5.2 - SJPU का गठन: महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी और रिक्त पद



नोट: 1. रिक्त पदों में नकारात्मक संख्या का मतलब है कि नियुक्त कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक है।

2. राज्यों के नाम महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के घटते क्रम में दिए गए हैं।

स्रोत: राज्यों से प्राप्त RTI जवाब।


जिनमें मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या पुरुष सामाजिक कार्यकर्ताओं से अधिक है।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPO) की उपलब्धता:

दिल्ली सहित सोलह राज्यों⁶⁵ ने पुलिस स्टेशनों में नियुक्त 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों' (CWPO) की संख्या का जिलावार आंकड़ा साझा किया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के लगभग हर पुलिस स्टेशन में एक नामित CWPO है। दिलचस्प रूप से नौ राज्यों⁶⁶ ने बताया कि उनके यहां पुलिस स्टेशनों की संख्या के मुकाबले CWPO की संख्या कहीं ज़्यादा है। यह स्थिति अधिक नियुक्तियों, कई पुलिस स्टेशनों में एक से अधिक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति या विशेष प्रतिनियुक्तियों की ओर इशारा करती है। जैसे, मिज़ोरम के सिर्फ 45 पुलिस स्टेशनों में 124 CWPO नियुक्त हैं; वहीं दिल्ली ने बताया कि वहां के 225 पुलिस स्टेशनों⁶⁷ में 412 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ ने अपने 495 पुलिस स्टेशनों पर न केवल 674 CWPO को नियुक्त किया है बल्कि इसके अलावा उसने 2019 से अब तक 870 को CWPO के रूप में प्रशिक्षित भी किया है।

महिला CWPO: ग्यारह राज्यों⁶⁹ और दिल्ली ने लैंगिक आधार के

चित्र 5.3: पुलिस स्टेशनों में महिला CWPO की हिस्सेदारी



नोट: 1. छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने कुल CWPO का डेटा दिया, लेकिन महिला CWPO का नहीं।

2. राज्यों के नाम महिला CWPO की हिस्सेदारी के घटते क्रम में हैं।

स्रोत: राज्यों से मिले RTI जवाब।

65 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

66 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तराखंड।

67 2023 तक के आंकड़े। इसके बाद किशोर न्याय इकाई की वेबसाइट पर 204 पुलिस स्टेशन और 422 बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची अपडेट की गई है। इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://spuwac.in/dpiju2/sjpus.html>

68 'किशोर न्याय समिति', छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का न्यूजलेटर, खंड- 2/JJC/2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf

69 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

70 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो', 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' 2023.

आंकड़े भी साझा किए। कुल मिलाकर, सभी CWPO में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी कम पाई गई। कुछ राज्यों में बेहतर लैंगिक विविधता सामने आई। जैसे, उत्तराखंड (73%), सिक्किम (58%), और गोवा (57%) में 50 प्रतिशत से ज़्यादा CWPO महिलाएं हैं। इसके विपरीत, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केवल 10% CWPO ही महिलाएं हैं।

किशोर न्याय बोर्ड

मानक

‘किशोर न्याय अधिनियम’ के तहत प्रत्येक ज़िले में एक या अधिक ‘किशोर न्याय बोर्ड’ (JJB) होना अनिवार्य है। इस विशिष्ट न्यायिक फ़ोरम का कार्य ‘विधि विवादित बच्चों’ से संबंधित मामलों का निपटारा करना और ऐसे नाबालिगों की पहचान करना है जो वयस्क क़ैदियों के रूप में वयस्कों की जेलों में बंद हैं और उन्हें वापस किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में लाना है।⁷¹

पारंपरिक अदालतों के विपरीत, यह बच्चों के सर्वोच्च हितों को केंद्र में रखते हुए कार्य करता है। यह क़ानूनी प्रक्रियाओं के साथ-साथ लोक-कल्याण के सामाजिक-क़ानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सज़ा देने के बजाय पुनर्वास को प्राथमिकता देता है। JJB की कार्यवाही मैत्रीपूर्ण और बाल-अनुकूल परिवेश में संचालित की जानी चाहिए ताकि नियमित अदालतों के कलंकित करने वाले माहौल के मुक़ाबले इसमें बच्चों को बचाया जा सके। इसे आमतौर पर ‘पर्यवेक्षण गृहों’ या ‘बाल-देखरेख संस्थानों’ में संचालित किया जाना चाहिए। प्रत्येक ‘किशोर न्याय बोर्ड’ में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसके पास कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव हो) और दो सामाजिक कार्यकर्ता (कम-से-कम एक महिला) शामिल होने चाहिए। इस संरचना का मक़सद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे के विकास की आवश्यकताओं, सामाजिक पृष्ठभूमि और सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएं। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘किशोर न्याय बोर्ड’ की बैठकें हर कार्यदिवस पर हों और बहुत ज़रूरी मामलों के निपटारे के लिए कम-से-कम एक सदस्य हमेशा उपलब्ध रहे। मामलों का निपटारा चार महीनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है, जिसे दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यह समयसीमा बताती है कि ‘किशोर न्याय अधिनियम’ में बच्चों को समय पर, सुधारात्मक और पुनर्वास समाहित न्याय प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। साथ ही, JJB को ‘विधि विवादित बच्चों’ की

आवासीय सुविधाओं का हर महीने कम-से-कम एक बार निरीक्षण और इसे बेहतर बनाने संबंधी ज़रूरी सिफ़ारिशें करनी चाहिए।⁷² JJB को नियमित रूप से जेल निरीक्षण करने का दायित्व भी सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई बच्चा तो नहीं है। बच्चे की उपस्थिति पाई जाने पर उसके स्थानांतरण के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।⁷³

बहुस्तरीय निरीक्षण ढांचे के ज़रिए JJB के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित किया गया गया है। राज्य स्तर पर, JJB की स्थापना, इसके लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और क़ानूनी प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी की प्राथमिक ज़िम्मेदारी ‘महिला एवं बाल विकास विभाग’ (WCD) की होती है। जहां, ‘राज्य बाल संरक्षण समिति’ और ‘ज़िला बाल संरक्षण इकाइयां’ (DCPU) परिचालन में सहायता करती हैं वहीं, हाई कोर्ट का कार्य न्यायिक निरीक्षण और नियुक्तियों व क़ानूनी प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है। ज़िला स्तर पर, JJB की निगरानी और पर्यवेक्षण का ज़िम्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का होता है। इसके अतिरिक्त, हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता व गृह विभाग और ‘महिला एवं बाल विकास’ के सचिव और एक ग़ैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि वाली वैधानिक उच्च स्तरीय समिति राज्यभर में JJB के लंबित मामलों की छह-मासिक समीक्षा करती है।⁷⁴

राष्ट्रीय स्तर पर, ‘महिला एवं बाल विकास मंत्रालय’ (MWCD) और ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ (NCPCR) नीतिगत मार्गदर्शन और मानक तय करते हैं। साथ ही, मानकों का पालन न होने के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसा बहु-स्तरीय जवाबदेही तंत्र सुनिश्चित करता है कि JJB बाल अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी पुनर्वास संबंधी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करें।

महिला एवं बाल विकास विभाग से मांगी गई जानकारी

क्या राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक JJB का गठन हुआ है? इसकी संरचना क्या है, नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक 12 महीनों में इस पर कितने मामलों का कार्यभार था और हर JJB ने इस अवधि में विभिन्न ‘बाल देखरेख संस्थानों’ का कितनी बार निरीक्षण किया?

हमारे निष्कर्ष

JJB की मौजूदगी: 2024 तक, देश भर के 765 ज़िलों में 707 JJB⁷⁵ कार्यरत थे। 18 राज्यों और जम्मू और कश्मीर के हर ज़िले में एक-एक

71 धारा 8(3)(m), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

72 धारा 8(2)(j), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

73 धारा 8(3)(m), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

74 धारा 16(2), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

75 RTI से मिली जानकारी और 2024 से संबंधित अन्य स्रोत।

जुब था।⁷⁶ कुछ मामलों में 2 जिलों को मिलाकर एक जुब गठित किए गया। इसलिए 11 जिलों वाली दिल्ली में 7 जुब थे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ओडिशा (30 जिलों में 34 जुब) और कर्नाटक (31 जिलों में 34 जुब) जैसे कुछ राज्यों में उनके जिलों की तुलना में जुब की संख्या अधिक थी (देखें चित्र 5.5)।

हालांकि आंध्र प्रदेश ने जुब संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन हाई कोर्ट के 2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि इसके 26 जिलों में 13 जुब स्थापित हैं। साल 2025 में एक सरकारी अधिसूचना⁷⁷ द्वारा 'किशोर न्याय बोर्ड' के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि अन्य जिलों⁷⁸ में भी जुब स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के 'किशोर

कल्याण विभाग' ने हमारे RTI आवेदन के जवाब में जानकारी दी थी कि नवंबर 2023 तक राज्य के 33 जिलों के लिए 10 जुब ही उपलब्ध थे। राज्य SLISA की वेबसाइट⁷⁹ पर उपलब्ध 2025 के एक दस्तावेज के मुताबिक राज्य के सभी 33 जिलों में 'किशोर न्याय बोर्ड' मौजूद होने की पुष्टि होती है। जिला स्तर पर जुब की संख्या कम होने का कारण हाल ही में नए जिलों का गठन होना हो सकता है या फिर एक जुब के अधीन एक से अधिक जिले हों।

जुब की संरचना: क़ानून के अनुसार, जुब में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होने चाहिए, जिनमें से एक महिला कार्यकर्ता का होना अनिवार्य है। यदि बोर्ड सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हो, तो बच्चे को किसी भी एक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकता है।

चित्र 5.4: बिना किशोर न्याय बोर्ड वाले जिले (2023-2024 तक)

जिले / किशोर न्याय बोर्ड		बिना जुब वाले जिले
आंध्र प्रदेश	13/26	अल्लूरी सीताराम राजू, अनकापल्ली, अन्नमय्या, बापटला, बीआर अंबेडकर कोनसीमा, एलुरु, काकीनाडा, नंदाल, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मान्यम, श्री सत्य साई और तिरुपति
अरुणाचल प्रदेश	26/28	बिचोम और केई पन्योर ⁸⁰
असम	32/35	बजाली, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और तामुलपुर
बिहार	37/38	अरवल
छत्तीसगढ़	28/33	गौरिला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सकटी, सारंगढ़-बिलाईगढ़
दिल्ली	7/11	दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली
हिमाचल प्रदेश	11/12	लाहौल और स्पीति
मध्य प्रदेश	51/55	मौनगंज, मैहर, निवाड़ी और पांडुरंगा
महाराष्ट्र ⁸¹	34/36	उपनगरीय मुंबई
सिक्किम	4/6	पाकयोंग और सोंरेंग
राजस्थान	34/41	बालोतरा, ब्वावर, डीग, डीडवाना कुचामन, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, फलौदी
तेलंगाना	10/33	भद्राद्री कोठागुडेम, हनुमाकोंडा, जगित्याल, जंगांव, जयशंकर, जोगुलम्बा गडवाल, कामरेड्डी, कोमाराम भीम, महबूबाबाद, मेदक, मंचेरियल, मेडचल-मलकाजगीरी, मुलुगु, नगरकुर्नूल, नारायणपेट, निर्मल, पेड्डापल्ली, राजन्ना सिरसिला, सिद्धिपेट, सूर्यपेट, विकाराबाद, वानापार्थी, यदाद्री भुवनगिरी

80 क्रमशः 2023 और 2024 में स्थापित जिले।

81 जुब को दो स्रोतों से अलग-अलग जानकारी प्राप्त हुई - महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मई-जून 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक 36 जुब सूचीबद्ध थे और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 34 जुब सूचीबद्ध थे, जिनमें से दो परभणी में थे और उपनगरीय मुंबई जिले में कोई जुब नहीं था।

नोट: 1. राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में हैं।
स्रोत: राज्यों से मिले RTI जवाब और 2024 के आंकड़ों वाले अन्य स्रोत।

76 गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

77 आंध्र प्रदेश सरकार, किशोर कल्याण, सुधारात्मक सेवाएं और बेघर बच्चों का कल्याण विभाग, 4 अप्रैल 2025। इस लिंक पर उपलब्ध: https://wdcw.ap.gov.in/dept_files/Notification.pdf

78 इस अध्ययन की अवधि के दौरान, 13 पुराने जिलों वाले आंध्र प्रदेश के 13 नवगठित जिलों में प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी थी।

79 तेलंगाना राज्य के 'किशोर न्याय बोर्डों' की सूची, तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मई 2025। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://tslsa.telangana.gov.in/pdf/JuvenileTh%20Justice%20Boards%20in%20the%20State%20of%20Telangana.pdf>

चित्र 5.5: JJB की पूरे देश में मौजूदगी

बिना JJB⁸² वाले ज़िले

तेलंगाना	30.3	केरल	100.0
आंध्र प्रदेश ⁸³	50.0	महाराष्ट्र ⁹¹	100.0
दिल्ली	63.6	मणिपुर	100.0
सिक्किम	66.7	मेघालय	100.0
राजस्थान ⁸⁴	82.9	मिज़ोरम	100.0
छत्तीसगढ़ ⁸⁵	84.8	नगालैंड	100.0
असम	91.4	तमिलनाडु ⁹²	100.0
हिमाचल प्रदेश	91.7	उत्तर प्रदेश ⁹³	100.0
मध्य प्रदेश ⁸⁶	92.7	उत्तराखंड	100.0
अरुणाचल प्रदेश	92.9	पंजाब	100.0
बिहार ⁸⁷	97.4	त्रिपुरा	100.0
गुजरात	100.0	पश्चिम बंगाल	100.0
हरियाणा ⁸⁹	100.0	कर्नाटक ⁹⁴	109.7
गोवा	100.0	ओडिशा	113.3
झारखंड ⁹⁰	100.0	अखिल भारतीय	92.4
जम्मू और कश्मीर	100.0		

स्रोत: RTI से मिले जवाब न अन्य।

- 82 तेरह राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आंकड़े अन्य स्रोतों से संकलित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए राज्य तथ्यपत्र देखें।
- 83 'किशोर न्याय समिति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय', दिसंबर 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://aphc.gov.in/aphc_old/juvenile_docs/HELPPDESK_JJBs.pdf
- 84 'बाल अधिकार निदेशालय' की वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) से लिए गए आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/SJED/2025/Annual_Progress_Report/O_160425_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf
- 85 किशोर न्याय समिति, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यूजलेटर 'नविचेतन- एक नई शुरुआत' से प्राप्त आंकड़े (खंड 2/JJC/2023)। इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf
- 86 'किशोर न्याय समिति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय', के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://mphc.gov.in/jjc/home>
- 87 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय' के मई 2024 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://patnahighcourt.gov.in/jjs/>
- 88 गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://gujarat.nalsa.gov.in/en/juvenile-justice-committee/>
- 89 'किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय' के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jjmc/?trs=cl>
- 90 'झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' के 2020 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jhalsa.org/pdfs/juvenile/Table_JJB_jun2020.pdf
- 91 JJR को दो स्रोतों से अलग-अलग जानकारी प्राप्त हुई- 'महिला और बाल विकास विभाग' ने मई-जून 2022 की स्थिति के अनुसार 36 किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की सूची दी, जबकि 'महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' द्वारा अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 34 JJB दर्ज किए गए, जिनमें परभणी में दो और मुंबई उपनगरीय जिले में एक भी नहीं दर्शाया गया है।
- 92 राज्य सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 2076, दिनांक 31 मार्च, 201। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/annex/254/AU2076.pdf?source=pqars>
- 93 'महिला और बाल विकास विभाग' के जुलाई 2021 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://mahilakalyan.up.nic.in/JJB_LIST_Final.pdf
- 94 'बाल संरक्षण निदेशालय' के 2021 तक के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://icps.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/JJB%20Members%20list.pdf>

20 राज्यों⁹⁵ और जम्मू और कश्मीर के 707 JJB में से केवल 470 ने JJB पीठ की संरचना के बारे में पूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराए। इनमें से 332 (71%) ने बताया कि उनके JJB में तीनों सदस्यों की नियुक्ति हुई है। केवल तीन राज्यों-जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और सिक्किम- के हर ज़िले में समुचित रूप से JJB गठित की गई थीं। 4 क्षेत्राधिकारों⁹⁶ में, सिर्फ लगभग आधे JJB की पूर्ण पीठ के साथ काम कर रहे थे। बिहार ने बताया कि उसके केवल 27% JJB में सभी सदस्य नियुक्त किए गए थे। (देखें चित्र 5.6)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी कार्यरत JJB का एक अनिवार्य सदस्य

होता है और अंतिम निर्देश या आदेश पारित करने के समय उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है।⁹⁷ इस संबंध में 22 राज्यों और जम्मू और कश्मीर ने जानकारी उपलब्ध कराई। दिल्ली सहित सात राज्यों ने कोई जवाब नहीं भेजा।⁹⁸ असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब को छोड़, जानकारी उपलब्ध कराने वाले सभी राज्यों के JJB में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त थे। उपरोक्त तीन राज्यों के एक-एक ज़िले में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं हुई थी। पंजाब और पश्चिम बंगाल से प्राप्त जानकारी में बताया गया कि नवगठित ज़िलों में अभी तक JJB की स्थापना नहीं हुई है।

95 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल।


96 आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान।

97 धारा 7(3), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015.

98 कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

चित्र 5.6: JJB में रक्तियां (%)


■ रिक्त पद नहीं
■ 10% तक
■ 10% से 20%
■ 20% से अधिक



हालांकि, JJB में सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम पाई गई। 23 राज्यों और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंकड़े उपलब्ध कराए। केवल तीन राज्यों- जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और सिक्किम के JJB में सामाजिक कार्यकर्ताओं

का कोई पद खाली नहीं था। आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक-चौथाई पद रिक्त थे। मध्य प्रदेश और बिहार में यह कमी 30% से 35% के बीच थी। दिल्ली के JJB में सामाजिक कार्यकर्ताओं के आधे पद खाली थे।

चित्र 5.7: किशोर न्याय बोर्ड में महिला सामाजिक कार्यकर्ता



नोट: 1. पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, मणिपुर, नगालैंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड) ने आंकड़े नहीं दिए। 2. राज्यों के नाम महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी के घटते क्रम में दिए गए हैं। स्रोत: RTI जवाब और अन्य स्रोत।

कुल 596 JJB ने लैंगिक आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराए। नियमानुसार, 596 JJB में कुल 1,192 सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए। हालांकि, कुल 1,032 सामाजिक कार्यकर्ताओं में 57% यानी 590 महिलाएं थीं।

आम तौर पर जहां सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध थे, उनमें एक महिला कार्यकर्ता भी नियुक्त थी (देखें, चित्र 5.7)।

कार्यभार: JJB के कार्यभार का आकलन करने के लिए, IJR ने 'महिला एवं बाल विकास विभाग' से 1 नवंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 के बीच के 12 महीनों में दायर और लंबित और 31 अक्टूबर, 2023 तक निपटाए गए मामलों का विवरण मांगा। केवल 14 राज्यों और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया।¹⁰⁹ पांच राज्यों ने अपने कुछ JJB के सभी विवरण उपलब्ध कराए।¹¹⁰ बाकी राज्यों से कोई जानकारी नहीं मिली। मध्य प्रदेश और राजस्थान के आंकड़े अन्य स्रोतों से प्राप्त किए गए। कुल मिलाकर, 707 JJB में से आधे से कुछ अधिक (362) से मिली जानकारी कार्यभार की पुष्टि करते हैं।

हर JJB से संबंधित सभी आंकड़े उपलब्ध कराने वाले राज्यों में से सबसे अधिक कार्यभार वाले राज्यों में मध्य प्रदेश (32,000), ओडिशा (11,000) और कर्नाटक (6,400) शामिल थे। इन्होंने 12 महीनों में औसतन 45% मामलों का निपटारा किया। आश्चर्यजनक रूप से, सभी जिलों में समुचित तरीके से JJB गठित करने वाला राज्य ओडिशा अपने कुल 11,000 मामलों में से केवल 17% या 1,900 मामलों का ही निपटारा कर सका। इन कुल 11,000 मामलों में से 9,000 पिछले वर्षों से लंबित थे और 2,000 नए मामले हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई मामले अकेले खोराधा, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों के थे।

इसी अवधि में, तेलंगाना, दिल्ली, असम, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने औसतन 41% मामलों का निपटारा किया जहां 1,200 से 5,000 मामले लंबित थे। हैरानी की बात नहीं है कि अपेक्षाकृत कम मामलों वाले छोटे राज्यों ने औसतन 53% की उच्च दर से मामलों का निपटारा किया।

कुल 362 'किशोर न्याय बोर्डों' को 1 नवंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 के बीच 50,277 नए मामले प्राप्त हुए। इससे पिछले वर्षों के लंबित 50,627 मामले के साथ उनका कुल कार्यभार बढ़कर 1,00,904 हो गया। इन 12 महीनों के दौरान, JJB ने 45,097 मामलों यानी कुल मामलों में से 45% का निपटारा किया, जिससे लंबित मामलों की संख्या में 5,000 की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो गई (देखें चित्र 5.8)।

108 मध्य प्रदेश (1 अक्टूबर 2023-30 सितंबर 2023) के आंकड़े मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति से हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://mpmc.gov.in/jjc/ivth-quarter-2022>.

109 अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा।

110 हरियाणा, झारखंड, केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

चित्र 5.8: 2022-23 में किशोर न्याय बोर्डों का कुल कार्यभार

	केसों की संख्या			निपटाए मामलों का प्रतिशत (% नवंबर 2022 - अक्टूबर 2023)
	कुल कार्यभार (1 नवंबर, 2022-31 अक्टूबर, 2023)	निपटाए गए मामले (1 नवंबर, 2022-31 अक्टूबर, 2023)	लंबित मामले (31 अक्टूबर, 2023 तक)	
मध्य प्रदेश ¹¹¹	32,273	16,584	15,689	51.4
ओडिशा	11,366	1,981	9,385	17.4
पश्चिम बंगाल ¹¹²	8,019	2,238	5,547	27.9
कर्नाटक	6,411	4,149	2,268	64.7
तेलंगाना	5,689	3,057	2,632	53.7
असम	3,438	1,403	2,036	40.8
जम्मू और कश्मीर	3,359	880	2,511	26.2
केरल ¹¹³	3,270	1,238	2,032	37.9
दिल्ली	2,461	1,030	1,431	41.9
झारखंड	1,892	847	1,047	44.8
हरियाणा ¹¹⁴	1,890	1,097	895	58.0
हिमाचल प्रदेश	1,280	550	730	43.0
उत्तराखंड ¹¹⁵	980	722	420	73.7
अरुणाचल प्रदेश	489	152	336	31.1
मेघालय	461	125	310	27.1
मिज़ोरम	329	260	69	79.0
त्रिपुरा	260	98	162	37.7
गोवा	127	92	35	72.4
सिक्किम	68	46	20	67.7
नगालैंड	50	28	16	56.0
राजस्थान	NP	8,520	8,245	NA
कुल	1,00,904	45,097	55,816	44.7

नोट: 1. राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

2. निम्नलिखित राज्यों ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। 3. बिहार ने कार्यभार से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इसलिए हम इसका आकलन नहीं कर सके। 'वर्ष 2022 के दौरान बिहार के JJB में लंबित मामलों और निपटारे को दर्शाने वाला समेकित चार्ट' शीर्षक वाला एक दस्तावेज़, राज्य के 37 JJB के समक्ष कुल मिलाकर 3.7 लाख से अधिक मामलों के कार्यभार और जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच की अवधि में 3.62 लाख मामलों के लंबित होने की ओर इशारा करता है। हालांकि, दस्तावेज़ का स्रोत की पुष्टि नहीं हो सकी। दस्तावेज़ इस लिंक पर उपलब्ध है: <https://patnahighcourt.gov.in/jjs/PDF/UPLOADED/250.pdf>। 4. राजस्थान (1 जनवरी 2024-31 दिसंबर 2024) के आंकड़े बाल अधिकार निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) से उपलब्ध थे, लेकिन इसमें लंबित मामलों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://janakalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/>

[SJED/2025/Annual_Progress_Report/O_160425_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf](https://sjud/2025/Annual_Progress_Report/O_160425_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf)

111 मध्य प्रदेश के मामलों के कार्यभार के आंकड़े 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 के बीच के हैं, जो 'किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय' से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://mphc.gov.in/jic/ivth-quarter-2022>

112 23 में से केवल 12 JJB ने जवाब दिया।

113 14 में से केवल 12 JJB ने जवाब दिया।

114 22 में से केवल 8 JJB ने जवाब दिया।

115 13 में से केवल 9 JJB ने जवाब दिया।

स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत

ज़िलावार देखा जाए तो 292 बोर्डों¹¹⁶ में केसों के कार्यभार और उन्हें निपटाने की दरों में महत्वपूर्ण अंतर था।

31 अक्टूबर 2023 के बीच प्राप्त मामलों को मिलाकर) को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

कुल कार्यभार (पिछले वर्षों के लंबित मामलों और 1 नवंबर 2022 से

क) शून्य से 100 मामले: कुल कार्यभार के आधार पर 292 JJB में

¹¹⁶ जिला-स्तरीय विश्लेषण केवल उन 292 JJB के लिए संभव हो सका जिन्होंने कार्यभार के आंकड़े साझा किए। तेलंगाना, दिल्ली और कर्नाटक ने अपने राज्य के सभी JJB के सम्मिलित कार्यभार और केस निपटारे के आंकड़े दिए। इस जिला-स्तरीय विश्लेषण में राजस्थान के केवल 34 में से 15 JJB शामिल हैं, जिन्होंने अपने केसलोड का डेटा उपलब्ध कराया।

ज़िला स्तर पर विश्लेषण केवल उन 292 व्यक्तिगत 'किशोर न्याय बोर्डों' के लिए संभव हो पाया जिन्होंने केसों के आंकड़े उपलब्ध कराए। तेलंगाना, दिल्ली और कर्नाटक ने अपने-अपने राज्यों के सभी JJB का सामूहिक कार्यभार और निस्तारण प्रस्तुत किया। इस जिलावार विश्लेषण में राजस्थान के 34 में से केवल 15 JJB को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने मामलों के आंकड़े साझा किए।

से 120 इसी श्रेणी के पाए गए। 32 JJB केवल 25% या उससे कम मामलों का निपटारा कर सके।¹¹⁷ अरुणाचल, मेघालय और नगालैंड के चौदह¹¹⁸ बोर्ड्स ने बताया कि उन पर शून्य कार्यभार है। सात JJB (नगालैंड में 3, अरुणाचल प्रदेश के 3 और मध्य प्रदेश में 1)¹¹⁹ ने किसी भी मामले का निपटारा नहीं करने की सूचना दी हालांकि उनके पास मामले लंबित थे। अरुणाचल प्रदेश के 2- क्रा दादी और दिबांग वैली और नगालैंड के 1- मॉन JJB ने अपने सभी मामलों का निपटारा किया।

ख) 101 से 500 मामले: 123 बोर्ड्स (42%) पर मध्यम स्तर का कार्यभार था। इनमें से कोई भी सभी मामलों का निपटारा नहीं कर सका। केवल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ने 441 मामलों के साथ 92% मामलों का निपटारा किया। 4 JJB- मध्य प्रदेश के दतिया; हिमाचल प्रदेश के चंबा; उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और मिर्ज़ोरम के आइज़ोल ने 80% से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया। वहीं दूसरी ओर, असम के गोलपारा एवं उदलगुरी और केरल के वायनाड के JJB पर 200 से कम मामलों का कार्यभार होने के बावजूद, वे 10% से भी कम मामलों का निपटारा कर सके।

ग) 501 से 1000 मामले: इस श्रेणी के 25 JJB में से किसी ने भी 75% से अधिक मामलों का निष्पादन नहीं किया। मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान के टोंक ने अपने कुल 580 से अधिक मामलों में से 75% मामलों का निपटारा किया। ये इस श्रेणी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 8 JJB पर 530 से लेकर 998 मामलों का कार्यभार था। इन्होंने 20% से कम मामलों का निपटारा किया।

घ) 1000 से अधिक मामले: 18 JJB में से हरेक पर 1,000 से अधिक मामलों का कार्यभार था। 2,077 मामलों के साथ सबसे अधिक

कार्यभार मध्य प्रदेश के इंदौर के JJB पर था। उसके बाद मध्य प्रदेश के ही बैतूल में 1,810 मामले थे। वास्तव में, इन 18 उच्च-कार्यभार वाले जिलों में से 12 मध्य प्रदेश के थे। इनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या में काफी भिन्नता पाई गई। ओडिशा के सुंदरगढ़ (1,479 मामलों का कार्यभार) ने जहां सिर्फ 13% मामलों का निपटारा किया तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा (1,100 मामलों का भार) में मामलों की निपटान दर 78% के उच्चतम स्तर पर रही।

क़ानूनी सहायता

क़ानून यह स्वीकार करता है कि 'विधि विवादित बच्चों' को जटिल क़ानूनी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष सेवाओं और क़ानूनी प्रतिनिधित्व की ज़रूरत होती है। प्रभावी प्रतिनिधित्व का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और महत्वपूर्ण बात यह है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' में 'विधिक सेवा संस्थानों' द्वारा यह विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

मानक

'किशोर न्याय अधिनियम', इसकी आदर्श नियमावली और NALSA के नियम मिलकर क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने का स्पष्ट ढांचा तैयार करते हैं। राज्यों को स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों को तत्काल, निःशुल्क और सक्षम क़ानूनी सहायता मिले। यह अधिकार बच्चे को हर स्थिति मिलता है, चाहे उस पर किसी भी अपराध का आरोप हो या उसके मामले की जांच किसी भी चरण में हो। पुलिस द्वारा किसी बच्चे के पकड़े जाने पर तुरंत इसकी सूचना 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) को देना अनिवार्य है, जिसके बाद DLSA को क़ानूनी सहायता देने के लिए एक पैनल वकील नियुक्त करना चाहिए।¹²⁰

NALSA की नियमावली के तहत, हर DLSA को 'प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) से संबद्ध एक 'विधिक सेवा क्लिनिक' (LSC) स्थापित करना चाहिए।¹²¹ DLSA सचिव के लिए कुछ कार्य निर्धारित हैं- JJB के साथ समन्वय रखना ताकि समय पर क़ानूनी सेवाएं उपलब्ध हों, हर क्लिनिक में कार्यरत पैनल वकीलों और पैरालीगल वॉलनटियर्स की सूची साझा करे और SJPU और JJB दोनों 'विधिक सेवा संस्थानों' के ज़रिए क़ानूनी सेवाएं उपलब्ध कराएं।¹²²

117 अरुणाचल प्रदेश में 5 (पश्चिम कामेग, ऊपरी-सियांग, तिरप, ऊपरी-सुबनसारी, लोहित); असम में 2 (बिश्नूनाथ, चिरांग); हिमाचल प्रदेश में 2 (बिलासपुर, किन्नौर); जम्मू और कश्मीर में 6 (उधमपुर, डोडा, रियासी, रामबन, पुंछ, सांबा); झारखंड में 1 (जामताड़ा); केरल में 1 (पथनामथिता); मेघालय में 3 (पश्चिम खासी हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स); मिर्ज़ोरम में 1 (खाज़ाल); ओडिशा में 1 (देवगढ़) में और त्रिपुरा में 2 (उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा)।

118 अरुणाचल प्रदेश में 4 - कामले, कुरुंग कुमेय, पक्के-केसांग और शि-योमी; नगालैंड में 9 - चुमोकेदिमा, किफिरे, निउलैंड, नोकलाक, फेरन, शामतोर, त्सेमिन्यु, वोखा और जुन्हेबोटो और मेघालय में 1 - पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स।

119 नगालैंड में फेक, लॉंगलेंग और मोकोकचुंग, अरुणाचल प्रदेश में लेपा रादा, लोअर डिबांग वैली और नामसाई और मध्य प्रदेश में श्योपुर।

120 नियम 8(3), किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली 2016.

121 नियम 3, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियमन 2011. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://nalsa.gov.in/regulations/>

122 धारा 8(3), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

चित्र 5.9: JJB से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक

नवंबर 2023 तक जवाब देने वाले 437 JJB में से 305 में क्लिनिक संबद्ध थे।

छह राज्यों- मिज़ोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और दिल्ली ने बताया कि प्रत्येक JJB से एक क्लिनिक संबद्ध था।

छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने लगभग 80% JJB को क्लिनिक से संबद्ध कर लिया था।

दूसरी ओर, मणिपुर और नगालैंड में एक भी क्लिनिक मौजूद नहीं था।

50% से कम
 50% से 80%
 80% से 100%
 100%

	JJB से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक का प्रतिशत (नवंबर 2023 तक)	JJB के साथ कार्यरत पैनलबद्ध वकील	NALSA से प्राप्त आंकड़े: JJB/OBH/CWC से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक (मार्च 2025) ¹²³
दिल्ली	100.0	7/7	19
मिज़ोरम	100.0	9/11	0
राजस्थान	100.0	0/34	34
सिक्किम	100.0	0/4	4
तेलंगाना	100.0	9/10	9
त्रिपुरा	100.0	6/8	8
मध्य प्रदेश	98.0	NP	50
छत्तीसगढ़	96.4	20/28	27
कर्नाटक	88.2	34/34	29
ओडिशा	88.2	0/34	31
महाराष्ट्र ¹²⁴	79.4	28/34	30
आंध्र प्रदेश	69.2	13/13	6
जम्मू और कश्मीर	55.0	11/20	3
गोवा	50.0	2/2	0
हरियाणा	50.0	8/22	9
तमिलनाडु	50.0	0/38	43
असम	37.5	31/32	20
पंजाब	30.4	6/23	7
मणिपुर	0.0	0/16	0
नगालैंड	0.0	0/16	1

नोट: 1. राज्यों के नाम संबद्धता के प्रतिशत के घटते क्रम में दिए गए हैं। 2. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

स्रोत: RTI से प्राप्त जानकारी न अन्य स्रोत।

123 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण', अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान मौजूद 'विधिक सेवा क्लिनिकों' की संख्या। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/06/202506121393486667.pdf>

124 JJR को दो स्रोतों से अलग-अलग जानकारी प्राप्त हुई — 'महिला और बाल विकास विभाग' ने मई-जून 2022 की स्थिति के अनुसार 36 किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की सूची दी, जबकि 'महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' द्वारा अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 34 JJB दर्ज किए गए, जिनमें परभणी में दो और मुंबई उपनगरीय जिले में एक भी नहीं दर्शाया गया है।

NALSA के अनुसार मार्च 2025 तक देश में 510 'विधिक सेवा क्लिनिक' कार्यरत हैं और 73% JJB में विशेष 'विधिक सेवा क्लिनिक' थे।

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी

क्या प्रत्येक JJB से एक 'विधिक सेवा क्लिनिक' संबद्ध है? कितने बच्चों को कानूनी सहायता या परामर्श मिला और क्या DLSC ने 'किशोर न्याय अधिनियम' के मामलों के लिए पैनल वकीलों की विशेष सूची तैयार की है?

हमारे निष्कर्ष

केवल 18 राज्यों और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी जानकारीयां उपलब्ध कराईं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने केवल कुछ जिलों के बारे में जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश ने कोई जानकारी नहीं साझा की।

JJB से संबद्ध पैनल वकील: 'नालसा' (बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल-मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना, 2015 के अनुसार, प्रत्येक 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (SLSA) के लिए वकीलों का ऐसा एक अलग पैनल तैयार करना अनिवार्य है जो 'बाल कल्याण समितियों' (CWC) और 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) के समक्ष बच्चों का प्रतिनिधित्व करे। इसका मकसद पैनल वकीलों और JJB तथा CWC से संबद्ध 'विधिक सेवा क्लिनिकों' (LSC) के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है ताकि हर बच्चे को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और उसे निःशुल्क कानूनी सहायता और जरूरी मदद मिल सके।

वर्ष 2024 के संशोधन¹²⁶ के जरिए इस योजना के प्रावधानों को और सुदृढ़ किया गया है। अब प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए एक विशेष 'विधिक सेवा इकाई' होनी चाहिए जिसमें मौजूदा पैनल से कम-से-कम आठ पैनल वकीलों और दस पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLVs) को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं, अब तालुका स्तर पर एक पैनल वकील और दो PLV प्रतिनियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली केस

वर्ष 2022 में, 'दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (DCPCR) ने एक पैनल¹²⁷ गठित किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने की। इसमें तीन वकील शामिल थे ताकि 'विधि विवादित बच्चों' और दिल्ली के 'बाल देखरेख संस्थानों' में मौजूद बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। इस पैनल को एक "संरचनात्मक प्रणालीगत जांच" के रूप में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थायी बाधाओं को दूर करना था। निरीक्षणों में पाया गया कि जमानत आवेदन दाखिल करने में देरी होती थी¹²⁸ और कई बच्चों को यह भी नहीं पता था कि वे गृहों में क्यों हैं या उनके वकील कौन हैं।¹²⁹ आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

23 राज्यों और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों¹³⁰ के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 53 हजार बच्चों को कानूनी सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें से लगभग 4,100 को कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। राज्य और जिला स्तर से मिली जानकारी से एक अधूरी तस्वीर उभरती है: कुछ राज्यों में, JJB में बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की विशिष्ट सूची विधिवत तैयार की गई है; कुछ राज्यों ने सिर्फ बच्चों से जुड़े मामलों के लिए DLSC स्तर पर वकीलों का एक विशेष पैनल तैयार करने की सूचना दी (देखें चित्र 5.9)। हालांकि, अधिकांश राज्यों ने बच्चों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष वकीलों को नियुक्त नहीं किया और उनके मामलों को उपलब्ध पैनल वकीलों को सौंप दिया।

जानकारी उपलब्ध कराने वाले राज्य: ओडिशा ने बताया कि हालांकि सभी 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) से 'विधिक सेवा क्लिनिक' संबद्ध हैं, लेकिन JJB के लिए वकीलों का कोई अलग पैनल मौजूद नहीं है। वहीं, हिमाचल प्रदेश ने बताया कि उसकी नवगठित 'कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणालियां' (LADCs) बिलासपुर, चंबा और शिमला में बच्चों के मामलों पर कार्रवाई करती हैं, जबकि कुल्लू, लाहौल और स्पीति जैसे अन्य जिले पैनल वकीलों पर निर्भर हैं। मणिपुर कानूनी सहायता के लिए प्रत्येक JJB के लिए रिमांड वकील नियुक्त करता है। हरियाणा केवल अनुरोध या मांग पर ही रिमांड वकील नामित करता है।

125 नियम 10, 'नालसा' (बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल-मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना, 2015. इस लिंक पर उपलब्ध:

https://palsa.punjab.gov.in/media/documents/NALSA_Child_Friendly_Scheme.pdf

126 नियम 5, 'नालसा' (बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल-मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना, 2015. इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/202504081834821576.pdf>

127 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली, N.C.T. सरकार, आदेश संदर्भ संख्या F4 (JJ2)/1/DCPCR/2021-22/SM/16612-628, दिनांक 3 जनवरी 2022. आदेश इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://drive.google.com/file/d/1J5A1HRkSz6kWoYQadCB2ee3867-lqXSy/view>

128 "बच्चों को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिल रही": न्यायमूर्ति मदन लोकुर DCPCR पैनल की अध्यक्षता करेंगे ताकि दिल्ली के किशोर गृहों का मूल्यांकन किया जा सके, बार एंड बेंच, 6 जनवरी 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.barandbench.com/news/litigation/justice-madan-lokur-to-head-dcpcr-panel-to-assess-delhi-juvenile-homes>

129 "क्या बच्चों को कानूनी सहायता मिल रही है? पैनल पता लगाएगा", द इंडियन एक्सप्रेस, 6 जनवरी 2022. इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://indianexpress.com/article/cities/delhi/are-children-getting-legal-aid-panel-to-find-out-7708828/>

130 अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने केवल आंशिक जिलावार आंकड़े उपलब्ध कराए।

कुल मिलाकर, केवल कुछ राज्यों ने बच्चों से जुड़े मामलों के लिए विशेष पैनल तैयार करने की जानकारी दी। अधिकांश राज्य ज़रूरत के अनुसार वकीलों को प्रतिनियुक्त करते हैं, जिससे बच्चों को वह विशेष सहायता नहीं मिल पाती है जिसकी इस योजना में कल्पना की गई है।

NALSA द्वारा बच्चों के लिए वकीलों का विशिष्ट पैनल तैयार करने का प्रावधान लागू न होने से 'किशोर न्याय अधिनियम' की बाल-केंद्रित

कार्यवाही की परिकल्पना ज़मीन पर नहीं उतर पाती। कुशल विशेषज्ञों के बजाय, मामलों के फ़ैसले इस पर निर्भर करते हैं कि प्रतिनियुक्त वकीलों की क्षमता और अनुभव क्या है। आंशिक अनुपालन के बावजूद, विशिष्ट रोस्टर तैयार न होने से क़ानून का मक़सद अधूरा रह जाता है। जहां समर्पित पैनल मौजूद हैं, वहां बच्चों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता है; हालांकि जहां ऐसा नहीं है, वहां क़ानून के पुनर्वास संबंधी मक़सद के नज़रअंदाज़ होने का ख़तरा बना रहता है।

चित्र 5.10: - राज्यों द्वारा प्रदान की गई क़ानूनी सहायता और सेवाओं के लाभार्थी (2022-23)

	विधिक सेवा क्लिनिक से संपर्क करने वाले बच्चे	क़ानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले बच्चे	क़ानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने वाले बच्चे
आंध्र प्रदेश ¹³¹	131	149	149
अरुणाचल प्रदेश	NP	NP	NP
असम	336	321	419
बिहार	2,088	1,083	2,694
छत्तीसगढ़	2,746	694	2,908
दिल्ली	3,141	NP	NP
गोवा	17	17	17
गुजरात	NP	NP	NP
हरियाणा	163	126	374
हिमाचल प्रदेश ¹³²	14	7	14
जम्मू और कश्मीर	123	122	142
झारखंड	NP	NP	NP
कर्नाटक	321	NP	NP
केरल	468	231	594
मध्य प्रदेश	610	NP	18,027
महाराष्ट्र	567	215	1,141
मणिपुर	0	0	41
मेघालय	25	46	46
मिज़ोरम	125	206	235
नगालैंड	1,331	NP	NP
ओडिशा	NP	NP	NP
पंजाब	399	216	393
राजस्थान	173	NP	NP
सिक्किम	19	NP	NP
तमिलनाडु	3,081	NP	691
तेलंगाना	171	NP	NP
त्रिपुरा	48	25	48
उत्तर प्रदेश	NP	NP	NP
उत्तराखंड	484	48	345
पश्चिम बंगाल	1,052	606	3,154
अखिल भारतीय	17,633	4,112	31,432

नोट: 1. विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों की संख्या अलग-अलग है और इन्हें एक-दूसरे के साथ या तुलना कर नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
2. राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।
क. 26 में से केवल 13 ज़िलों ने जवाब दिए।
ख. 12 में से केवल 7 ज़िलों ने जवाब दिया।
स्रोत: राज्यों से प्राप्त RTI जवाब।

¹³¹ 26 में से केवल 13 ज़िलों ने जानकारी उपलब्ध कराई।

¹³² 12 में से केवल 7 ज़िलों ने जानकारी उपलब्ध कराई।

बाल देखरेख संस्थान

'बाल देखरेख संस्थान' (CCI) 'विधि विवादित बच्चों' की अभिरक्षा और पुनर्वास के दौरान देखरेख की रीढ़ होते हैं। JJ एक्ट के अनुसार, राज्यों के लिए स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से CCI स्थापित करना अनिवार्य है। CCI दो प्रकार के होते हैं: पहला, 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' (CNCP) के लिए और दूसरा, 'विधि विवादित बच्चों' (CCL) के लिए। CCI की परिकल्पना बच्चों को समुदाय के करीब रखने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर आधारित है। ये सुविधाएं बच्चे के समुदाय के निकट होनी चाहिए और उम्र, लिंग और अपराध के आधार पर बच्चों को अलग-अलग केंद्रों में रखा जाना चाहिए। ये संस्थान ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को शिक्षा, कौशल, परामर्श और देखरेख प्रदान करते हुए उन्हें नकारात्मक प्रभावों से बचा सकें। इन संस्थानों की परिकल्पना बच्चों को सर्वांगीण विकास का मौका देने वाले "घर से दूर एक घर"¹³³ के रूप में की गई है, ताकि वे फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और उनका पुनर्वास हो सके।

मानक

क़ानून के अनुसार, सभी CCI पंजीकृत होने चाहिए तथा और इनके लिए 'किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2016' में निर्धारित देखरेख के न्यूनतम मानकों संबंधी शर्तों का पालन अनिवार्य है। इन शर्तों में लड़कियों और लड़कों के लिए उम्र के आधार पर अलग-अलग CCI उपलब्ध कराना शामिल है।¹³⁴

प्रत्येक राज्य के लिए स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित संस्थानों¹³⁵ की स्थापना और रखरखाव अनिवार्य है:

- क) प्रत्येक ज़िले या कुछ ज़िलों के लिए एक 'पर्यवेक्षण गृह'।
- ख) प्रत्येक ज़िले या कुछ ज़िलों के लिए एक 'विशेष गृह'।
- ग) राज्य में कम-से-कम एक 'सुरक्षित स्थान' ज़रूर होना चाहिए।

इसके अलावा, 'बाल कल्याण समिति' या 'किशोर न्याय बोर्ड' किसी बच्चे को अस्थायी रूप से 'उपयुक्त सुविधा' में रखने की अनुमति दे सकते हैं।¹³⁶ इस 'उपयुक्त सुविधा' का उपयोग किसी बच्चे की व्यवस्था के बारे में फ़ैसला होने से पहले, उसके लिए तत्काल अल्पकालिक सुरक्षित देखभाल की ज़रूरत होने पर किया जाता है। JJ एक्ट के तहत

'उपयुक्त सुविधा' को सरकार या किसी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। यहां विशिष्ट उद्देश्य के लिए बच्चे की अस्थायी देखभाल की जाती है। ऐसी सुविधा में निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन होना आवश्यक है ताकि बच्चे की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

उम्र और अपराध की गंभीरता के आधार पर, तीनों प्रकार के संस्थानों में केवल 'विधि विवादित बच्चों' को ही रखा जाता है। जांच लंबित रहने के दौरान, बच्चे को अस्थायी उपाय के रूप में 'पर्यवेक्षण गृह' भेज दिया जाता है। 'विशेष गृह' उन बच्चों के दीर्घकालिक पुनर्वास और संरक्षण के लिए होते हैं जो किसी अपराध में दोषी पाए जाते हैं। 16 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों के लिए 'सुरक्षित स्थान' स्थापित किए जाते हैं जिन पर गहन अपराध का आरोप है या जो इसके दोषी पाए गए हैं। 'सुरक्षित स्थान' में उन बच्चों को भी रखा जाता है जिन्होंने कम उम्र में कोई गंभीर अपराध किया हो या ऐसा शक हो, लेकिन कार्यवाही लंबित रहने के दौरान वे 16 से 18 वर्ष के हो गए हों।¹³⁷ आदर्श रूप से, क़ानून में लड़कियों के लिए पूरी तरह से पृथक संस्थानों की परिकल्पना की गई है।

2016 की नियमावली¹³⁸ में इन संस्थानों के लिए निम्नलिखित 15 कर्मचारी प्रस्तावित किए गए हैं:

1. एक प्रभारी या अधीक्षक;
2. एक चिकित्सा अधिकारी (फ़िजिशियन) जो बुलाए जाने पर उपलब्ध हो और एक नर्स या नर्सिंग सहायक या पैरा-मेडिक कर्मचारी जो हर वक्त उपलब्ध रहे;
3. प्रशिक्षित काउंसलर/परामर्शदाता या मनोचिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ;
4. अन्य कर्मचारियों में शामिल हैं- 'पुनर्वास-सह-नियोजन अधिकारी', शिक्षक; 'परिवीक्षा अधिकारी'; 'बाल कल्याण अधिकारी'; केस वर्कर और पीटी-सह-योग प्रशिक्षक।

कर्मचारियों की संख्या क्षमता के आधार पर तय की जाती है, जो संस्थान में बच्चों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बढ़नी चाहिए। साथ ही, संस्थान में जिस उम्र या लिंग के बच्चे हों, कर्मचारियों का कौशल भी उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन ज़रूरी है।

133 अध्याय 3, 'संस्थागत सेवाएं', मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश 2022। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf>

134 नियम 29, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016।

135 धारा 47-49, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

136 धारा 51, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

137 नियम 29, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016।

138 नियम 26, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016।

राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी से मांगी गई जानकारी

31 अक्टूबर, 2023 तक तीन प्रकार के 'बाल देखरेख संस्थानों'- 'पर्यवेक्षण और विशेष गृह', तथा 'सुरक्षित स्थान' में से कितने-कितने संस्थान उपलब्ध थे। इसके अलावा निम्नलिखित जानकारी मांगी गई: क) प्रत्येक की स्वीकृत क्षमता और रखे गए बच्चों की संख्या, ख) प्रभावी, परामर्शदाताओं, चिकित्सा अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या; ग) संचालित व्यावसायिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का विवरण।

हमारे निष्कर्ष

CCI की मौजूदगी: विशिष्ट श्रेणियों के बच्चों के लिए जिला और राज्य स्तर पर उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के अनुपालन में बहुत बड़ा अंतर सामने आया। पूर्वोत्तर के सभी छोटे राज्यों ने सभी मानदंडों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए। लेकिन बिहार, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु सहित ज्यादा आबादी वाले राज्यों ने कोई जानकारी साझा नहीं की। केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड ने आंशिक जानकारी उपलब्ध कराई। कुछ राज्यों ने संस्थानों के स्थान और संख्या के बारे में कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए, लेकिन संस्थागत बच्चों की संख्या या मौजूद कर्मचारियों के बारे में जानकारी नहीं दी। चूंकि बाल देखरेख संस्थानों और इनमें रहने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में RTI आवेदन से बहुत कम जानकारी मिल सकी, इसलिए यह अध्ययन लोकसभा¹³⁹ में पूछे गए एक प्रश्न पर आधारित है। कर्मचारियों (देखें चित्र 5.12) और व्यवसायिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के निष्कर्ष राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। (देखें बॉक्स)

2024 तक, सभी 28 राज्यों और दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर में कुल मिलाकर 319 'पर्यवेक्षण गृह' (OBH); 14 'पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह' (OBH-SH), 41 'विशेष गृह' (SH) और 40 'सुरक्षित स्थान' (PoS) थे।

पर्यवेक्षण गृह: गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने बताया कि उसके दोनों जिलों में 'पर्यवेक्षण गृह' मौजूद हैं। राजस्थान अपने 42 जिलों

में 40 'पर्यवेक्षण गृहों' के साथ करीब रहा। मिजोरम और महाराष्ट्र ने जिलों की तुलना में अधिक 'पर्यवेक्षण गृह' होने की सूचना दी। दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा ने बताया कि उनके यहां कोई विशेष 'पर्यवेक्षण गृह' नहीं है। तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, असम, पंजाब और गुजरात के केवल 20% जिलों में 'पर्यवेक्षण गृह' उपलब्ध थे। ओडिशा ने बताया कि हालांकि उसके यहां कोई विशेष 'पर्यवेक्षण गृह' नहीं है, लेकिन यह अपने 30 में से 7 जिलों में 'पर्यवेक्षण गृहों' और 'विशेष गृहों' को मिलाकर एकिकृत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और हर संस्थान एक से अधिक जिलों के लिए उपलब्ध है। अन्य राज्य भी इस तरह से ही संस्थानों का इंतजाम करते हैं। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश (1) और हिमाचल प्रदेश (2) में 'विधि विवादित बच्चों' के लिए एक संयुक्त 'पर्यवेक्षण एवं विशेष गृह' के अलावा कोई अन्य सुविधा केंद्र नहीं था। आंध्र प्रदेश (2), तेलंगाना (1) और मणिपुर (1) में भी विशिष्ट 'पर्यवेक्षण एवं विशेष गृहों' के अलावा ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध थीं जिनमें कुल मिलाकर 8,737 बच्चे रखे गए थे।

विशेष गृह: राज्य 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों के लिए 'विशेष गृह' का निर्माण भी कर सकते हैं जिन्होंने जघन्य अपराध न किया हो। देश भर में ऐसे 41 गृह हैं लेकिन ये हर जगह उपलब्ध न होकर, केवल 19 राज्यों¹⁴⁰ और दिल्ली में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 4, मध्य प्रदेश में 3 और अन्य 10 राज्यों¹⁴¹ में दो-दो गृह हैं। छह राज्यों¹⁴² और दिल्ली में केवल एक-एक गृह है। कुल मिलाकर इनमें 389 बच्चों को रखा गया है।

सुरक्षित स्थान: 'सुरक्षित स्थान' 16 से 18 वर्ष के बीच के उन बच्चों के लिए होते हैं जो जघन्य अपराधों के आरोपी हों या इसके लिए दोषी पाए गए हों। यहां उन बच्चों को भी आश्रय मिलता है जिन्होंने नाबालिग रहते हुए कोई गंभीर अपराध किया हो या उन पर ऐसा संदेह हो, लेकिन वे न्यायिक कार्यवाही के दौरान वयस्क हो चुके हैं।¹⁴³ प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक ऐसा गृह होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 40 गृह हैं। 14 राज्यों¹⁴⁴ में एक भी 'सुरक्षित स्थान' नहीं है जबकि नौ राज्यों¹⁴⁵ में एक-एक गृह है। वहीं 7 राज्यों¹⁴⁶ में ऐसे एक से अधिक गृह हैं जिनकी संख्या 2 से 12 के बीच है। कुल मिलाकर इनमें 781 बच्चों को रखा गया है।

139 लोक सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 4264, दिनांक 20 दिसंबर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqals

140 आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

141 आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

142 बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा।

143 नियम 29, किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016.

144 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

145 असम, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश।

146 बिहार (5), छत्तीसगढ़ (5), हरियाणा (3), मेघालय (2), राजस्थान (12), तमिलनाडु (2) और उत्तराखंड (2)।

बोस्टल स्कूल

‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया (PSI) 2023 के मुताबिक बोस्टल स्कूल अभी भी मौजूद हैं।¹⁴⁷ औपनिवेशिक काल के बोस्टल स्कूल अधिनियम, 1929 के तहत स्थापित ये स्कूल अब चुनिंदा क्षेत्रों में राज्य-स्तरीय कानूनों के अधीन संचालित होते हैं। मूल रूप से युवा अपराधियों के पुनर्वास के लिए बोस्टल स्कूलों की परिकल्पना की गई थी। ये विशेषकर गरीबी, सदमे या उपेक्षा के कारण अपराध करने वाले 16 से 21 वर्ष की आयु के युवा अपराधियों के लिए स्थापित किए गए थे। इसका मकसद इन युवाओं को सुव्यवस्थित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक समर्थन के ज़रिए एक और अवसर प्रदान करना है। PSI 2023 के अनुसार,

ऐसे संस्थानों में केवल युवकों को ही रखा गया है जिसमें 402 विचाराधीन कैदी और 24 दोषी करार दिए गए युवक हैं। पंजाब के 500 की क्षमता वाले बोस्टल स्कूल में 342 कैदी रखे गए हैं, जबकि तमिलनाडु के तीन बोस्टल स्कूलों में तीन कैदी हैं।

आज किशोर न्याय की व्यापक संरचनात्मक परिकल्पना में बोस्टल स्कूलों का मूल दर्शन और उपयोगिता शामिल है। ये स्कूल अब पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल जैसे कुछ ही राज्यों में बचे हैं। इन राज्यों में भी वे संभवतया रिक्तियों, अप्रशिक्षित कर्मचारियों और अपर्याप्त निरीक्षण या जवाबदेही जैसी व्यवस्थागत समस्याओं से जूझ रहे हैं जिससे समूची अभिरक्षा व्यवस्था प्रभावित है।

जिस ज़िले में JJ एक्ट द्वारा परिकल्पित सभी विशेष और निर्दिष्ट संस्थान मौजूद नहीं होते, वहां ‘विधि विवादित बच्चों’ को भी जघन्य अपराध में शामिल अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के साथ ही मिश्रित सुविधाओं में रखा जाता है। इसी स्थिति से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। गृहों की असमान उपलब्धता और कर्मचारियों एवं संसाधनों की लगातार कमी के कारण, अलग-अलग उम्र और विभिन्न अपराधों में शामिल बच्चों को एक साथ रखने का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि इससे बचने की पूरी कोशिश रहती है। इस कारण आयु और अपराध के अनुसार हस्तक्षेप प्रदान करने की प्रणालीगत क्षमता सीमित हो जाती है। कर्मचारी, समय और बजट की अपर्याप्तता के कारण बच्चों को ज़रूरी शिक्षा, कौशल और परामर्श मिलना और उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुमकिन नहीं हो पाता, जो उनके सार्थक पुनर्वास के लिए ज़रूरी है। कुल मिलाकर, ये कमियां JJ एक्ट के मूल सिद्धांतों की राह में अवरोध खड़े करती हैं जिनका मकसद बच्चे की सुरक्षा और प्रत्येक कार्यवाही को सुधार की ओर उन्मुख करना है।

‘मिशन वात्सल्य’ के दिशानिर्देशों के तहत, ‘बाल देखरेख संस्थानों’ (CCI) की मानक क्षमता 50 बच्चों की देखरेख करने की है जिसे पूर्वोत्तर, हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए घटाकर 25 कर दिया गया है। हालांकि, प्रत्येक संस्थान की निर्धारित क्षमता के बारे में सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जो स्थानीय क्षमता और राज्य-स्तरीय व्यवस्थाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। पारदर्शिता की कमी से यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि इन संस्थानों का कितना बेहतर या समुचित उपयोग किया जा रहा है। जैसे, उत्तर प्रदेश के 2 ‘विशेष गृहों’ में केवल पांच बच्चे रह रहे थे जबकि छत्तीसगढ़ के 7 ‘विशेष गृहों’ में कुल मिलाकर केवल आठ बच्चे रह रहे थे।

गृहों की सीमित जानकारी संकेत देती है कि नकारात्मक परिणाम आना तय है। लोकसभा के 2024 के आंकड़ों (देखें चित्र 5.11) के अनुसार, 75 ज़िलों वाले उत्तर प्रदेश में केवल 28 ‘पर्यवेक्षण गृह’ हैं जिनमें 1,397 बच्चे रह रहे थे। इसका मतलब है कि कुछ मामलों में, बच्चे ज़रूर अपने घर के इलाके से दूर रखे गए होंगे। इससे कानूनी कार्यवाही बाधित हुई होगी, प्रक्रियागत संबंधी देरी हुई होगी और पहले से ही तनावग्रस्त परिवार अपने बच्चे की मदद नहीं कर सके होंगे। राजस्थान में ‘बाल देखरेख संस्थानों’ की संख्या कानूनी प्रावधानों के आस-पास है। सूबे में 12 ‘सुरक्षित स्थान’ और 40 ‘पर्यवेक्षण गृह’ हैं लेकिन कोई ‘विशेष गृह’ नहीं है। ऐसे में यह चिंता बढ़ जाती है कि कम जघन्य अपराध में शामिल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को या तो ‘पर्यवेक्षण गृहों’ या फिर ‘सुरक्षित स्थानों’ में रखा जाता होगा जबकि ये दोनों संस्थान ज़्यादा उम्र के जघन्य अपराधों के आरोपी बच्चों के लिए हैं। यह साफ़ नहीं है कि जघन्य अपराधों के दोषी पाए गए 16 से 18 साल के बीच के बच्चे कहां रखे जा रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि ऐसे बच्चों को या तो वयस्कों

वर्ष 2024 में 414 सुविधा केंद्रों में लगभग 10,000 बच्चों को संस्थागत देखरेख में रखा गया था। 8,700 से ज़्यादा बच्चे ‘पर्यवेक्षण गृहों’, 389 ‘विशेष गृहों’ में और 781 ‘सुरक्षित स्थान’ में रह रहे थे। महाराष्ट्र (1,910), उत्तर प्रदेश (1,412) और बिहार (1,154) में संस्थागत देखरेख प्राप्त बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जबकि त्रिपुरा (10), अरुणाचल प्रदेश (5) और गोवा (4) में यह सबसे कम थी। इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में तीनों प्रकार के गृह मौजूद थे। महाराष्ट्र, में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन केवल ‘पर्यवेक्षण गृह’ मौजूद था और कोई भी ‘सुरक्षित स्थान’ नहीं था। (लोकसभा प्रश्न 4264)

147 तालिका 27, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2023, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.ncrb.gov.in/table-contents-of-psi-reports.html?year=2023>

की जेलों या फिर छोटे या कम जोखिम वाले बच्चों के लिए बनाए गए सुविधा केंद्रों में रखा जा रहा होगा।

संस्थानों की उपलब्धता, कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा उपायों, परामर्श या शिक्षा के बारे में नियमित, प्रमाणित और पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में यह मूल्यांकन करना असंभव है कि क्या

सावधानीपूर्वक तैयार किए गए ये संस्थान JJ एक्ट के उस मक़सद को पूरा करते हैं, जिसके अनुसार इन्हें संवेदनशीलता के साथ बच्चों का पुनर्वास करना है। इसके मायने यह भी हैं कि संस्थानों की कार्यक्षमता की निगरानी करने, उनकी कमियों को दूर करने या बच्चों के जीवन पर उनकी कार्य-कुशलता और सार्थक प्रभाव का मूल्यांकन करने का कोई समुचित तरीका मौजूद नहीं है।

चित्र 5.11: विधि विवादित बच्चे और संस्थानीकरण (2024)

राज्य	जिले	गृहों की संख्या				बच्चे की संख्या			
		पर्यवेक्षण गृह हर ज़िला या ज़िले के समूहों के लिए 1	पर्यवेक्षण गृहों में रह रहे बच्चे	'सुरक्षित स्थान' प्रति राज्य 1	विशेष गृह राज्य प्रति ज़िले या ज़िले के समूहों में एक स्थापित कर सकता है	पर्यवेक्षण गृहों में रह रहे बच्चे	पर्यवेक्षण गृह-सह-विशेष गृहों में रह रहे बच्चे	'सुरक्षित स्थानों' में रह रहे बच्चे	विशेष गृहों में रह रहे बच्चे
आंध्र प्रदेश	26	9	2	0	2	108	73	0	8
अरुणाचल प्रदेश	28	0	1	0	0	0	5	0	0
असम	35	5	0	1	0	131	0	5	0
बिहार	38	20	0	5	1	892	0	250	12
छत्तीसगढ़	33	14	0	5	7	301	0	85	8
दिल्ली	11	3	0	1	1	91	0	32	4
गोवा	2	2	0	0	2	4	0	0	0
गुजरात	33	6	0	0	0	300	0	0	0
हरियाणा	22	3	0	3	1	94	0	125	42
हिमाचल प्रदेश	12	0	2	0	0	0	40	0	0
जम्मू और कश्मीर	20	2	0	0	0	68	0	0	0
झारखंड	24	13	0	1	1	434	0	0	11
कर्नाटक	31	17	0	1	1	109	0	8	23
केरल	14	8	0	1	2	18	0	8	10
मध्य प्रदेश	55	18	0	0	3	570	0	0	90
महाराष्ट्र	36	53	0	0	0	1,910	0	0	0
मणिपुर	16	4	1	1	2	36	25	1	2
मेघालय	12	3	0	2	2	15	0	10	9
मिज़ोरम	11	12	0	1	2	179	0	12	52
नगालैंड	16	12	0	0	2	34	0	0	12
ओडिशा	30	0	7	1	0	0	312	50	0
पंजाब	23	4	0	0	2	142	0	0	8
राजस्थान	41	40	0	12	0	695	0	99	0
सिक्किम	6	3	0	0	0	39	0	0	0
तमिलनाडु	38	10	0	2	4	202	0	41	32
तेलंगाना	33	3	1	0	1	100	41	0	45
त्रिपुरा	8	3	0	0	1	9	0	0	1
उत्तर प्रदेश	75	28	0	1	2	1,379	0	28	5
उत्तराखंड	13	10	0	2	2	108	0	27	15
पश्चिम बंगाल	23	14	0	0	0	273	0	0	0
कुल	765	319	14	40	41	8,241	496	781	389

नोट: राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णाला के क्रम में हैं। स्रोत: लोकसभा प्रश्नोत्तर (2024)

व्यावसायिक कौशल और शिक्षा

‘आदर्श किशोर न्याय नियमावली’ के अनुसार हरेक ‘बाल देखरेख संस्थान’ में आयु, योग्यता और रुचि आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। इसके तहत बच्चों को विशेष रूप से मुख्यधारा, ओपन स्कूल, ब्रिज प्रोग्राम और अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना और विकलांग बच्चों को विशेष सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। व्यावसायिक प्रशिक्षण ऐसे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के जरिए प्रदान किया जाना चाहिए, जो प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराते हों। ‘मिशन वात्सल्य’ में कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालयों के जरिए संस्थागत बच्चों के कौशल विकास और उनकी शिक्षा में सहायता के लिए विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य के महत्व को विशेष जोर दिया गया है।¹⁴⁸

IJR ने ‘विधि विवादित बच्चों’ को उपलब्ध कराए जाने वाले शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के महत्वपूर्ण विषय के आकलन का प्रयास किया। इससे मिली सीमित जानकारी से कानूनी प्रावधान और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर सामने आया। 28 राज्यों में से केवल 14 ने ही आंकड़े उपलब्ध कराए, जिनमें से अधिकांश ने सीमित और असंगत जानकारीयां साझा कीं। आम तौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण में मोमबत्ती बनाना, LED बल्ब की मरम्मत करना, जूट शिल्प निर्माण, पाक-कला और बागवानी शामिल थे। कुछ राज्यों ने अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी बताया:

- ओडिशा और राजस्थान ने प्लम्बिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कौशल प्रदान करने के लिए निजी संस्थानों के साथ

साझादारी की है।

- पंजाब और महाराष्ट्र एयर कंडीनिंग, रेफ्रिजरेशन, कंप्यूटर टाइपिंग, वायरिंग और ब्यूटिशियन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- केवल ‘विशेष गृहों’ से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने वाला तेलंगाना फोटोग्राफी, धुरी (एक तरह की कालीन) बुनाई और इनडोर खेलों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

बच्चों को अभी भी बहुत सीमित स्तर पर औपचारिक शिक्षा मिल पाती है, जबकि ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की गारंटी देता है। केवल 6 राज्यों और दिल्ली ने शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित जानकारी प्रदान की। केवल दिल्ली, ओडिशा और राजस्थान ने औपचारिक शिक्षा के अवसरों के बारे में कुछ जानकारी साझा की।

- दिल्ली ने बच्चों को ‘राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान’ (NIOS) की कक्षाओं से जोड़ा।
- असम के जोरहाट गृह के लिए सिर्फ दो स्वैच्छिक शिक्षक उपलब्ध थे।
- ओडिशा ने कहीं अधिक व्यवस्थित प्रावधान करते हुए ‘जिला शिक्षा अधिकारी’ के माध्यम से तीन गृहों में शिक्षकों की नियुक्ति की थी।
- तेलंगाना ने बताया कि वह अपने किसी भी गृह में कोई औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित नहीं करता है।

स्वीकृत और नियुक्त कर्मचारी: अन्य प्रश्नों की तरह, कर्मचारियों की संख्या के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध कराई गई।¹⁴⁹ केवल 14 राज्यों और दिल्ली ने कर्मचारियों की संख्या के बारे में भी जानकारी साझा की। बिहार, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु सहित अधिक आबादी वाले कई राज्यों ने कोई जवाब नहीं भेजा। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड ने आंशिक जानकारी उपलब्ध कराई। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने कर्मचारियों की संख्या से जुड़ी सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों ने भी ऐसा ही किया।

कानून के अनुसार प्रत्येक CCI में प्रभारी नियुक्त करना अनिवार्य है, इसके बावजूद जानकारी साझा करने वाले 15 राज्यों के 128 CCI में केवल 82 प्रभारी ही नियुक्त थे, (देखें चित्र 5.12)। यह स्पष्ट नहीं था कि ‘प्रभारी व्यक्ति’ एक पूर्णकालिक अधीक्षक था या संस्थान की देखरेख की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को दी गई थी। कुछ राज्यों में इनकी संख्या चिंताजनक रूप से कम थी। जैसे, पश्चिम बंगाल ने केवल एक प्रभारी नियुक्त करने की सूचना दी और तेलंगाना के 11

सुविधा केंद्रों में से केवल तीन में ही प्रभारी थे। केवल असम, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम और सिक्किम ने बताया कि उनके प्रत्येक CCI में एक प्रभारी नियुक्त हैं।

इसी तरह, चिकित्सा अधिकारियों की भी बहुत ज़्यादा कमी सामने आई जबकि प्रत्येक CCI के लिए “कम-से-कम एक चिकित्सा अधिकारी (फिजिशियन) की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो बुलाए जाने पर उपलब्ध हो।”¹⁵⁰ 128 संस्थानों में से केवल 28 के लिए चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध थे यानी कि लगभग 80% CCI के लिए कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। हिमाचल प्रदेश, केरल, मिज़ोरम, नगालैंड या त्रिपुरा के किसी भी गृह के लिए एक भी चिकित्सा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।

पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तराखंड में ने बताया कि उनके यहां केवल एक-एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता का अर्थ सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर एक

148 अध्याय 5, ‘अभिसरण’, मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश 2022.

149 कर्मचारी संख्या की जानकारी RTI जवाबों पर आधारित है।

150 नियम 26(7), किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016.

चित्र 5.12: विधि विवादित बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्थानों में उपलब्ध कर्मचारी

	गृहों की संख्या				स्टाफ़ की संख्या		
	OBH	विशेष गृह	सुरक्षित स्थान	कुल गृह	चिकित्सक	प्रभारी	परामर्शदाता
असम ¹⁵¹	5	0	0	5	5	5	4
दिल्ली ¹⁵²	3	1	2	6	NP	1	3
हरियाणा ¹⁵³	3	1	3	7	3	3	2
हिमाचल प्रदेश ¹⁵⁴	2	NA	NA	2	0	2	2
केरल ¹⁵⁵	6	1	1	8	0	9	6
महाराष्ट्र ¹⁵⁶	13	2	2	17	8	8	6
मेघालय ¹⁵⁷	3	2	2	7	3	5	5
मिज़ोरम	12	2	1	15	0	15	15
नगालैंड	11	2	1	14	0	11	11
ओडिशा ¹⁵⁸	7	NA	1	8	3	3	6
सिक्किम	2	0	NP	2	2	2	4
तेलंगाना	4	2	5	11	1	3	0
त्रिपुरा	3	3	1	7	0	6	5
उत्तराखंड ¹⁵⁹	8	NP	NP	8	1	6	0
पश्चिम बंगाल ¹⁶⁰	5	3	3	11	1	1	2
15 राज्यों का कुल	87	19	22	128	28	82	71

‘फ़िजिशियन’ या योग्य डॉक्टर के उपलब्ध होने से नहीं है, बल्कि इसमें पैरा-मेडिकल और नर्स या नर्सिंग सहायक जैसे अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, जैसा कि असम में है।

प्रत्येक संस्थान में कम-से-कम दो परामर्शदाता, मनोचिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की अनिवार्य नियुक्ति के प्रावधान का भी पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया। साझा की गई जानकारी के मुताबिक, कुल मिलाकर केवल 69 परामर्शदाता ही उपलब्ध थे। इसका अर्थ है कि जानकारी उपलब्ध कराने वाले आधे से अधिक संस्थानों के पास समर्पित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध नहीं थे। तेलंगाना और उत्तराखंड ने बताया कि उनके यहां ऐसी कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

RTI आवेदन के जवाब में मिली कुछ जानकारीयां भी अधूरी थीं। जैसे,

हरियाणा ने केवल ‘पर्यवेक्षण गृहों’ के कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराई। उत्तराखंड ने केवल आठ गृहों के आंकड़े साझा किए और केरल के केवल छह जिलों ने जवाब दिया। इसके बावजूद, यह सीमित आंकड़ा भी आवश्यक कर्मचारियों की गंभीर कमी को साफ़ तौर से सामने लाता है जिससे किशोर न्याय ढांचे के तहत ज़रूरी देखरेख के न्यूनतम मानकों को पूरा करने की उनकी क्षमता संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

परिवीक्षा

‘विधि विवादित बच्चों’ के संदर्भ में भी परिवीक्षा का वही अर्थ है जो ‘अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958’ के मानकों और प्रक्रियाओं में समाहित है। ‘अपराधी की परिवीक्षा अधिनियम’ के तहत केवल मामूली या पहली बार अपराध करने वालों को कारावास के विकल्प के रूप में

151 असम में पांच पैरा-मेडिक कर्मचारी हैं, जिनमें से एक-एक पांचों ‘पर्यवेक्षण गृहों’ में तैनात हैं।

152 केवल ‘विशेष गृहों’ की जानकारी दी।

153 हरियाणा ने केवल ‘पर्यवेक्षण गृह’ के स्टाफ़ की जानकारी दी।

154 हिमाचल प्रदेश ने कहा कि बालक और बालिकाओं के लिए दो ‘पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह-सह-सुरक्षित’ स्थान हैं।

155 केवल 6 जिलों ने जानकारी उपलब्ध कराई - अलपुझा, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोझिकोड तिरुअनंतपुरम और त्रिशूर।

156 सात जिलों - औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले (2), जलगांव (2), कोल्हापुर (3), नांदेड़ और पुणे (3) ने ‘बाल देखरेख संस्थानों’ की जानकारी दी।

157 केवल ‘पर्यवेक्षण गृहों’ ने डॉक्टरों की मौजूदगी की जानकारी दी।

158 ओडिशा में सात एकीकृत गृह (पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह) और एक ‘सुरक्षित स्थान’ है।

159 केवल चार जिलों - अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर ने ‘पर्यवेक्षण गृह’ के आंकड़े उपलब्ध कराए। इनमें से केवल अल्मोड़ा में एक स्वास्थ्य अधिकारी था। शेष में कोई चिकित्सक नहीं था।

160 केवल नादिया और हावड़ा जिलों ने गृहों में स्टाफ़ की संख्या की जानकारी दी।

161 धारा 3, 4 और 6, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958. इस लिंक पर उपलब्ध:

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15408/1/the_probation_of_offenders_act%2C_1958.pdf

नोट: राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं। स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर।

परिवीक्षा दी जाती है। वहीं, JJ एक्ट के तहत यह सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, चाहे अपराध का प्रकार, संख्या या गंभीरता कुछ भी हो। यह जज को ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी देकर रिहा करने या उनके लिए अच्छे आचरण संबंधी बाध्यकारी शर्तें तय करने का अधिकार देता है।

हालांकि JJ एक्ट परिवीक्षा को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन इसमें 'परिवीक्षा अधिकारी' (PO) को "अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी या 'ज़िला बाल संरक्षण इकाई' के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी (LCPO)" के रूप में परिभाषित किया गया है।

'मिशन वात्सल्य' के दिशानिर्देशों के अनुसार एक 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' (LCPO) 'ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी' (DCPO) के अधीन कार्य करेगा और 'विधि विवादित बच्चों' से संबंधित 'सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का समन्वय और देखरेख करेगा' और 'ज़िला स्तर पर JJB और CWC की सहायता करेगा।' परिवीक्षा के तहत बच्चे पर निगरानी रखते हुए उसे समुदाय के साथ रहने की अनुमति दी जाती है, जिससे उसके दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो जाती है। परिवीक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है कि 'विधि विवादित बच्चे' के साथ एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाए, न कि एक अपराधी के रूप में ताकि सज़ा देने वाली व्यवस्था पुनर्वास की ओर प्रवृत्त हो।

जैसे ही कोई बच्चा पकड़ा जाता है, पुलिस का इस बारे में परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में बच्चे को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं, जैसे हमउम्र बच्चे, परिवार और स्कूल आदि का आकलन किया जाता है। परिवीक्षा अधिकारी के व्यापक और कठिन कार्यभार में बच्चे के निजी हालात को समझने में अधिकारियों की मदद करना शामिल है। साथ ही, वह बच्चे के इस व्यवस्था के संपर्क में आने से लेकर जटिल क़ानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने तक, उसका साथी और मार्गदर्शक भी होता है। परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों में परामर्श प्रदान करने के साथ ही, बच्चे के संस्थान में रहने के दौरान उसके विकास की निगरानी करना भी शामिल है। इसके अलावा, बच्चे के संस्थान से निकलने के बाद की देखरेख योजनाएं तैयार करना भी परिवीक्षा अधिकारी की ज़िम्मेदारी होती है ताकि बच्चा फिर से समाज का हिस्सा बन सके।

मानक

2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ज़िले में प्रखंडों की संख्या,

इसके भौगोलिक विस्तार और केंसों की संख्या के आधार पर न्यूनतम एक और अधिकतम तीन विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी होने चाहिए। 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के तहत नियुक्त 'परिवीक्षा अधिकारी' एक 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

राज्य बाल संरक्षण समिति से पूछे गए प्रश्न

IJR ने केवल यह आकलन किया कि प्रत्येक ज़िले में कितने 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' (LCPO) उपलब्ध हैं, न कि उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य परिवीक्षा अधिकारियों का।

हमारे निष्कर्ष

पुलआउट: केवल 13 राज्यों और दिल्ली ने हमारे आवेदन में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराई।¹⁶³ इनके मुताबिक, नवंबर 2023 तक 236 ज़िलों में 197 LCPO तैनात थे। हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम - केवल इन पांच राज्यों ने बताया कि उनके प्रत्येक ज़िले में एक-एक LCPO कार्यरत हैं। गोवा के किसी भी ज़िले में एक भी LCPO तैनात नहीं था।

कार्यभार

जिन 10 राज्यों के सभी ज़िलों ने JJB और LCPO से संबंधित सारे आंकड़े उपलब्ध कराए, वहां एक LCPO पर वर्ष भर में औसतन 175 मामलों का कार्यभार था (देखें चित्र 5.13)। यह औसत निकालने के लिए, IJR ने 2022-23 में एक राज्य के सभी JJB पर जितने मामलों का कार्यभार था, उसे राज्य में तैनात LCPO की संख्या से विभाजित किया। हालांकि, औसत निकालते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के तहत LCPO के न होने पर उसकी ज़िम्मेदारियां परिवीक्षा अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाल कल्याण अधिकारियों को दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, कालाहांडी को छोड़कर ओडिशा के सभी ज़िलों में LCPO तैनात हैं। यहां यह पद 2015 से खाली है और 'ज़िला बाल संरक्षण इकाई' से एक सामाजिक कार्यकर्ता को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। कार्य बंटवारे को ध्यान में न रखा जाए, तो ओडिशा में एक LCPO पर औसतन 400 मामलों का कार्यभार पड़ता है।

दिल्ली के 'महिला एवं बाल विकास विभाग' द्वारा उपलब्ध कराई गई ज़िलेवार सूची के मुताबिक इसके 11 में से 8 ज़िलों में कोई LCPO तैनात नहीं था। वहीं, 7 JJB के लिए केवल तीन LCPO कार्यरत होने के कारण, हर अधिकारी पर औसतन 800 से अधिक मामलों का कार्यभार था।

163 असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

RCJJ का परिवीक्षा पर अध्ययन

‘किशोर न्याय संसाधन प्रकोष्ठ; (TISS-RCJJ) के 2025 में किए गए एक अप्रकाशित अध्ययन ने विशेष रूप से यह जांचा कि ‘अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, (POA) 1958’ और ‘किशोर न्याय अधिनियम 2015 (2021 में संशोधित)’ असल में कैसे काम कर रहे हैं और इसके निष्कर्ष हमारे अध्ययन के निष्कर्षों से मेल खाते हैं।

यह अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि दोनों क़ानूनों के तहत किशोर आरोपियों के संरक्षण और वयस्क अपराधियों के मामले में दो अलग-अलग भूमिकाएं निभाने के दौरान अधिकारियों की अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं।

POA के तहत, परिवीक्षा अधिकारी मुख्य रूप से सामान्य अदालतों के लिए कार्य करते हैं। वे आरोपी की जानकारी देने वाली प्री-सेटेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके आचरण की निगरानी करते हैं। जबकि JJ एक्ट के तहत परिवीक्षा अधिकारी JJB और बच्चे के मार्गदर्शक होते हैं। यहां परिवीक्षा अधिकारी ‘विधि विवादित बच्चों के मामलों में JJB और CWC को बच्चों से संबंधित ज़मानत और केस निपटारे के फ़ैसलों पर सलाह देते हैं, ‘सामाजिक जांच रिपोर्ट’ और ‘व्यक्तिगत देखरेख योजना’ जमा करते हैं, ‘पश्चातवर्ती देखरेख’ का समन्वय करते हैं और ‘मिशन वात्सल्य’ के तहत काम करते हैं। विरोधाभासी उद्देश्य की वजह से आशान्वित परिणाम नहीं मिलते और पूरा ध्यान पुनर्वास और समावेश के बजाए नियमों के पालन तक सीमित रह जाता है।

अध्ययन बताता है कि अधिकांश राज्यों में परिवीक्षा अधिकारियों का एक विशेष समूह नहीं है। 20 राज्यों में से केवल सात राज्यों-आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ (कें.शा.प्र.), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 147 स्वीकृत पदों के मुकाबले 88

परिवीक्षा अधिकारी थे।

इसमें, प्रशिक्षित किशोर परिवीक्षा अधिकारियों से क़ानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारियों (LCPO) की ओर जाने का चिंताजनक रुझान भी दिखाई देता है। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों¹⁶⁴ में 2024 में जनवरी से नवंबर के बीच 202 परिवीक्षा पदों पर 197 अधिकारी नियुक्त थे। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों¹⁶⁵ ने अपने सभी ज़िलों की जानकारी दी यहां 168 पदों पर 163 LCPO नियुक्त थे। इन पदों के लगभग पूरा भरने से संकेत मिलता है कि बच्चों के मामलों में विशेषज्ञ सामाजिक कार्य के पेशेवरों के बजाए परिवीक्षा के लिए क़ानूनी रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

इस बीच, जिन ज़िलों में कार्यभार ज़्यादा है, वहां केस लोड असंभव हो गया है। अक्सर एक अधिकारी पर सैकड़ों केस होते हैं और वैकेंसी भरी नहीं जाती। इससे बच्चों को समय पर ‘सामाजिक जांच रिपोर्ट’, निगरानी या ‘पश्चातवर्ती’ देखरेख नहीं मिल पाती।

RCJJ का RTI का अनुभव यह बताता है कि क़ानूनी मानकों के पालन में कमी आ रही है। नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारी अनुरोधों को लगातार ज़िलों की ओर प्रेषित करते हैं। प्रतिउत्तर आंशिक रूप से मिलते हैं या बिल्कुल नहीं मिलते। जहां, आंकड़े हैं भी, वे संकलित और तुलनीय नहीं हैं। बिखरी हुई सूचनाएं विषय की महत्वहीनता का संकेत देती हैं और JJ एक्ट के तहत परिवीक्षा कार्यबल की तैनाती और सुधारों में बाधा और देरी का कारण बनती है।

निष्कर्ष के तौर पर यह अध्ययन IJR की मुख्य चिंताओं की पुष्टि करता है। विशिष्ट भूमिकाएं मिश्रित हैं, विशेषज्ञता कम हो रही है, कार्यभार असंभव हो गए हैं और डेटा सिस्टम उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं। ये सभी वजहें JJ एक्ट में बच्चों के पुनर्वास और समावेश के वादे को कमज़ोर करती हैं।

आठ राज्यों¹⁶⁶ ने अपने JJB और उपलब्ध LCPO के समक्ष सक्रिय मामलों से संबंधित पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए। इनके ज़िलावार विश्लेषण से अलग-अलग ज़िलों के औसत कार्यभार में बहुत अंतर सामने आया। जैसे, ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले के दो JJB के लिए केवल एक LCPO उपलब्ध था जिस पर वार्षिक कार्यभार औसत 1,479 केसों का रहा। दूसरी ओर, नगालैंड ने बताया कि उसके चार ज़िलों - किफ़िरे, पेरेन, वोखा और जुन्हेबोटो- में LCPO पर किसी भी मामले का कार्यभार नहीं था। ओडिशा के सभी ज़िलों में हर LCPO पर 500 से अधिक मामलों का कार्यभार था।

IJR ने केवल सक्रिय मामलों के आधार पर LCPO के कार्यभार का विश्लेषण किया है। हालांकि, LCPO इसके बाद भी बच्चे की पुनर्वास

अवधि के दौरान उसकी व्यवस्थागत देखरेख की निगरानी करके इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं।

JJ एक्ट में ‘परिवीक्षा अधिकारियों’, ‘बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों’, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ‘बाल कल्याण अधिकारियों’, ‘बाल देखरेख संस्थानों’ में केस वर्कर और ‘ज़िला बाल संरक्षण इकाई’ के अंतर्गत ‘संरक्षण अधिकारियों’ की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इनकी ज़िम्मेदारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने से लेकर बच्चे की सहायता करना तक शामिल है।

LCPO की ज़िम्मेदारियों में क्षेत्रीय जांच-पड़ताल, संस्थानों की नियमित निगरानी और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों और न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों

164 आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ (कें.शा.प्र.), दिल्ली (कें.शा.प्र.), गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, नगालैंड, पुडुचेरी (कें.शा.प्र.), सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

165 आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ (कें.शा.प्र.), दिल्ली (कें.शा.प्र.), गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, नगालैंड, पुडुचेरी (कें.शा.प्र.)।

166 दिल्ली और तेलंगाना ने अपने राज्य के सभी JJB के कुल/समग्र कार्यभार का विवरण प्रदान किया है और इस कारण उन्हें इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

चित्र 5.13: विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी एवं उनका कार्यभार (2022-23)

	कुल ज़िले	LCPO	कुल कार्यभार	LCPO का कार्यभार
नगालैंड	16	11	50	4.6
सिक्किम	6	6	68	11.3
मिज़ोरम	11	11	329	29.9
त्रिपुरा	8	6	260	43.3
मेघालय	12	10	461	46.1
हिमाचल प्रदेश	12	13	1,280	98.5
असम	35	29	3,439	118.6
तेलंगाना	33	26	5,689	218.8
ओडिशा	30	30	11,366	378.9
दिल्ली	11	3	2,461	820.3
कुल 10 राज्यों में	174	145	25,403	175.2

नोट: राज्यों के नाम LCPO के कार्यभार के बढ़ते क्रम में दिए गए हैं।

स्रोत: राज्यों से प्राप्त RTI जवाब।

के बीच समन्वय करना शामिल है। ऐसे में उनके पदों पर ज़्यादा रिक्तियों से ज़मानत, मामलों के निपटारे और रिहाई में देरी होती है। इसके अलावा 'सामाजिक जांच रिपोर्ट' और व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में देरी होती है या वे अधूरी रह जाती हैं। ये सभी कार्य बच्चे के कल्याण के प्रयासों का आकलन करने के लिए आवश्यक हैं। बिना इनके बच्चों को लम्बे समय तक संस्थानों में रखना उनके लिए नुकसानदेह होता है।

निरीक्षण और निगरानी

प्रणालीगत सुधार के लिए पारदर्शी तरीके से आंकड़े साझा करने के साथ-साथ एक ऐसा मजबूत निगरानी तंत्र भी ज़रूरी है जिसमें आपस में बेहतर तालमेल हो। JJ एक्ट और 'मिशन वात्सल्य' साथ मिलकर निगरानी, मूल्यांकन, निरीक्षण और रिपोर्टिंग की आपस में जुड़ी हुई एक बहु-स्तरीय प्रणाली तैयार करते हैं जो विशिष्ट सुविधा केंद्र से लेकर ज़िला, राज्य और केंद्रीय स्तर फैली हुई है। सुविधा केंद्र स्तर पर, CCI को प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों का आयोजन, बाल समितियों का संचालन, शिकायत रजिस्टर का रख-रखाव, देखरेख के न्यूनतम मानकों के अनुपालन की समीक्षा और नियमित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। वहीं, परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता 'सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट' (SBRs), 15 दिनों के भीतर 'सामाजिक जांच रिपोर्ट' (SIRs) और व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करते हैं। जबकि JJB वैधानिक समय-सीमाओं का पालन सुनिश्चित करता है, जिसमें बच्चे की

24 घंटे के भीतर पेशी, प्रारंभिक आकलन (जहां लागू हो) और 4 महीने के भीतर जांच (जिसकी समयसीमा 2 महीने तक बढ़ाई जा सकती है) पूरी करना शामिल है। 'ज़िला निरीक्षण समितियों' और DCPU को नियमित और औचक निरीक्षण करना चाहिए, मामलों की 'प्रबंधन सूचना प्रणाली' संकलित करनी चाहिए और JJB, CWC, SJPU/CWPO और कानूनी सहायता के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। वहीं, ज़िलाधिकारी किशोर न्याय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करते हैं, इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी आदेश देते हैं।

राज्य स्तर पर, 'राज्य बाल संरक्षण समिति' (SCPS) ज़िला स्तर के आंकड़े एकत्र करती है, राज्य वार्षिक कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करती है और 'राज्य निरीक्षण समितियों' का गठन करती है। जबकि, 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (SCPCR) CCI का निरीक्षण करता है और शिकायतों पर कार्रवाई करता है। 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (SLSA) 'विधिक सेवा क्लिनिकों' की निगरानी करता है और समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करता है। वहीं, पुलिस मुख्यालय SJPU और CWPO के कामकाज और उनके प्रशिक्षण का निरीक्षण करता है। वित्तीय प्रशासनिक ऑडिट द्वारा भी समय-समय पर अनुपालन और उपयोग की समीक्षा की जाती है।

यह प्रगति 'मिशन वात्सल्य' के तहत 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' तक पहुंचती है, जिससे तंत्र को पारदर्शी, व्यवस्थित, जवाबदेह और

निरंतर बाल-केंद्रित बनाने का व्यापक ढांचा तैयार होता है।

केंद्रीय स्तर पर, 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग', की तरह राज्य स्तर पर आयोग बाह्य पर्यवेक्षण तक सकते हैं। अंत में, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों को 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत राज्य की अभिरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित निवारक स्थलों यानी 'बाल देखरेख संस्थानों' का दौरा करने, जांच-पड़ताल करने, निरीक्षण करने और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इस व्यापक निरीक्षण और जवाबदेही प्रणाली तैयार करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर और असुरक्षितों (बच्चों) के लिए बनाई गई प्रणाली उच्चतम मानकों का पालन करे।

मानक

॥ एक्ट के तहत, JJB के लिए "हर महीने प्रत्येक गृह का कम-से-कम एक निरीक्षण करना" अनिवार्य है ताकि वह "ज़िला बाल संरक्षण इकाई" को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार संबंधी कार्रवाई की सिफारिश कर सके।¹⁶⁷ जबकि, 'मिशन वात्सल्य' के दिशानिर्देशों के मुताबिक ज़िले के प्रत्येक CCI की प्रबंधन समिति के प्रमुख के बतौर "CCI का दौरा करना" DCPO की ज़िम्मेदारी है।

राज्य बाल संरक्षण समिति से पूछे गए हमारे प्रश्न

क) किशोर न्याय बोर्डों ने अपने-अपने जिलों में 'विधि विवादित बच्चों' (CCL) की आवासीय सुविधाओं का किन-किन तिथियों पर निरीक्षण किया और ख) DCPO ने 'बाल देखरेख संस्थानों' का किन-किन तिथियों पर दौरा किया।

हमारे निष्कर्ष

JJB द्वारा निरीक्षण: आदर्श रूप में, एक JJB को अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक गृह का महीने में कम-से-कम एक बार या वर्ष में 12 बार निरीक्षण करना चाहिए। इस स्पष्ट मानक के बावजूद केवल चौदह राज्यों¹⁶⁹ और जम्मू और कश्मीर ने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी भी राज्य ने पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। हालांकि, उपलब्ध कराई गई अपूर्ण और आंशिक जानकारी से क़ानून के प्रावधानों और उनके अमल के बीच बड़ा अंतर सामने आता है। उदाहरण के लिए,

कुल मिलाकर (देखें चित्र 5.14), 14 राज्यों और जम्मू और कश्मीर में

262 JJB और 166 सुविधा केंद्र हैं।¹⁷⁰ हर केंद्र का महीने में एक दौरा किए जाने के क़ानूनी प्रावधान के आधार पर, इन गृहों में साल भर में कम-से-कम 1,992 दौरे होने चाहिए थे। लेकिन, प्राप्त आंशिक उत्तर इसका प्रमाण हैं कि 93 JJB ने 87 सुविधा केंद्रों का 810 बार निरीक्षण किया यानी कि इनमें से हर केंद्र के साल में औसतन 9 दौरे किए गए।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और त्रिपुरा - इन 4 राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक, JJB ने इन राज्यों के 16 गृहों में से सभी का साल में कुछ निश्चित तारीखों पर दौरा किया। इन 16 गृहों में कुल मिलाकर कम-से-कम 192 दौरे किए जाने चाहिए थे, लेकिन 28 JJB ने बताया कि 123 दौरे ही किए गए यानी 69 दौरे कम हुए।

इसी तरह मिज़ोरम के 11 ज़िलों में स्थित 15 गृहों में 11 JJB ने साल भर में कुल मिलाकर कम-से-कम 180 दौरा करने चाहिए थे, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 महीनों में 37 दौरे ही किए गए। इसका मतलब है कि हर महीने की जगह औसतन हर तिमाही में एक दौरा किया गया और इस तरह 95 दौरे कम हुए।

यही हाल ओडिशा का रहा। इसके 30 ज़िलों के लिए मात्र 8 गृह उपलब्ध हैं जिनका कुल मिलाकर 96 बार निरीक्षण होना चाहिए था। राज्य के 34 में से 31 JJB ने जानकारी साझा की और इनके आंकड़ों से पता चलता कि 16 JJB ने 8 गृहों का 68 बार निरीक्षण किया यानी कि 28 दौरे कम किए गए।

RTI आवेदनों के जवाब में मिली आंशिक जानकारियों से भी एक राज्य द्वारा किए गए निरीक्षणों में असमानता सामने आती है। कुछ JJB ने निर्धारित संख्या से अधिक निरीक्षण किए, कुछ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के गृहों का भी निरीक्षण किया और कुछ ने कोई निरीक्षण ही नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग, उत्तरी गोवा और राजस्थान के कोटा स्थित गृहों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। जैसे, राजस्थान के तीन JJB- सिरौही (33 दौरे) टोंक (52 दौरे) और उदयपुर (45 दौरे) - ने महीने में एक से अधिक बार निरीक्षण किया। वहीं राजस्थान के ही जयपुर स्थित दो JJB ने OBH का केवल पांच बार निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर स्थित JJB में कोई CCI नहीं है। इसने कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर स्थित OBH का 12-12 बार निरीक्षण किया।

167 धारा 8(3)(j), 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015'.

168 अध्याय 2, पृ. सं. - 14, 'कार्यान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा। DCPU में कर्तव्यधारकों की भूमिकाएं एवं ज़िम्मेदारियां', मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf>

169 अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

170 गृहों की संख्या के आंकड़े लोकसभा के 20 दिसंबर, 2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4264 से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध:

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqals और निरीक्षणों की संख्या JJB से RTI के ज़रिए मिली जानकारी से ली गई है।

चित्र 5.14: JJB द्वारा CCI का निरीक्षण

	बाल देखरेख संस्थानों की संख्या		JJB द्वारा निरीक्षण		दौरों का प्रतिशत (%)
	कुल ¹⁷¹	JJB द्वारा निरीक्षण	मानक अनुसार आवश्यक- CCI x 12	किए गए निरीक्षण	
जम्मू और कश्मीर	2	2	24	26	108
ओडिशा	8	8	96	68	71
पश्चिम बंगाल	14	8	168	110	65
झारखंड	15	6	180	86	48
नगालैंड	14	11	168	79	47
उत्तराखंड	14	10	168	76	45
हिमाचल प्रदेश	2	2	24	10	42
राजस्थान	52	18	624	254	41
त्रिपुरा	4	4	48	19	40
सिक्किम	3	2	36	10	28
मिजोरम	15	11	180	45	25
केरल	11	3	132	18	14
हरियाणा	7	2	84	9	11
अरुणाचल प्रदेश	1	0	12	0	0
गोवा	4	0	48	0	0
कुल 15 राज्यों में	166	87	1,992	810	41

नोट: राज्यों के नाम दौरों के प्रतिशत के घटते क्रम में हैं।

स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर और अन्य स्रोत

DCPO फ़ील्ड विज़िट: 'ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी' (DCPO) की फ़ील्ड विज़िट का कोई वैधानिक मानक तय नहीं है। लेकिन 'मिशन वात्सल्य' के दिशानिर्देशों के अनुसार ज़िले के प्रत्येक 'बाल देखरेख संस्थान' की प्रबंधन समिति के प्रमुख होने के नाते DCPO की दैनिक ज़िम्मेदारियों के तहत उनका फ़ील्ड विज़िट करना अनिवार्य है।

14 राज्यों के 246 संभावित DCPO में से केवल 85 ने ही जानकारी उपलब्ध कराई। इन 85 DCPO की ज़िम्मेदारियों के अंतर्गत 208 गृह आते हैं, लेकिन उनमें से केवल 105 में ही दौर दर्ज किए गए। एक वर्ष में, उन्होंने कुल 905 निरीक्षण करने की सूचना दी। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक केवल 26 गृहों का प्रति माह एक अपेक्षित दौरा किया गया। पश्चिम बंगाल में, 14 में से केवल दो गृहों का हर महीने एक से अधिक दौरा किया गया। उत्तराखंड में, 6 गृहों में एक से अधिक दौरे किए गए, जबकि शेष 8 ने कोई जानकारी नहीं साझा की।

MIS और मासिक निरीक्षण आवश्यकताओं संबंधी क़ानूनी प्रावधानों के आधार पर मिली जानकारी के विश्लेषण से रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग

तैयार करने और उनकी जानकारी साझा करने की व्यवस्थागत विफलता सामने आती है। केवल चुनिंदा राज्यों और जम्मू और कश्मीर ने जानकारी उपलब्ध कराई लेकिन इनमें से भी किसी ने भी पूरी जानकारी साझा नहीं की। इससे पता चलता है कि जानकारी न तो नियमित रूप से एकत्र की जाती है और न ही पर्यवेक्षण करने वाले उच्च अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए आसानी से उपलब्ध है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में असमानता यह दर्शाती है कि व्यवस्थित तरीके से निरीक्षण करने की जगह इसका फ़ैसला स्व-विवेक के आधार पर लिया जाता है। DCPO की निरीक्षण संबंधी जानकारी से भी यही कमी सामने आती है।

आंशिक जानकारी के कारण हमारे निष्कर्ष असलियत से दूर प्रतीत हो सकते हैं। हालांकि पूरी जानकारी और अलग-अलग आंकड़े होने पर निरीक्षण और दौरों का अधिक मज़बूत पैटर्न सामने आता। फिर भी, ऐसे आंकड़ों का अभाव भी अपने आप में एक निष्कर्ष है। क़ानूनी रूप से अनिवार्य निरीक्षणों का न तो पूरी तरह से दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और न ही इसकी सूचना क़ानून द्वारा स्थापित पर्यवेक्षी निकायों तक

171 गृहों की संख्या के आंकड़े लोकसभा के 20 दिसंबर, 2024 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 4264 से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध:

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqals और निरीक्षणों की संख्या JJB से RTI के ज़रिए मिली जानकारी से ली गई है।

चित्र 5.15: DCPO के फ़ील्ड दौरे

	ज़िले	CCI	DCPO द्वारा निरीक्षण किए गए CCI	DCPO द्वारा किए गए दौरे
राजस्थान	41	52	42	399
उत्तराखंड	13	14	6	118
मिज़ोरम	11	15	10	73
महाराष्ट्र	36	53	7	65
नगालैंड	16	14	13	59
ओडिशा	30	8	7	57
केरल	14	11	6	47
हरियाणा	22	7	3	33
पश्चिम बंगाल	23	14	2	32
मेघालय	12	7	5	8
हिमाचल प्रदेश	12	2	2	6
सिक्किम	6	3	1	5
त्रिपुरा	8	4	1	3
गोवा	2	4	0	0
14 राज्यों का कुल	246	208	105	905

नोट: राज्यों के नाम DCPO के फ़ील्ड दौरे के घटते क्रम में हैं।
स्रोत: RTI से प्राप्त उत्तर।

पहुंच रही है। इसके अपरिहार्य परिणामों में शामिल हैं: वैधानिक/‘मिशन वात्सल्य’ निगरानी तंत्र द्वारा समय-सीमा के आधार पर आंकड़े और रिपोर्ट एकत्र एवं तैयार करने में विफल रहना; नोडल एजेंसीज तक आंकड़े नहीं पहुंचना और निरीक्षण मानदंडों का संस्थागत अनुपालन किए जाने के बजाय छिटपुट निरीक्षण। यह किशोरों के “सर्वोत्तम हितों” को ज़्यादा-से-ज़्यादा पूरा करने के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है।

किशोर न्याय बजट

किशोर न्याय सेवाओं की गुणवत्ता को पर्याप्त वित्तीय संसाधन और उनका उपयोग सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही बाल कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य सरकार वार्षिक बजटीय आवंटन एवं विशेष योजनाओं और केंद्र सरकार ‘मिशन वात्सल्य’ जैसी योजनाओं (आमतौर पर केंद्र का 60 और राज्य का 40 फ़ीसदी अनुदान) से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, राज्यों के पास एक समर्पित ‘किशोर न्याय कोष’ (JJ फ़ंड) होना चाहिए।

मानक

राज्य JJ एक्ट के तहत ‘किशोर न्याय कोष’ के लिए विशेष फ़ंड स्थापित कर सकता है। JJ एक्ट के तहत इसका प्रावधान बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। यह बच्चों से संबंधित कई गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। इसमें ‘पर्यवेक्षण गृह’, ‘विशेष गृह’ और ‘सुरक्षित स्थान’ के संचालन के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए धन मुहैया कराना शामिल है। JJ फ़ंड को राज्य सरकार के बजट, केन्द्र सरकार के अनुदान, व्यक्ति, ट्रस्ट, निगम (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि शामिल) और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त दान से आर्थिक योगदान मिलता है।¹⁷²

यह फ़ंड संबंधित प्राधिकरण, आमतौर पर ‘राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग’, के पास जमा रहता है और ‘विशेष राज्य सलाहकार बोर्ड’ या समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जा सकता है। ‘किशोर न्याय बोर्ड’, ‘बाल कल्याण समिति’, सरकारी संस्थानों या गैर-सरकारी

172 धारा 105(2), ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.’

संगठनों के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद, 'बाल देखरेख संस्थानों' सहित अन्य को फंड वितरित किया जाता है। ऐसा अक्सर सहायता अनुदान के ज़रिए होता है। प्राप्तकर्ताओं के लिए खर्च संबंधी रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। धनराशि के खर्च की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त संबंधी सरकारी नियमों के तहत इसका नियमित ऑडिट कराना अनिवार्य है। यह ऑडिट अक्सर 'राज्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक' या आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभागों द्वारा किया जाता है। ११ फंड की स्थापना, संचालन, दिशानिर्देश और वित्तीय विवरणों की जानकारी एक जगह उपलब्ध नहीं है। इसे राज्य सरकार की अधिसूचनाओं, 'राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग' और राज्य 'किशोर न्याय बोर्ड' की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी से मांगी गई जानकारी

क) क्या राज्य ने 'किशोर न्याय कोष' और उसकी नियमावली को अधिसूचित किया है, ख) क्या 'किशोर न्याय कोष' के लिए 2021-22 एवं 2022-23 में कोई बजटीय आवंटन किया गया था और अगर हां, तो इसका क्या-क्या उपयोग किया गया।

हमारे निष्कर्ष

12 राज्यों¹⁷³ एवं दिल्ली ने पहले प्रश्न और दिल्ली समेत 8 राज्यों ने दूसरे प्रश्न में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई।¹⁷⁴ कुल मिलाकर, अधिकांश जानकारी नोडल एजेंसियों की जगह जिलों से प्राप्त होने के कारण अधूरी और असंगत थी। इसलिए यह जानकारी वित्तीय अनुदान की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती। ऐसे में नीचे प्रस्तुत विश्लेषण ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने वाले अन्य आंकड़ों पर आधारित है। 2019 में NALSA ने जो देशभर में किशोर न्याय प्रणाली की संरचनाओं, तंत्रों और प्रक्रियाओं की स्थिति पर एक अध्ययन¹⁷⁵ किया। इसमें पाया गया कि 71% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां एक 'जुवेनाइल जस्टिस फंड' स्थापित किया है। यह अध्ययन (देखें चित्र 5.17) बताता है कि पांच राज्यों- असम, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम

और त्रिपुरा ने 2019 के बाद यह फंड स्थापित किया।

विश्लेषण में अलग-अलग व्यवस्थाएं सामने आईं। कुछ फंड अधिकारों, कर्तव्यों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाले क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों के दायरे में काम करते हैं। अन्य फंड, संचालन दिशानिर्देशों के आधार पर नियमों को लागू करने के सर्वोत्तम तरीक़े प्रस्तावित करते हैं। यानी कुछ फंड का पालन करने के लिए कड़े क़ानून और नियम होते हैं, वहीं अन्य फंड के संचालन में अधिक लचीलापन होता है। विभिन्न राज्य फंड का प्रबंधन अलग-अलग तरीक़ों से करते हैं। असम में ज़िला समितियां, तो गोवा और पश्चिम बंगाल में 'किशोर न्याय कोष अनुमोदन समिति' वित्त प्रबंधन करती हैं। केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार बोर्डों पर निर्भर हैं। तमिलनाडु का 'समाज कल्याण विभाग' एक समिति की मदद से फंड का प्रबंधन करता है, जबकि तेलंगाना में 'किशोर न्याय कोष' के लिए विशेष कार्यकारी समिति है। कई राज्यों, जैसे केरल में 'बालनिधि' योजना¹⁷⁶ और छत्तीसगढ़ में 'बाल कोष योजना'¹⁷⁷, ने विशेष नाम से शुरू योजनाओं के तहत बाल कल्याण और संरक्षण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है।

कई राज्यों ने अपने ११ फंड के लिए प्रारंभिक निधि उपलब्ध कराई है। जैसे, असम ने शुरुआत में विभागीय आवंटन के अलावा 66 लाख रुपए का विशेष प्रावधान किया था, जिन्हें "आवश्यकता की गंभीरता" को देखते हुए राज्य के 33 जिलों के बीच बांटा जाना था।¹⁷⁸ गोवा का फंड सरकार के 5 लाख रुपए की एकमुश्त धनराशि से शुरू हुआ था जो दान भी स्वीकार करता है।¹⁷⁹ ओडिशा के पास सरकार और अन्य स्रोतों से प्राप्त 1 करोड़ रुपए का एक फंड है, जिसके द्वारा देखरेख संस्थान छोड़ने वाले किशोरों, लड़कियों को 50,000 रुपए और लड़कों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।¹⁸⁰ तमिलनाडु ने 25 लाख रुपए का कॉर्पस फंड स्वीकृत किया है जिसमें सरकार द्वारा आगे भी आर्थिक योगदान¹⁸¹ करने की उम्मीद है और तेलंगाना का कॉर्पस फंड 1 करोड़ रुपए का है।¹⁸²

173 असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

174 असम, गोवा, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

175 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल न्याय प्रणाली की स्थिति - संरचनाएं, तंत्र और प्रक्रियाएं, 2019। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408568184710.pdf>

176 'महिला एवं बाल विकास विभाग', 'बालनिधि' इस लिंक पर उपलब्ध: <https://balanidhi.kerala.gov.in/>

177 किशोर न्याय समिति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यूज़लेटर, खंड 2/JJC/2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf

178 'ज़िला किशोर न्याय कोष संबंधी दिशानिर्देश', SCPS (G) 400/2018। 18 जुलाई 2018, 'राज्य बाल संरक्षण समिति, असम'।

179 नियम 3, 'गोवा किशोर न्याय कोष नियमावली, 2003।' इस लिंक पर उपलब्ध: <https://goaprintingpress.gov.in/downloads/2324/2324-22-SI-OG-0.pdf>

180 पैरा 1, 'ओडिशा किशोर न्याय कोष प्रबंधन दिशानिर्देश' का मसौदा, 'महिला एवं बाल विकास विभाग' और 'मिशन शक्ति', 'ओडिशा राज्य बाल संरक्षण समिति'। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://iacn.in/wp-content/uploads/2025/01/Odisha-Guidelines-for-Management-of-Juvenile-Justice-Fund.pdf>

181 नियम 3, 'तमिलनाडु किशोर न्याय कोष नियमावली', 2017। इस लिंक पर उपलब्ध: https://courtbook.in/act/664c7c82ad9dd371756ee71f_jj_fund_rules_2_iii_1a.pdf

182 पैरा 6, G.O.Ms.No.4, 4 मई, 2018, 'महिला, बाल, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक विभाग', तेलंगाना सरकार। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://wdcw.tg.nic.in/Notification/G.O.Ms.No.4%20JJ%20Fund.PDF>

चित्र 5.16: राज्य के बजट दस्तावेजों में JJ फंड का आवंटन और उपयोग (2023-24 और 2024-25)¹⁸³

राज्य	विस्तृत मद	2022-23 (BE) (रुपए, लाख में)	2022-23 (RE) (रुपए, लाख में)	2022-23 (AE) (रुपए, लाख में)	उपयोग (%) (AE/RE*100)	2023-24 (BE) (रुपये, लाख में)
छत्तीसगढ़	किशोर न्याय कोष	50	50	—	50	—
गोवा	किशोर न्याय कोष	5	5	--	5	—
हरियाणा	किशोर न्याय कोष	500	500	--	500	—
झारखंड	किशोर न्याय कोष	50	50	50	50	100
केरल	विभिन्न बाल संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए किशोर न्याय कोष	10	9.11	9.93	10	109
मध्य प्रदेश	किशोर कल्याण कोष	460	460	409.18	460	89
महाराष्ट्र	योजना	500	200	—	700	—
मणिपुर	किशोर न्याय कोष	1.44	10	—	10	—
मिज़ोरम	किशोर न्याय कोष	22.92	22.92	22.92	22.92	100
ओडिशा	किशोर न्याय कोष	500	500	500	500	100
पंजाब	किशोर न्याय कोष राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा किशोर न्याय कोष का प्रबंधन	25	25	25	25	100
सिक्किम ¹⁸⁴	किशोर न्याय कोष	15	15	15	15	100
तमिलनाडु	तमिलनाडु किशोर न्याय कोष में योगदान	0.01	--	—	--	—
तेलंगाना	किशोर न्याय कोष	900	900	675	900	75
त्रिपुरा	किशोर न्याय कोष	50	50	50	70	100
उत्तर प्रदेश	किशोर न्याय कोष	700	588	120	700	20
उत्तराखंड	किशोर न्याय कोष की स्थापना	10.01	10.01	3.33	10	33
पश्चिम बंगाल	किशोर न्याय कोष	0	0	—	0	—

नोट 1. राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। 2. BE: बजट अनुमान; RE: संशोधित अनुमान; AE: वास्तविक व्यय।
स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज

183 11 राज्यों - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, नगालैंड और राजस्थान - के राज्य बजट दस्तावेजों में 'किशोर न्याय कोष' का कोई उल्लेख नहीं था। अरुणाचल प्रदेश का कोई बजट दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

184 सिक्किम के बजट दस्तावेजों (वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25) से पता चलता है कि 'किशोर न्याय कोष' के आवंटन को समाज 'कल्याण विभाग' के ICPS के उप-लघु मद से हटाकर 'महिला एवं बाल विकास विभाग' के 'मिशन वात्सल्य' के तहत डाल दिया गया था।

कुल मिलाकर, 2022-23 और 2023-24 में राज्यों द्वारा JJ फंड संबंधी आवंटन से मिश्रित तस्वीर उभरती है। कुछ राज्यों ने अपने बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की, अन्य ने पूर्व की तरह ही राशि आवंटित की और कुछ राज्य आवंटित राशि का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाए।

तेलंगाना (9 करोड़), महाराष्ट्र (5-7 करोड़) और ओडिशा (5 करोड़) किशोर न्याय के लिए संतोषजनक धनराशि आवंटित करने वाले शीर्ष

राज्यों में शामिल थे। कुछ राज्यों ने धनराशि आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की। जैसे, महाराष्ट्र का आवंटन 2022-23 के 5 करोड़ से बढ़कर अगले वर्ष 7 करोड़ रुपए हो गया और त्रिपुरा का आवंटन 50 लाख से बढ़कर 70 लाख रुपए हो गया। इस तरह दोनों राज्यों ने 40% की वृद्धि की।

छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, तेलंगाना, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब और झारखंड ने दो वर्षों के दौरान लगातार धन उपलब्ध कराया। वहीं,

झारखंड, केरल, मिज़ोरम, ओडिशा और पंजाब ने आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग भी किया। तेलंगाना ने 70% और उत्तर प्रदेश ने 20% फंड का उपयोग किया, शेष ने कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया। शून्य खर्च या उपयोगिता संबंधी आंकड़े उपलब्ध न होना रिपोर्टिंग या समय की कमी को दर्शाता है। संभवतः कोविड के दौरान संचालन में आई बाधा भी इसका कारण हो सकता है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्ण राशि खर्च ही नहीं की गई। मणिपुर ने 1.44 लाख रुपए के अपने प्रारंभिक न्यूनतम अनुमान के आवंटन को बढ़ाकर व्यवहारिक तौर पर 10 लाख रुपए कर दिया।

हालांकि समग्र रुझान बताते हैं कि कई राज्य JJ फंड के लिए पहले की तरह धन उपलब्ध कराना या इसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कई राज्यों द्वारा इसके कम उपयोग से पता चलता है कि फंड के प्रभावी प्रबंधन और कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब और मिज़ोरम जैसे उच्च उपयोग दर वाले राज्य आवंटन का बेहतर इस्तेमाल करने में सबसे आगे हैं, जबकि कम उपयोग दर वाले राज्यों को फंड के इस्तेमाल और बाल कल्याण परिणामों में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप की ज़रूरत है।

राज्य विधानसभाओं और भारतीय संसद में JJ फंड पर हुई चर्चाओं से कई प्रमुख विषय सामने आए हैं। इन चर्चाओं में सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ JJ फंड उपयोग की कड़ी निगरानी, बेहतर ऑडिट, समय पर फंड जारी करने और फंड के खर्च पर नज़र रखने के लिए विस्तृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों के संग्रह की ज़रूरत का मुद्दा बार-बार उठा है। 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' (CAG) और राज्य लेखा परीक्षकों की ऑडिट रिपोर्ट्स फंड जारी करने में देरी, आंशिक उपयोग, अपर्याप्त निगरानी और विस्तृत वित्तीय रिपोर्टिंग की कमी जैसे लम्बे समय से चली आ रही प्रणालीगत समस्याओं को सामने लाती हैं। इनमें बेहतर फंड प्रबंधन और पारदर्शिता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। 'बाल देखरेख संस्थानों' के वित्तपोषण में- फंड जारी करने में देरी,

आंशिक आवंटन या इसे खर्च नहीं कर पाना, अपर्याप्त निगरानी और खराब वर्गीकृत रिपोर्टिंग जैसी चुनौतियां शामिल हैं।

राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों की अदालतों ने JJ फंड की सख्त निगरानी की ज़रूरत पर बल दिया है ताकि आवंटित राशि से 'बाल देखरेख संस्थानों' में बुनियादी ढांचे एवं कर्मचारियों की कमी को दूर और पुनर्वास सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके।¹⁸⁵ धन आवंटन के बावजूद, आंकड़ों संबंधी पारदर्शिता और निगरानी की कमी से जवाबदेही पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाती है व किशोर देखरेख संबंधी परिणाम बेहतर नहीं हो पाते हैं।

वास्तव में, लंबे समय से जारी इन चुनौतियों के कारण पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो पाता है और कर्मचारियों की कमी रह जाती है। इससे सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और फंड का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पाता। कुछ राज्यों में, बच्चों के मुकाबले कर्मचारियों की बहुत कम संख्या के कारण देखरेख करने वालों पर बहुत बोझ रहता है, जिससे पुनर्वास कार्यक्रम ज़्यादा असरदार नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा, फंड के उपयोग और सेवा आवश्यकताओं संबंधी विस्तृत आंकड़ों के अपर्याप्त संग्रह और उपयोग से संसाधनों के इस्तेमाल और नियोजन में कमी रह जाती है।

संक्षेप में, बाल कल्याण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर तंत्र और धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, क्षमता संबंधी गंभीर समस्याओं, खराब डेटा सिस्टम और प्रशासनिक अड़चनों से फंड के बेहतर इस्तेमाल और असुरक्षित बच्चों को सेवाएं उपलब्ध कराने की राह में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए बेहतर निगरानी, आंकड़े-आधारित बेहतर योजना निर्माण, प्राथमिकता के आधार पर भर्ती एवं प्रशिक्षण और स्पष्ट एवं विस्तृत वित्तीय रिपोर्टिंग की ज़रूरत है ताकि फंड के उपयोग से संरक्षण और पुनर्वास संबंधी लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

185 'उच्च जोखिम वाले युवा, गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं': राजस्थान हाई कोर्ट ने PIL में बच्चों के 'संरक्षण गृह' छोड़ने के बाद CCL द्वारा सामना की गई कठिनाइयों का मुद्दा उठाया, लाइव लॉ, 2 जून 2025। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.livelaw.in/high-court/rajasthan-high-court/rajasthan-high-court-hearing-suo-motu-pil-government-aid-child-care-institutions-294016> और राजेश कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार NCT) और अन्य (W.P.(CRL) 1361/2021) दिनांक 22 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.livelaw.in/pdf_upload/smp28092022crlw13612021183002-437058.pdf

चित्र 5.17: किशोर न्याय कोष की स्थिति और किशोर न्याय कोष नियमावली

राज्य	किशोर न्याय कोष (नालसा 2019) ¹⁸⁶	किशोर न्याय कोष (IJR RTI)	किशोर न्याय कोष नियमावली
आंध्र प्रदेश	हां	NP	प्रदान नहीं कराया गया
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	NP	प्रदान नहीं कराया गया
असम	उपलब्ध नहीं	हां	उपलब्ध (परिचालन दिशानिर्देश)
बिहार	हां	NP	प्रदान नहीं कराया गया
छत्तीसगढ़	हां	हां ¹⁸⁷	प्रदान नहीं कराया गया
गोवा	हां	हां	उपलब्ध कराया गया
गुजरात	हां	NP	प्रदान नहीं कराया गया
हरियाणा	हां	हां	प्रदान नहीं कराया गया
हिमाचल प्रदेश	हां	हां ¹⁸⁸	प्रदान नहीं कराया गया
झारखंड	हां	हां ¹⁸⁹	प्रदान नहीं कराया गया
कर्नाटक	हां	प्रदान नहीं कराया गया	प्रदान नहीं कराया गया
केरल	हां	हां ¹⁹⁰	प्रदान नहीं कराया गया
मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	हां ¹⁹¹	उपलब्ध
महाराष्ट्र	हां	हां	प्रदान नहीं कराया गया
मणिपुर	हां	हां	प्रदान नहीं कराया गया
मेघालय	हां	हां	प्रदान नहीं कराया गया
मिज़ोरम	उपलब्ध नहीं	हां	उपलब्ध
नगालैंड	हां	हां	JJF नियमावली तैयार की जा रही है
ओडिशा	हां	हां	उपलब्ध (परिचालन दिशानिर्देश का मसौदा)
पंजाब	हां	हां	JJF नियमावली तैयार की जा रही है
राजस्थान	हां	NP	प्रदान नहीं कराया गया
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	हां	प्रदान नहीं कराया गया
तमिलनाडु	हां	हां ¹⁹³	उपलब्ध
तेलंगाना	हां	हां ¹⁹⁴	उपलब्ध
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	हां ¹⁹⁵	प्रदान नहीं कराया गया
उत्तर प्रदेश	हां	NP	प्रदान नहीं कराया गया
उत्तराखंड	हां	हां ¹⁹⁶	प्रदान नहीं कराया गया
पश्चिम बंगाल	हां	हां ¹⁹⁷	उपलब्ध (परिचालन दिशानिर्देश)
दिल्ली	हां	हां	उपलब्ध (दिल्ली बाल कल्याण कोष नियमावली, 2016)
जम्मू और कश्मीर	हां	NP	प्रदान नहीं कराया गया

186 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल न्याय प्रणाली की स्थिति- संरचनाएं, तंत्र और प्रक्रियाएं, 2019। इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408568184710.pdf>

187 'किशोर न्याय समिति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय'। इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf

188 हिमाचल प्रदेश द्वारा RTI के जवाब में यह बताया गया है कि 'JJ फंड बनाए जाने के बावजूद इसका आवंटन उपलब्ध कराने के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। वर्तमान में, इस फंड में 2,03,73,019 रुपए उपलब्ध हैं। राज्य द्वारा अब तक JJF नियमावली तैयार नहीं की गई है।'

189 'झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' 'किशोर न्याय कोष' में दान करने के लिए खाते का विवरण देता है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jhalsa.org/juvenile_justice.php

190 महिला एवं बाल विकास विभाग, बालनिधि। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://balanidhi.kerala.gov.in/>

191 किशोर न्याय समिति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इस लिंक पर उपलब्ध:

https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/PDF/publication/Madhya%20Pradesh%20Juvenile%20Justice%20Fund%20Rules.%202023.pdf

192 कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम मणिपुर राज्य, PIL 7/2018.

193 तमिलनाडु द्वारा RTI के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी में राज्य की JJF नियमावली की प्रति शामिल नहीं थी। IJR को अन्य स्रोत से संबंधित नियमावली की प्रति प्राप्त हुई। इस लिंक पर उपलब्ध:

<https://courtbook.in/search/act/the-tamil-nadu-juvenile-justice-fund-rules-2017-jj-act-2-of-2016-664c7c82ad9dd371756ee71f>

194 पैरा 6, शासनादेश संख्या G.O.Ms.No.4, 4 मई, 2018, महिला, बाल, विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक विभाग, तेलंगाना सरकार। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://wdcw.tg.nic.in/Notification/G.O.Ms.No.4%20JJ%20Fund.PDF>

195 समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार। इस लिंक पर उपलब्ध: https://socialwelfare.tripura.gov.in/about_us

196 उत्तराखंड बजट, खंड 5 (मदवार विवरण भाग-2), 2023-24 और 2024-25। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c65d7bd70fe3e5e3a2f3de681edc193d/uploads/2025/01/20250117202061198.pdf> and <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c65d7bd70fe3e5e3a2f3de681edc193d/uploads/2025/01/202501171700995134.pdf>


197 परिचालन दिशानिर्देश - पश्चिम बंगाल 'किशोर न्याय कोष', अधिसूचना संख्या 5410/(37), 3 नवंबर, 2015, 'महिला एवं बाल विकास विभाग।' इस लिंक पर उपलब्ध:

<http://wbcsps.in/link/pdf/guideline/Operational%20Guideline%20for%20WBJJ%20Fund.pdf>

अध्याय 6

292 ज़िलों की कहानी

चित्र 6.1: किशोर न्याय संस्थानों में RTI की जवाबदेही और क्षमता में अनेक कमियां



विधायी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जिला स्तर के संस्थान क्षमतावान हों लेकिन कुल RTI आवेदनों में से सिर्फ 292 जिलों के पूरे जवाब बताते हैं कि इस क्षमता में काफ़ी कमी है।

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ (IJR) के RTI आधारित अध्ययन ने इससे जुड़ी सभी चुनौतियों के बीच यह आकलन किया कि ‘विधि विवादित बच्चों’ का कल्याण करने में जिले कितने सक्षम हैं। इसके लिए हमने RTI आवेदनों के ज़रिए निम्नलिखित जानकारी मांगी: क्या जिले में ‘किशोर न्याय बोर्ड’ है; क्या बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति हुई है; कार्यभार कितना है और कितने केस लंबित हैं; क्या प्रत्येक बोर्ड के साथ एक ‘विधिक सेवा क्लिनिक’ संबद्ध है; क्या DLSA ने बच्चों के लिए वकीलों का पैनल बनाया है; क्या पुलिस ने CWPO और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल कर SJPUs तैयार किया है; क्या उम्र और अपराध के अनुसार बच्चों को अलग-अलग रखने के लिए समुचित ‘बाल देखरेख संस्थान’ उपलब्ध हैं; क्या प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य स्टाफ़ उपलब्ध है; क्या प्रक्रिया के दौरान बच्चे की मदद करने के लिए ‘विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी’ उपलब्ध हैं और JJB ने वास्तव में कितने ‘बाल देखरेख संस्थानों’ का निरीक्षण किया है।

IJR को 500 से अधिक जिलों से जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन उनमें से कई जानकारी अपूर्ण और आंशिक थीं। ऐसे में भ्रामक निष्कर्षों से बचने के लिए, हमने 17 राज्यों 198 और जम्मू और कश्मीर के 292 जिलों का ही शीर्ष-स्तरीय विश्लेषण किया। ये वो जिले हैं जिन्होंने नवंबर 2023

तक JJB का गठन, केसों का कार्यभार/लंबित मामले, संबद्ध ‘विधिक सेवा क्लिनिक’ और DLSA पैनल, SJPUs/CWPO की मौजूदगी, उम्र और अपराध के आधार CCI, प्रमुख कर्मचारियों की उपलब्धता और JJB के निरीक्षण संबंधी रिकॉर्ड जैसे प्रमुख इंडिकेटर्स की न्यूनतम अनिवार्य जानकारी दी।

इन इंडिकेटर्स के आधार पर IJR ने बच्चों के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने वाले सर्वोत्तम और सबसे खराब जिलों की पहचान की। इनके अलावा दूसरे जिलों का अनुपालन या गैर-अनुपालन के आधार पर आकलन नहीं किया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड


कर्मचारी: 17 राज्यों के 292 जिले में 258 ने बोर्ड की संरचना के बारे में पूछे गए प्रश्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। इनमें से 220 ने बताया कि उनके यहां एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ताओं से बनी अनिवार्य पूर्ण पीठ मौजूद है। राज्यवार मध्य प्रदेश के 67% (34/51), हिमाचल प्रदेश के 55% (6/11) और गोवा के 50% (1/2) JJB में पूर्ण पीठ मौजूद थी। ओडिशा, सिक्किम एवं जम्मू और कश्मीर में कोई भी पद खाली नहीं था यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सामाजिक कार्यकर्ताओं- इन दोनों में से किसी भी पद पर कोई रिक्तियां नहीं थीं।

कार्यभार: मामलों के कार्यभार और इसके निपटान दरों में जिलेवार काफ़ी भिन्नता पाई गई। कुल कार्यभार (पिछले वर्षों से लंबित मामलों

198 अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

199 अरुणाचल प्रदेश में 5 (पश्चिम कामेंग, ऊपरी-सियांग, तिरप, ऊपरी-सुबनसारी, लोहित); असम में 2 (बिश्नाथ, चिरांग); हिमाचल प्रदेश में 2 (बिलासपुर, किन्नौर); जम्मू और कश्मीर में 6 (उधमपुर, डोडा, रियासी, रामबन, पुंछ, सांबा); झारखंड में 1 (जामताड़ा); केरल में 1 (पथनामथिता); मेघालय में 3 (पश्चिम खासी हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स); मिज़ोरम में 1 (ख्वाज़ोल); ओडिशा में 1 (देवगढ़) में और त्रिपुरा में 2 (उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा)।

चित्र 6.2: ज़िलावार कार्यभार




कार्यभार के अनुसार ज़िलों की संख्या

	0 से 100 केस	101 से 500 केस	501 से 1000 केस	1000 से अधिक केस
अरुणाचल प्रदेश	24	1	0	0
असम	15	17	0	0
गोवा	2	0	0	0
हरियाणा	1	5	1	0
हिमाचल प्रदेश	4	7	0	0
जम्मू और कश्मीर	8	12	0	0
झारखंड	2	7	0	0
केरल	1	11	0	0
मध्य प्रदेश	1	28	10	12
मेघालय	11	1	0	0
मिज़ोरम	10	1	0	0
नगालैंड	16	0	0	0
ओडिशा	5	20	4	2
राजस्थान	0	9	4	2
सिक्किम	4	0	0	0
त्रिपुरा	8	0	0	0
उत्तराखंड	7	2	0	0
पश्चिम बंगाल	1	3	6	2
कुल ज़िले	120	124	25	18

नोट: अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे, और ओडिशा में खोरथा, संबलपुर और सुंदरगढ़ में 2-2 JJB हैं और वहां के प्राप्त आंकड़ों को एक साथ दिया गया है। ओडिशा के गंजम में भी 2 JJB हैं, गंजम 1 में 259 केस और गंजम 2 में 456 केस हैं; चित्र में, उन्हें मिलाकर 715 केस दिखाए गए हैं।
स्रोत: राज्यों से मिले RTI जवाब।

चित्र 6.3: ज़िलावार केसों का निपटारा



और 1 नवंबर 2022- 31 अक्टूबर 2023 के बीच प्राप्त नए मामलों का जोड़) को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) शून्य से 100 मामले: कुल कार्यभार के आधार पर 292 JJB में से 120 इसी श्रेणी के पाए गए। 32 JJB केवल 25% या उससे कम मामलों का निपटारा कर सके।¹⁹⁹ अरुणाचल, मेघालय और नगालैंड के चौदह²⁰⁰ बोर्ड्स ने बताया कि उन पर शून्य कार्यभार है। सात JJB (नगालैंड में 3, अरुणाचल प्रदेश के 3 और मध्य प्रदेश में 1)²⁰¹ ने किसी भी मामले का निपटारा नहीं करने की सूचना दी हालांकि उनके पास मामले लंबित थे। अरुणाचल प्रदेश के 2- क्रा दादी और दिबांग वैली और नगालैंड के 1- मॉन JJB ने अपने सभी मामलों का निपटारा किया।

ख) 101 से 500 मामले: 123 बोर्ड्स (42%) पर मध्यम स्तर का कार्यभार था। इनमें से कोई भी सभी मामलों का निपटारा नहीं कर सका। केवल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ने 441 मामलों के साथ 92% मामलों का निपटारा किया। 4 JJB मध्य प्रदेश के दतिया; हिमाचल प्रदेश के चंबा; उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और मिजोरम के आइजोल ने 80% से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया। वहीं दूसरी ओर, असम के गोलपारा एवं उदलगुरी और केरल के वायनाड के JJB पर 200 से कम मामलों का कार्यभार होने के बावजूद, वे 10% से भी कम मामलों का निपटारा कर सके।

ग) 501 से 1000 मामले: इस श्रेणी के 25 JJB में से किसी ने भी 75% से अधिक मामलों का निष्पादन नहीं किया। मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान के टोंक ने अपने कुल 580 से अधिक मामलों में से ठीक 75% मामलों का निपटारा किया। ये इस श्रेणी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 8 JJB पर 530 से लेकर 998 मामलों का कार्यभार था। इन्होंने 20% से कम मामलों का निपटारा किया।

घ) 1000 से अधिक मामले: 18 JJB में से सभी पर 1,000 से अधिक मामलों का कार्यभार था। 2,077 मामलों के साथ सबसे अधिक कार्यभार मध्य प्रदेश के इंदौर के JJB पर था। उसके बाद मध्य प्रदेश के ही बैतूल में 1,810 मामले थे। वास्तव में, इन 18 उच्च-कार्यभार वाले जिलों में से 12 मध्य प्रदेश के थे। इनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या में काफी भिन्नता पाई गई। ओडिशा के सुंदरगढ़ (1,479 मामलों का कार्यभार) ने जहां सिर्फ 13% मामलों का निपटारा किया तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा (1,100 मामलों का भार) में मामलों की

निपटान दर 78% के उच्चतम स्तर पर रही।

विधिक सेवा क्लिनिक: 'विधि विवादित बच्चे' को आसानी से वकील उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्येक JJB को 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) से संबद्ध 'विधिक सेवा क्लिनिक' की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। व्यवहार में लगभग आधे से भी कम केवल 152 बोर्ड्स ने ही संबद्ध क्लिनिकों की सूचना दी। ओडिशा और मध्य प्रदेश ने सभी बोर्ड्स से संबद्ध क्लिनिकों की सूचना दी, जबकि असम ने 32 बोर्ड्स में से केवल 12 से संबद्ध क्लिनिकों की सूचना दी। हरियाणा के 22 JJB में से केवल 8 ने ही जानकारी उपलब्ध कराई और उनमें से भी केवल 4 ने ही संबद्ध क्लिनिक होने की सूचना दी। नगालैंड ने बताया कि उनके किसी भी JJB को 'विधिक सेवा क्लिनिक' की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

निरीक्षण: आदर्श रूप से प्रत्येक 'किशोर न्याय बोर्ड' को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गृह का कम से कम महीने में एक बार या वर्ष में 12 निरीक्षण करने चाहिए। यदि विभिन्न कार्यों के अनुसार विभाजित सुविधाएं एक ही परिसर में स्थित हों तो भी प्रत्येक खंड का निरीक्षण संबंधित प्राधिकरण द्वारा महीने में कम से कम एक बार अलग-अलग किया जाना आवश्यक है। कुल मिलाकर, 292 बोर्डों को 12 महीने की अवधि में 110 'पर्यवेक्षण गृहों', 35 'विशेष गृहों' और 26 'सुरक्षित स्थानों' (एकीकृत गृहों को अलग-अलग संस्थान मानते हुए) में 2,000 से अधिक निरीक्षण करने चाहिए थे।

वास्तव में, बोर्डों ने केवल 778 निरीक्षण किए। उपलब्ध कराए जवाब में केवल निरीक्षण की तिथियां दर्ज थीं। यह स्पष्ट नहीं था कि किस विशेष संस्था का निरीक्षण किया गया था। राजस्थान के टोंक और उदयपुर ने क्रमशः 52 और 45 निरीक्षणों के साथ अपने 4 संस्थानों के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंड पूरा किया। अन्य जिले जिन्होंने न्यूनतम जरूरत पूरी की, वे थे- उत्तराखंड में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल; झारखंड में दुमका और गुमला; जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और पश्चिम बंगाल में नादिया और दक्षिण दिनाजपुर।

संक्षेप में, जवाब देने वाले 160 जिलों में से केवल 7 ही वैधानिक न्यूनतम मानदंड पूरा कर सके; 6 जिलों में कोई निरीक्षण दर्ज नहीं किया गया। निरीक्षणों की संख्या पड़ोसी क्षेत्रों या विभिन्न प्रकार के गृहों के बीच भी काफी भिन्न थी। उदाहरण के तौर पर, जहां राजस्थान का टोंक पूरा निरीक्षण करने में सफल रहा, वहीं कोटा में एक भी निरीक्षण नहीं किया गया। इसी प्रकार, केरल में कोझिकोड के गृहों में 17 निरीक्षण किए गए, जबकि एरनाकुलम में एक भी नहीं।

चित्र 6.4 JJB में विधिक सेवा क्लिनिक

	कुल JJB	JJB का कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	कुल JJB के प्रतिशत के रूप में विधिक सेवा क्लिनिक
अरुणाचल प्रदेश	26	26	NP	NP
असम	32	32	12	37.5
गोवा	2	2	1	50.0
हरियाणा	22	8	4	50.0
हिमाचल प्रदेश	11	11	3	27.3
जम्मू और कश्मीर	20	20	11	55.0
झारखंड	24	9	NP	NP
केरल	14	12	5	41.7
मध्य प्रदेश	51	51	50	98.0
मेघालय	12	12	NP	NP
मिज़ोरम	11	11	11	100.0
नगालैंड	16	16	0	0.0
ओडिशा	34	34	30	88.2
राजस्थान	34	15	NP	NP
सिक्किम	4	4	4	100.0
त्रिपुरा	8	8	8	100.0
उत्तराखंड	13	9	5	55.6
पश्चिम बंगाल	22	12	8	66.7
कुल	356	292	152	52.1

नोट: 1. अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे, और ओडिशा में खोरधा, संबलपुर और सुंदरगढ़ में 2-2 JJB हैं, और वहां के प्राप्त आंकड़ों को एक साथ दिया गया है। 2. ओडिशा के गंजम में भी 2 JJB हैं, गंजम 1 की वैल्यू 34.4 और गंजम 2 की 26.8 है; चित्र में, उन्हें मिलाकर 29.5% दिखाया गया है। स्रोत: राज्यों से मिले RTI जवाब।

बाल देखरेख संस्थानों की उपलब्धता

हरेक ज़िले में 'विधि विवादित बच्चों' के लिए कोई-न-कोई सुविधा केंद्र अवश्य होना चाहिए ताकि कोई बच्चा अपने घर से ज़्यादा दूर रहने को मजबूर न हो। यह ध्यान में रखते हुए भी कि एक 'पर्यवेक्षण गृह' में कई ज़िलों के बच्चों को रखा जा सकता है, 292 ज़िलों में से लगभग एक-तिहाई ज़िलों (केवल 110 ज़िलों) में 'विशिष्ट पर्यवेक्षण गृह' उपलब्ध होने की सूचना मिली। इसके अलावा, 35 'विशेष गृह' उपलब्ध होने की जानकारी मिली जिन्हें राज्य अपने विवेकाधिकार से स्थापित कर सकते हैं।

कई राज्य दो या तीन प्रकार के आवासीय गृहों को मिलाकर एक सुविधा केंद्र संचालित करते हैं। हालांकि ये गृह एक ही स्थान पर संचालित होते हैं, फिर भी इन्हें अलग-अलग सुविधा केंद्र के रूप में गिना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में ऐसे 23 सुविधा केंद्र पाए गए। मिज़ोरम के आइज़ोल जैसे कुछ ज़िलों में लड़कियों के लिए एक

'पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह' और लड़कों के लिए एक-एक 'पर्यवेक्षण गृह' एवं 'विशेष गृह' उपलब्ध था। लेकिन 186 ज़िलों में किसी भी प्रकार का कोई गृह मौजूद नहीं था।

प्रत्येक राज्य में 16 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चों के लिए कम-से-कम एक 'सुरक्षित स्थान' होना चाहिए जो जघन्य अपराधों के आरोपी हों या इसके लिए दोषी करार दिए गए हों या जिन्होंने नाबालिग उम्र में गंभीर अपराध किया हो या उनके ऐसा करने का संदेह हो और वे केस की कार्रवाई के दौरान वयस्क हो गए हों। राजस्थान में ऐसे 6 'सुरक्षित स्थान' होने की जानकारी मिली जबकि असम और सिक्किम में ऐसा एक भी केंद्र नहीं था। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसे अन्य सुविधाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया था।

अगर लड़कों के लिए अलग और विशिष्ट गृहों की संख्या पर्याप्त नहीं थी तो लड़कियों के लिए संख्या और भी कम रही: जिन 292 ज़िलों से जानकारी मिली, उनमें लड़कियों के लिए केवल 40 गृह उपलब्ध थे। नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में ऐसे गृह हैं जहां असामान्य तौर पर

चित्र 6.5 बाल देखरेख संस्थान

राज्य
18

ज़िले
104

गृह
140

लड़कियों के लिए गृह
40

ज़िला	CCI (OBH/SH/Pos)	ज़िला	CCI (OBH/SH/Pos)
अरुणाचल प्रदेश		हजारीबाग	OBH*
पूर्वी सियांग	OBH-सुरक्षित स्थान*	सिमडेगा	OBH*
असम		केरल	
कछार	लड़कों के लिए OBH	अलप्पुझा	लड़कों के लिए OBH
जोरहाट	लड़कों के लिए OBH	एर्नाकुलम	लड़कों के लिए OBH
कामरूप महानगरीय	लड़कियों के लिए OBH	कोझिकोड	लड़कों के लिए OBH, लड़कियों के लिए OBH
कामरूप अमीगांव (ग्रामीण)	लड़कों के लिए OBH	त्रिशुर	लड़कों के लिए OBH
नगांव	लड़कियों के लिए OBH	मध्य प्रदेश	
गोवा		भोपाल	लड़कों के लिए OBH
उत्तरी गोवा	लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह	बैतूल	लड़कों के लिए OBH
हरियाणा		छतरपुर	लड़कों के लिए OBH
अंबाला	लड़कों के लिए OBH	गुना	लड़कों के लिए OBH
फरीदाबाद	लड़कों के लिए OBH, लड़कों के लिए सुरक्षित स्थान	ग्वालियर	लड़कों के लिए OBH
हिमाचल प्रदेश		इंदौर	लड़कों के लिए OBH, लड़कों के लिए विशेष गृह-सुरक्षित स्थान, लड़कियों के लिए विशेष गृह-सुरक्षित स्थान
शिमला	लड़कों और लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान**	जबलपुर	लड़कों के लिए OBH
ऊना	लड़कों और लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान**	झाबुआ	लड़कों के लिए OBH
जम्मू और कश्मीर		मुरैना	लड़कों के लिए OBH
जम्मू	OBH*	नरसिंहपुर	लड़कों के लिए OBH
श्रीनगर	OBH*	रतलाम	लड़कों के लिए OBH
झारखंड		रीवा	लड़कों के लिए OBH
धनबाद	OBH*	सागर	लड़कों के लिए OBH
दुमका	OBH*	सिवनी	लड़कों के लिए OBH, लड़कों के लिए विशेष गृह-सुरक्षित स्थान
गुमला	OBH*	शहडोल	लड़कियों के लिए OBH
		उज्जैन	लड़कों के लिए OBH
		विदिशा	लड़कियों के लिए OBH

*यह जवाब नहीं मिला कि लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए। **लड़के और लड़कियों के लिए संयुक्त गृह। ***स्पष्ट नहीं किया कि लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए।
स्रोत: राज्यों से प्राप्त RTI उत्तर।

अगले पृष्ठ पर जारी...

ज़िला	CCI (OBH/SH/Pos)	ज़िला	CCI (OBH/SH/Pos)
मेघालय		दुएंसांग	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH
पूर्वी खासी हिल्स	लड़कों के लिए OBH, लड़कियों के लिए OBH, लड़कों के लिए विशेष गृह, लड़कियों के लिए विशेष गृह, लड़कों के लिए सुरक्षित स्थान, लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान	वोखा	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH
पश्चिमी गारो हिल्स	लड़कों के लिए OBH	जुन्हेबोटो	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH
मिज़ोरम		ओडिशा	
आइजोल	लड़कों के लिए OBH, लड़कों के लिए विशेष गृह, लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह, लड़कों और लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान	अंगुल	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह
कोलासिब	लड़कों के लिए OBH	बौध	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह
लांगटलाई	लड़कों के लिए OBH	गंजम	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह, लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह
लुंगलेई	लड़कों के लिए OBH, लड़कों के लिए विशेष गृह	कालाहांडी	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह
ममित	लड़कों के लिए OBH	मलकानगिरी	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह
साइहा	लड़कों के लिए OBH	सुंदरगढ़	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह, सुरक्षित स्थान***
सेरछि	लड़कों के लिए OBH	राजस्थान	
चम्फाई	लड़कों के लिए OBH	अलवर	OBH*
सैतुअल	लड़कों के लिए OBH	बूंदी	OBH*
खवजावल	लड़कों के लिए OBH	भरतपुर	OBH*, विशेष गृह*, सुरक्षित स्थान*
हनाहथियाल	लड़कों के लिए OBH	भीलवाड़ा	OBH*, विशेष गृह*, सुरक्षित स्थान*
नगालैंड		चित्तौड़गढ़	OBH*
दीमापुर	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH, लड़कियों और लड़कों के लिए विशेष गृह	चुरू	OBH*
किफ़िरे	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	दौसा	OBH*
कोहिमा	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	हनुमानगढ़	OBH*
लॉंगलेंग	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	जालौर	OBH*, विशेष गृह*, सुरक्षित स्थान*
मोकोकचुंग	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	झालावाड़	OBH*
मॉन	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	कोटा	OBH*, विशेष गृह*, सुरक्षित स्थान*
पेरन	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	राजसमंद	OBH*, विशेष गृह*, सुरक्षित स्थान*
फेक	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH, लड़कियों और लड़कों के लिए विशेष गृह	सिरोह	OBH*
		टोंक	OBH*, विशेष गृह*, सुरक्षित स्थान*
		उदयपुर	OBH*

*यह जवाब नहीं मिला कि लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए। **लड़के और लड़कियों के लिए संयुक्त गृह। ***स्पष्ट नहीं किया कि लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए।
स्रोत: राज्यों से प्राप्त RTI उत्तर।

अगले पृष्ठ पर जारी...

ज़िला	CCI (OBH/SH/Pos)	ज़िला	CCI (OBH/SH/Pos)
सिक्किम		पश्चिम बंगाल	
पूर्वी सिक्किम (गंगटोक)	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	कूच बिहार	लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान
दक्षिणी सिक्किम (नामची)	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH	हुगली	लड़कों के लिए OBH
त्रिपुरा		हावड़ा	लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान, लड़कों के लिए OBH
गोमती	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह	जलपाईगुड़ी	लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान
उत्तरी त्रिपुरा	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH, लड़कियों और लड़कों के लिए विशेष गृह	मुर्शिदाबाद	लड़कियों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान, लड़कों के लिए OBH-विशेष गृह-सुरक्षित स्थान
पश्चिमी त्रिपुरा	लड़कियों और लड़कों के लिए OBH, लड़कियों और लड़कों के लिए विशेष गृह, लड़कियों और लड़कों के लिए सुरक्षित स्थान	नादिया	लड़कों के लिए OBH
उत्तराखंड		पश्चिमी मेदिनीपुर	लड़कों के लिए OBH
अल्मोड़ा	लड़कों के लिए OBH	पूर्वी मेदिनीपुर	लड़कों के लिए OBH
नैनीताल	लड़कों के लिए OBH, लड़कियों के लिए OBH		
पौड़ी गढ़वाल	लड़कों के लिए OBH, लड़कियों के लिए OBH		
उधम सिंह नगर	लड़कों के लिए OBH		

लड़कों और लड़कियों को एकसाथ रखा जाता है।²⁰²

प्रभारी अधिकारी: 'किशोर न्याय अधिनियम' के मुताबिक किसी भी 'बाल देखरेख संस्थान' का समग्र संचालन, प्रबंधन और निरीक्षण एक 'प्रभारी अधिकारी' की उपस्थिति पर निर्भर करता है। वह प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव भी होता है। फिर भी, 171 गृहों में से केवल 94 में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी मिली। छह गृहों (ओडिशा के अंगुल के 1 एवं गंजम के 2, केरल के कोझीकोड के 1, पश्चिम बंगाल के हावड़ा के 1, और उत्तरी त्रिपुरा के 1 गृह) में कोई प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं था। शेष 77 ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

चिकित्सा अधिकारी: हर तरह के गृह के लिए "कम-से-कम एक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध" होना चाहिए। कुल 171 गृहों में से केवल 19 ने बताया कि उनके यहां डॉक्टर उपलब्ध हैं। असम, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम ने बताया कि उनके हर 'पर्यवेक्षण गृह' के लिए डॉक्टर उपलब्ध थे। ओडिशा ने 7 'पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृह' के लिए केवल तीन डॉक्टर उपलब्ध होने की सूचना दी। हिमाचल प्रदेश, केरल, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा ने बताया कि उनके यहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।

परामर्शदाता: 'किशोर न्याय आदर्श नियमावली 2016' का नियम 26(7) प्रत्येक गृह में कम से कम दो परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर रखने का सुझाव देता है। कुल 171 गृहों में से केवल 70 ने अपने यहां परामर्शदाता होने की सूचना दी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ने प्रत्येक पर्यवेक्षण गृह में एक परामर्शदाता होने की सूचना दी। उत्तराखंड के छह 'पर्यवेक्षण गृहों' में कोई काउंसलर उपलब्ध नहीं है। मेघालय (2), मिज़ोरम (3) और त्रिपुरा (3) सभी के 'विशेष गृहों' ने एक परामर्शदाता की कमी की जानकारी दी। त्रिपुरा के 'सुरक्षित स्थान' पर भी कोई परामर्शदाता नहीं है।

विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी: 'मिशन वात्सल्य' के दिशानिर्देशों के मुताबिक 'ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी' के अधीन एक 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी' 'विधि विवादित बच्चों' से जुड़े 'सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा' और 'ज़िला स्तर पर JJB और 'बाल कल्याण केंद्रों' की मदद करेगा।' 292 बोर्ड्स में से केवल 146 में ये अधिकारी उपलब्ध थे। तेरह जिलों ने बताया कि उनके यहां कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है।²⁰³ हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम और ओडिशा ने प्रत्येक जिले के लिए एक अधिकारी की सूचना दी। छह

202 नियम 29, किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2016 में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग गृहों का प्रावधान है।

203 त्रिपुरा (पश्चिमी त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा); असम (दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, गोलपारा); हरियाणा (अंबाला, चरखी दादरी, फरीदाबाद, कैथल); केरल (अलापुझा); मेघालय (री भोई, पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स) और पश्चिम बंगाल (दक्षिण दिनाजपुर)।

राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान और उत्तराखंड ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

निरीक्षण: आदर्श रूप से एक JJB को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रत्येक गृह का हर महीने कम-से-कम एक या साल में 12 निरीक्षण करने चाहिए।²⁰⁴ अलग-अलग प्रकृति के CCI एक ही स्थान पर संचालित हो रहे हों तो भी निरीक्षण प्राधिकरण को इनमें से हर किसी का महीने में कम-से-कम एक बार दौरा अवश्य करना चाहिए। कुल मिलाकर, 292 बोर्ड्स को 110 'पर्यवेक्षण गृहों', 35 'विशेष गृहों' और 26 'सुरक्षित स्थानों' (एकीकृत गृहों को अलग सुविधा केंद्र मानने पर) का 12 महीने के दौरान 2,000 बार निरीक्षण करना चाहिए था, लेकिन असलियत में बोर्ड्स ने 778 बार ही निरीक्षण किया।

RTI आवेदनों के जवाब में केवल निरीक्षण की तारीखें उपलब्ध कराई गईं। विस्तार से यह नहीं बताया गया कि किस विशेष सुविधा केंद्र का

निरीक्षण किया गया था। टोंक और उदयपुर - राजस्थान के इन दोनों जिलों में से प्रत्येक में 4 CCI हैं। इनका क्रमशः 52 और 45 बार निरीक्षण कर न्यूनतम दौरे संबंधी अनिवार्यता को पूरा किया गया। न्यूनतम निरीक्षण करने वाले अन्य जिलों में उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, झारखंड के दुमका और गुमला, जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर एवं पश्चिम बंगाल के नादिया और दक्षिण दिनाजपुर जिले शामिल रहे।

संक्षेप में, जानकारी उपलब्ध कराने वाले 160 जिलों में से केवल 7 ही न्यूनतम वैधानिक अनिवार्यताओं को पूरा कर पाए। 8 जिलों में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।²⁰⁵ आस-पास के इलाकों में स्थित या विभिन्न प्रकार के गृहों के निरीक्षणों की संख्या में भी काफ़ी अंतर सामने आया। जैसे, जहां राजस्थान के टोंक स्थित गृहों का न्यूनतम से अधिक बार निरीक्षण किया गया, वहीं इसी राज्य के कोटा में कोई निरीक्षण नहीं हुआ। इसी तरह, केरल के कोझिकोड में गृहों का 17 बार निरीक्षण किया गया, लेकिन एर्नाकुलम में एक भी निरीक्षण नहीं हुआ।



204 धारा 8(3)(j), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015.

205 उत्तरी गोवा, गोवा; एरनाकुलम, केरल; हनाथियाल, ख्वाजावल और सैतुअल, नगालैंड; बौध और गंजम, ओडिशा और कोटा, राजस्थान।

अध्याय 7

**सूचनाओं तक पहुंच
और आंकड़े**

विश्वसनीय और सुलभ आंकड़े किशोर न्याय के लिए तथ्य-आधारित नीति बनाने और जवाबदेही तय करने का आधार होते हैं। किशोर न्याय (JJ) प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि 'विधि विवादित बच्चों' का पुनर्वास ऐसी प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना चाहिए जो उनकी गरिमा को बहाल करे और उनमें फिर से अपनेपन की भावना पैदा करे। वहीं, 'बच्चे का सर्वोत्तम हित' ही सभी प्राधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य है।

बाल देखरेख और संरक्षण का सिद्धांत जटिल वास्तविकता से रूबरू होता है। एक बच्चे के इस व्यवस्था के संपर्क में आते ही निम्न प्राधिकारी उसकी देखरेख और संरक्षण में शामिल हो जाते हैं: पुलिस (खासकर 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ'); 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) जो उसके मामले की सुनवाई करते हैं; 'ज़िला बाल संरक्षण इकाइयाँ' (DCPU) जो देखरेख और फ़ॉलो-अप का समन्वय करती हैं; 'परिवीक्षा अधिकारी' जो व्यवहार का आकलन और निगरानी करते हैं; क़ानूनी सहायता प्रदाता जो बच्चे का प्रतिनिधित्व करते हैं; 'पर्यवेक्षण गृह' जो जांच चलने तक अंतरिम आश्रय प्रदान करते हैं और 'विशेष गृह' एवं 'सुरक्षित स्थान' जो दोषी करार दिए बच्चों का दीर्घकालिक पुनर्वास करते हैं। इनमें से प्रत्येक प्राधिकारी अलग-अलग विभागों के अंतर्गत काम करते हैं जिनमें गृह, विधि और 'महिला एवं बाल विकास विभाग' शामिल हैं। यहां तक कि इनमें से कुछ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों के मातहत भी आते हैं।

दरअसल, अलग-अलग विभागों से संबद्ध इतने प्राधिकारियों से समन्वय की व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं। इस जटिल व्यवस्था की एक भी कड़ी गायब होने पर नई अड़चनें पैदा होती हैं। जैसे, पुलिस द्वारा बच्चे को क़ानूनी रूप से निर्धारित 24 घंटों के भीतर JJB के समक्ष पेश करने में देर हो सकती है क्योंकि पुलिस बल कम या अप्रशिक्षित है। किसी बच्चे को आम हवालात में रखा जा सकता है या वकील या केस वर्कर को ज़मानत की सुनवाई में पहुंचने में देर हो सकती है। हर समय उपलब्ध रहने की अनिवार्यता के बावजूद हो सकता है कि JJB या उसके सदस्य सुनवाई के लिए उपलब्ध न हों। परिवीक्षा अधिकारियों को समय पर अपनी जांच पूरी करने में कठिनाई आ सकती है क्योंकि स्कूल, परिवार और स्वास्थ्य विभागों से शायद जानकारी न मिले या पुरानी जानकारी मिले।

इन व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी समन्वय ज़रूरी है। खासकर ज़िला स्तर पर, जहां ये सेवाएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे, JJB को अगर 'सामाजिक जांच रिपोर्ट', क़ानूनी सहायता की जानकारी या 'पर्यवेक्षण गृहों' से नवीनतम आंकड़े उपलब्ध न हों तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। ज़िला स्तर पर समन्वय स्थापित करने वाले DCPO जैसे अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी इकाइयों के साथ ज़रूरी जानकारी तुरंत साझा की जाए। जैसे, क्या बच्चा पूर्व में

नशा करता रहा है, क्या उसने कई बार अपराध किया है। इसके अलावा, नियमित दौरों की जानकारी न देने या 'पर्यवेक्षण अधिकारी' द्वारा इसकी जांच न करने पर जवाबदेही तंत्र नष्ट हो सकता है और संस्थागत बच्चे लगातार ख़तरनाक परिस्थितियों में रहने को मजबूर हो सकते हैं।

'मिशन वात्सल्य' का उद्देश्य भी इसी प्रकार का समन्वय सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी 'विधि विवादित बच्चों' का विस्तृत आंकड़ा एकत्र करना, इसे ज़िला स्तर के प्राधिकारियों के साथ साझा करना और राज्य के नोडल विभागों को भेजना अनिवार्य है। जैसे, एक DCPU को 'बाल देखरेख संस्थानों' के कामकाज संबंधी मासिक रिपोर्ट 'राज्य बाल संरक्षण समिति' को भेजनी चाहिए। 'मिशन वात्सल्य' पोर्टल जैसे उपकरण ऐसे ही कार्य में मदद के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन ये तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सभी प्राधिकरण-पुलिस, गृह, JJB और DCPU इसके लिए नियमित जानकारी उपलब्ध कराएं।

'विधि विवादित बच्चों' के अधिकारों की रक्षा मात्र क़ानूनी अनिवार्यता नहीं है। इससे व्यवस्था के विभिन्न अंगों की परस्पर संवाद क्षमता और ऐसे बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की भी जांच होती है।

वर्ष 2023 में, IJR ने एक अध्ययन शुरू किया जिसका मक़सद यह आकलन करना था कि किशोर न्याय ढांचे के तहत विभिन्न संस्थान कितने सक्षम हैं और वे 'विधि विवादित बच्चों' के संबंध में कितना प्रभावी संवाद करते हैं। इस अध्ययन के लिए एक समान, पूरे और नवीनतम आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने पर 'सूचना के अधिकार' द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। ये जानकारी राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसियों से ली गई जो समन्वय और निरीक्षण के लिए ज़िला स्तर पर आंकड़े जमा करने और सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदार हैं।

क़ानूनी प्रावधान स्पष्ट हैं: RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए आंकड़े या जानकारी तैयार करना, सुरक्षित रखना, सूचीबद्ध और कंप्यूटर में दर्ज करना और सक्रिय रूप से साझा करना अनिवार्य है। यह केवल प्रशासनिक ज़रूरत नहीं, बल्कि जनता के सूचना प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अधिनियम की धारा 7(9) केवल तभी सूचना देने से इनकार करने की अनुमति देती है, जब सूचना जुटाने में संसाधनों का बहुत दुरुपयोग होता हो। यह अपवाद वहां लागू नहीं होता है जहां ऐसे आंकड़े पहले से ही नियमित रूप से जुटाए जा रहे हों।

प्रत्येक विभाग से पूछे गए प्रश्न सीधे उनके कर्तव्य और ज़िम्मेदारियों से

जुड़े थे। हालांकि, औपचारिक रूप से ये सूचनाएं RTI अधिनियम की धारा 6 के तहत मांगी गई थी, लेकिन अधिकांश जानकारी ऐसी थी जिसे RTI अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत स्वतः सार्वजनिक करना जरूरी था।

IJR ने अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच व्यवस्था की क्षमता से संबंधित 16 प्रश्न तैयार किए। 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 250 से अधिक आवेदन²⁰⁶ भेजे गए और इन चार प्रमुख विभागों से जानकारी मांगी गई: 'महिला एवं बाल विकास विभाग' (WCD), 'राज्य बाल संरक्षण समिति' (SCPS), पुलिस मुख्यालय और 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (SLSA)। इन सभी विभागों से इसलिए संपर्क किया गया क्योंकि ये JJ एक्ट और 'मिशन वात्सल्य' योजना का कार्यान्वयन देखने वाले आधिकारिक नोडल प्राधिकरण हैं।

IJR को 500 से अधिक RTI आवेदनों के जवाब मिले। इनमें से 36% नोडल प्राधिकरणों से प्राप्त हुए, 29% को जिलों में भेज दिया गया, 24% आवेदनों का कोई जवाब नहीं मिला और 11% को अस्वीकार कर दिया गया। केवल मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम ने सभी 16 प्रश्नों से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई। नोडल एजेंसियों में 'राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण' ने सबसे अधिक जानकारी उपलब्ध कराई, लेकिन उन्होंने भी 37% आवेदनों को जिलों को भेज दिया।

नोडल एजेंसियों से प्राप्त जानकारी: नोडल प्राधिकरणों से मिली जवाबों से पता चला कि आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं थे, ठीक ढंग से संकलित नहीं थे या अनुपलब्ध थे। हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के SCPS ने 'पर्यवेक्षण गृहों', 'विशेष गृहों' और 'सुरक्षित स्थानों' की संख्या और क्षमता या व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं दी। दूसरी ओर, बिहार, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु ने कोई जानकारी नहीं दी।

मिज़ोरम के अलावा, हर राज्य की नोडल एजेंसियों ने हमारे RTI आवेदनों को जिलों को भेजा। आंध्र प्रदेश में 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SJPU) की स्थापना और 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों' (CWPO) की नियुक्ति का जिम्मा राज्य पुलिस मुख्यालय का है, लेकिन इसके बावजूद इसने RTI आवेदनों को जिलों, मंडलों और "संबंधित इकाइयों" के पास भेजा। हालांकि, ये इकाइयां भी पुलिस मुख्यालय के आदेश, कार्रवाई से ही अस्तित्व में आती हैं। केवल मुख्यालय ही पुष्टि कर सकता है कि क्या इन इकाइयों का वास्तव में गठन हुआ, उनकी संख्या क्या थी

और ऐसा किस सरकारी आदेश के तहत हुआ।

इसी तरह, मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय ने SJPU और CWPO की संख्या और कार्य-संचालन के प्रश्न को 'महिला सुरक्षा शाखा' को भेज दिया। इससे पता चलता है कि बाल संरक्षण से जुड़ी जानकारी को पुलिस कार्यप्रणाली का ही हिस्सा मानने के बजाय, कम महत्वपूर्ण विषय के रूप में अलग-थलग कर दिया गया। बहरहाल, 'महिला सुरक्षा शाखा' ने कोई जवाब नहीं भेजा। इससे यह बुनियादी सवाल अनुत्तरित रह गया कि राज्य स्तर पर, 'विधि विवादित बच्चों' के संरक्षण और पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में समेकित जानकारी किस एजेंसी के पास है।

जिलों से मिली जानकारी: जिलों से मिली जानकारीयां आंशिक और अपूर्ण थीं। नोडल एजेंसी ने जिन जिलों को हमारे सवाल भेजे, उनमें से कुछ ने ही जवाब दिया और जवाबों में भी विसंगतियां देखी गईं। जिलों ने सभी प्रश्नों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जैसे, तेलंगाना में 23 जिलों ने CWPO से संबंधित प्रश्न का उत्तर भेजा तो 7 ने SJPU से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई।

इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश और बिहार के राज्य स्तरीय नोडल प्राधिकरणों ने जिन DLSA को आवेदन भेजा, उनमें से केवल आधों ने ही जानकारी उपलब्ध कराई। हरियाणा के एक और केरल के दो जिलों ने कोई जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के 13 में से केवल 8 जिलों और उत्तराखंड के 23 में से 14 जिलों ने जवाब दिया।

जिलों से हमारे RTI आवेदनों के जवाब में आंशिक जानकारी मिलने या न मिलने पर IJR ने दो वजहों से कोई कार्रवाई नहीं की। पहला- सूचना मांगना RTI कानून के दायरे में रहे (जिम्मेदार प्राधिकारी से जानकारी मांगना) और दूसरा- नोडल स्तर पर अनुपालन की जांच की जा सके। जहां गोपनीयता के लिए सूचना के संपादन की आवश्यकता हो, ऐसे मामलों को छोड़कर सभी आंकड़े नोडल अधिकारियों के पास जनता के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

जानकारी देने से इनकार: उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसी भी स्तर के संस्थान ने कोई भी जानकारी नहीं दी। गुजरात SLSA से यह जानकारी मांगी गई थी कि NALSA के 2011 के नियमों²⁰⁷ के तहत कितने 'विधिक सेवा क्लिनिक', 'पर्यवेक्षण गृह' और 'सुरक्षित स्थान' JJB से संबद्ध हैं। इस आवेदन को खारिज करते हुए गुजरात SLSA ने बताया कि ऐसी जानकारी जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही, यह तर्क भी दिया

206 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को भेजे गए प्रश्नों की एक प्रति अनुलग्नक में दी गई है।

207 गुजरात सूचना का अधिकार, अधिसूचना संख्या SB.1/102001/8203/801-62, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025, गृह विभाग, सचिवालय, गांधीनगर। इस लिंक पर उपलब्ध: https://dfs.gujarat.gov.in/Upload/dfs_act_060422.pdf

कि इस सवाल से "व्यापक सार्वजनिक हित नहीं होता या यह सन्भावना से नहीं पूछा गया है।" ऐसा लगता है कि यह सूचना के अधिकार क़ानून की अनुचित व्याख्या है जो प्रकट रूप से गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश की व्याख्या पर आधारित है।²⁰⁸ गुजरात SLSA ने जो जानकारी उपलब्ध कराने से साफ़ इनकार किया, वास्तव में वह उच्च न्यायालय और 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' को नियमित रूप से दी जानी चाहिए। साथ ही, यह जानकारी न्यायिक प्रशासन द्वारा सामान्य रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए। देश भर के ज़्यादातर 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों' ने यह जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई।

गुजरात पुलिस मुख्यालय ने आवेदन को CID (अपराध एवं रेलवे) के पास भेज दिया। CID ने कहा कि वह 'गुजरात सूचना के अधिकार' की अधिसूचना के तहत 'सुरक्षा संगठन' है और सूचना देने से इनकार कर दिया।²⁰⁹ राज्य के 'महिला एवं बाल विभाग' ने भी सूचना संबंधी आवेदन को 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' को हस्तांतरित कर दिया, जिसने कोई जानकारी नहीं भेजी। इसी तरह, 'गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी' ने भी गृहों और 'सुरक्षित स्थानों' की संख्या, उनकी क्षमता, कर्मचारियों और 'जु फंड' के बारे में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जानकारी नहीं दी।

उत्तर प्रदेश में, 'महिला एवं बाल विकास विभाग' ने 'राज्य बाल संरक्षण समिति' (SCPS) से संबंधित जानकारी के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि, संलग्न पोस्टल ऑर्डर को भुनाया नहीं जा सकता क्योंकि "इस तरह का कोई विभाग उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित नहीं है।" इसके बजाय, उन्होंने 'महिला एवं बाल विकास विभाग' को नया RTI आवेदन भेजने की सलाह दी। इसके बाद विभाग को भेजे गए आवेदन के जवाब में वेबसाइट देखने को कहा गया। वेबसाइट पर गृहों की संख्या के बारे में आंशिक जानकारी मौजूद थी, लेकिन मांगी गई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

व्यवस्था के प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए जरूरी है कि ज़िलों द्वारा एकत्रित और साझा किए गए आंकड़ों पर आधारित विश्वसनीय सूचना समय पर ऊपरी प्रशासनिक स्तर तक पहुंचे और फिर इसे राज्य नोडल एजेंसियों तक पहुंचाया जाए। 'किशोर न्याय अधिनियम' और 'मिशन वात्सल्य' के तहत, नोडल संस्थानों (SCPS, SJPU/CWPO के लिए पुलिस मुख्यालय, SLSA, JJB, DCPU) के लिए ज़मीनी स्तर पर आंकड़े एकत्र करना, इनका उपयोग एवं प्रबंधन करना और ज़िलों को इसे राज्य स्तरीय संस्थानों को भेजना अनिवार्य है। नोडल निकाय द्वारा निगरानी और समन्वय करने के लिए यह जरूरी है कि उनके पास जिला स्तरीय संपूर्ण और समेकित आंकड़े उपलब्ध हों और वे इन्हें योजना-निर्माण, निगरानी, समय पर कार्रवाई और सुधार के लिए तैयार रखें।

RTI आवेदनों का देर से या आंशिक जवाब देना या कोई जवाब ही नहीं देना, एक अक्षम सूचना संस्कृति को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति आंकड़ों के प्रबंधन से जुड़ी बुनियादी समस्या की ओर इशारा करती है। RTI आवेदनों को नियमित रूप से ज़िलों को भेजा जाता है, जहां अक्सर अधूरी और असंकलित जानकारी रहती है और इन्हें ऊपरी प्रशासनिक स्तर तक नहीं भेजा जाता है।

आवेदनों को नियमित रूप से ज़िलों को हस्तांतरित करने से यह धारणा मज़बूत होती है कि नोडल संस्थानों को समयबद्ध सम्पूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है या वे इसकी मांग और रखरखाव नहीं करते हैं। इस कारण उनके पास कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी का कोई साधन नहीं है। इससे पता चलता है कि निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी प्रावधानों से समझौता किया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता कमजोर हो रही है। इन सबसे बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

208 विनुभाई हरिभाई पटेल (मालविया) बनाम सहायक आयकर आयुक्त मामले में अदालत का फैसला, दिनांक 27 जनवरी 2021 [R/लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1169/2016]

209 गुजरात सूचना का अधिकार, अधिसूचना संख्या SB.1/102001/8203/goi-62, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025, गृह विभाग, सचिवालय, गांधीनगर। इस लिंक पर उपलब्ध: https://dfs.gujarat.gov.in/Upload/dfs_act_060422.pdf

चित्र 7.1: राज्यवार RTI का जवाब

- नोडल एजेंसी से जवाब
- जिलों को ट्रांसफर
- जवाब नहीं मिला
- अस्वीकृत की गई

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	राज्यों में जिले	SLSA		पुलिस मुख्यालय			
		राज्यों में विधिक सेवा क्लिनिक	ज्जब के लिए वकीलों का अलग पैनल	SJPU प्रति ज़िले	CWPO प्रति पुलिस स्टेशन	महिला सामाजिक कार्यकर्ता	राज्य में महिला CWPO
आंध्र प्रदेश	26	13/26	13/26				
असम	35	33/35	33/35	19/34	19/34	19/34	19/34
बिहार	38	19/38	22/38				
छत्तीसगढ़	33						
गुजरात	33						
हरियाणा	22	21/22	21/22				
झारखंड	24			2/24	11/24	0/24	11/24
कर्नाटक	31						
केरल	14	12/14	13/14			15/22	
मध्य प्रदेश	55						
महाराष्ट्र	36		28/36				
ओडिशा	30			22/36	22/36	12/36	22/36
पंजाब	23						
राजस्थान	41						
तमिलनाडु	38						
तेलंगाना	33		10/33	7/33	23/33	5/33	23/33
उत्तर प्रदेश	75						
उत्तराखंड	13	8/13	8/13				
पश्चिम बंगाल	23	14/23	15/23				
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश	28	0/26	0/26				
गोवा	2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
हिमाचल प्रदेश	12	5/12	7/12	12/14	12/14	2/14	12/14
मणिपुर	16						
मेघालय	12			11/12	11/12	2/12	11/12
मिज़ोरम	11						
नगालैंड	16			11/16	11/16	6/16	11/16
सिक्किम	6			4/6	4/6	4/6	4/6
त्रिपुरा	8			4/8	4/8	4/8	4/8
केंद्र शासित प्रदेश							
दिल्ली	11			13/17	13/17	5/17	13/17
जम्मू और कश्मीर	20			16/22	16/22	2/22	16/22

नोट: 1. आंध्र प्रदेश ने हर ज़िले के हिसाब से ज्जब, हर ज्जब के हिसाब से लंबित केस और निरीक्षण की संख्या पर सवाल अपने 'किशोर कल्याण विभाग' को ट्रांसफर कर दिए, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। 2. केरल ने महिला सामाजिक कार्यकर्ता के सवाल DCPU को ट्रांसफर कर दिए (15/22 ने जवाब दिया)। 3. मध्य प्रदेश ने हर ज़िले के हिसाब से SJPU, हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से CWPO, राज्य में महिला सामाजिक कार्यकर्ता और महिला CWPO पर सवाल अपनी महिला सुरक्षा ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। 4. राज्यों को उनके समूह में अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में लगाया गया है।

चित्र 7.1: राज्यवार RTI का जवाब

- नोडल एजेंसी से जवाब
- जिलों को ट्रांसफर
- जवाब नहीं मिला
- अस्वीकृत की गई

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	SCPS			WCD		
	SJPU में सामाजिक कार्यकर्ता	प्रति ज़िले OBH	प्रति राज्य सुरक्षित स्थान	ज्जब प्रति ज़िले	प्रति ज्जब लंबित केस	निरीक्षणों की संख्या
आंध्र प्रदेश						
असम						
बिहार						
छत्तीसगढ़						
गुजरात						
हरियाणा		8/22		8/22	8/22	8/22
झारखंड				10/24	9/24	9/24
कर्नाटक						
केरल		6/14	1/14	12/14	12/14	11/14
मध्य प्रदेश	4/55			6/55	6/55	
महाराष्ट्र	1/36	8/36	2/36			
ओडिशा						30/34
पंजाब						
राजस्थान				19/41	15/41	15/41
तमिलनाडु						
तेलंगाना						
उत्तर प्रदेश						
उत्तराखंड		4/13	4/13	10/13	9/13	10/13
पश्चिम बंगाल	3/23				12/23	10/23
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश						
गोवा						
हिमाचल प्रदेश	1/14					
मणिपुर						
मेघालय						
मिज़ोरम						
नगालैंड						
सिक्किम						
त्रिपुरा						
केंद्र शासित प्रदेश						
दिल्ली						
जम्मू और कश्मीर						

नोट: 1. आंध्र प्रदेश ने हर ज़िले के हिसाब से ज्जब, हर ज्जब के हिसाब से लंबित केस और निरीक्षण की संख्या पर सवाल अपने 'किशोर कल्याण विभाग' को ट्रांसफर कर दिए, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। 2. केरल ने महिला सामाजिक कार्यकर्ता के सवाल DCPU को ट्रांसफर कर दिए (15/22 ने जवाब दिया)। 3. मध्य प्रदेश ने हर ज़िले के हिसाब से SJPU, हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से CWPO, राज्य में महिला सामाजिक कार्यकर्ता और महिला CWPO पर सवाल अपनी महिला सुरक्षा ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। 4. राज्यों को उनके समूह में अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में लगाया गया है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक क – पुलिस मुख्यालय को भेजे गए RTI प्रश्न

1. कृपया निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

- क) जिला-वार 'विशेष किशोर पुलिस इकाई' (SJPU) के गठन से संबंधित सरकारी आदेशों की पठनीय प्रतियां और 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 107 के अनुसार वर्तमान SJPU सदस्यों की सूची।
- ख) प्रत्येक जिले में वर्तमान अध्यक्ष, 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित आधिकारिक आदेशों की स्पष्ट प्रतियां।
- ग) केरल के प्रत्येक थाने में 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों' की नियुक्ति से संबंधित सरकारी आदेशों की पठनीय प्रतियां।
- घ) केरल के प्रत्येक पुलिस थाने में वर्तमान में नियुक्त पुरुष व महिला 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों' के नाम, उनके पदनाम तथा नियुक्ति तिथि।
- ड) उन पुलिस थानों की सूची जिनमें नामित CWPO नियुक्त नहीं हैं।

अनुलग्नक ख – राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजे गए RTI प्रश्न

1. कृपया 'पर्यवेक्षण गृह' (OBH) के लिए निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

- क) 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 47 के तहत 'पर्यवेक्षण गृह' (OBH) स्थापित करने संबंधी सरकारी आदेश।
- ख) जिला-वार OBH का विवरण, जिसमें स्थापना तिथि, पता, लड़कों एवं लड़कियों की स्वीकृत क्षमता और 31 अक्टूबर 2023 तक की वर्तमान संख्या शामिल हो।
- ग) राज्य के प्रत्येक OBH में प्रभारी अधिकारी, परामर्शदाता, चिकित्सा अधिकारी और सहायक स्टाफ की स्वीकृत और वास्तविक संख्या।
- घ) सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के विवरण से संबंधित

आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां, जो 31 अक्टूबर 2023 तक लागू थे।

ड) राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित प्रत्येक 'पर्यवेक्षण गृह' (OBH) में 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' की धारा 53(2) तथा नियम 39 के अनुसार गठित प्रबंधन समितियों से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां, साथ ही 31 अक्टूबर 2023 तक इन समितियों के सदस्यों के नाम और पदनाम उपलब्ध कराए जाएं।

2. 'विशेष गृह' (SH) के संबंध में कृपया निम्न जानकारी उपलब्ध कराएं:

- क) 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 48 के तहत 'विशेष गृह' (SH) स्थापित करने संबंधी सरकारी आदेश।
- ख) जिलावार SH का विवरण: स्थापना तिथि, पता, लड़कों एवं लड़कियों की स्वीकृत क्षमता और 31 अक्टूबर 2023 तक की वर्तमान संख्या।
- ग) प्रत्येक SH में प्रभारी अधिकारी, परामर्शदाता, चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक स्टाफ की स्वीकृत और वास्तविक संख्या।
- घ) 31 अक्टूबर 2023 तक SH में बच्चों के लिए संचालित व्यावसायिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों से संबंधित सभी आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां।

ड) राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक 'विशेष गृह' में 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' की धारा 53(2) तथा नियम 39 के अनुसार 31 अक्टूबर 2023 तक प्रबंधन समितियों की स्थापना से संबंधित तथा सदस्यों के नाम और पदनाम से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां।

3. 'सुरक्षित स्थानों' (PoS) के बारे में कृपया निम्नलिखित उपलब्ध कराएं

- क) 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 49 के अनुसार 'सुरक्षित स्थान' (PoS) स्थापित करने संबंधी सरकारी आदेश।
- ख) जिला-वार PoS का विवरण: स्थापना तिथि, पता, लड़कों एवं लड़कियों की स्वीकृत क्षमता और 31 अक्टूबर 2023 तक की वर्तमान संख्या।

ग) प्रत्येक PoS में प्रभारी अधिकारी, परामर्शदाता, चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक स्टाफ की स्वीकृत और वास्तविक संख्या।

घ) 31 अक्टूबर 2023 तक PoS में बच्चों के लिए संचालित व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां।

ड) राज्य के प्रत्येक जिले के हर 'सुरक्षित स्थान' में 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' की धारा 53(2) तथा नियम 39 के अनुसार 31 अक्टूबर 2023 तक प्रबंधन समितियों की स्थापना से संबंधित तथा सदस्यों के नाम और पदनाम से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां।

4. कृपया 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि के बीच 'ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी' द्वारा 'पर्यवेक्षण गृहों' के किए गए क्षेत्रीय निरीक्षणों की तिथियां उपलब्ध कराएं।

5. कृपया 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि के बीच 'ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी' द्वारा 'विशेष गृहों' के किए गए क्षेत्रीय निरीक्षणों की तिथियां उपलब्ध कराएं।

6. कृपया 31 अक्टूबर 2023 तक राज्य के ज़िला-वार 'विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारियों' की सूची उपलब्ध कराएं।

7. कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:

(क) वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए 'किशोर न्याय कोष' हेतु राज्य स्तरीय बजटीय आवंटन का विवरण।

(ख) राज्य के 'किशोर न्याय कोष नियम' की प्रति, जैसा कि JJ एक्ट, 2015 की धारा 105 तथा JJ आदर्श नियम, 2016 के नियम 83(6) के तहत अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

अनुलग्नक ग – महिला और बाल विकास विभाग को भेजे गए RTI प्रश्न

कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:

1. राज्य के प्रत्येक जिले में 'किशोर न्याय बोर्ड' की स्थापना से संबंधित सरकारी आदेश, जैसा कि JJ एक्ट, 2015 की धारा 4 तथा JJ आदर्श नियम, 2016 के नियम 3 और 4 के तहत आवश्यक है।

2. राज्य में स्थापित 'किशोर न्याय बोर्ड' की ज़िला-वार सूची और उनका पता, साथ ही 31 अक्टूबर 2023 तक के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम।

3. 'किशोर न्याय बोर्डों' द्वारा अपने-अपने ज़िलों में 'विधि विवादित बच्चों' के लिए आवासीय सुविधाओं के निरीक्षण की तिथियां, जैसा कि JJ एक्ट, 2015 की धारा 8(j) के अनुसार आवश्यक है।

4. कार्यभार संबंधी जानकारी:

(क) 31 अक्टूबर 2022 तक प्रत्येक 'किशोर न्याय बोर्ड' के समक्ष लंबित मामलों की संख्या।

(ख) 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त मामलों की संख्या।

(ग) 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक निपटाए गए मामलों की संख्या।

(घ) 31 अक्टूबर 2023 तक लंबित मामलों की संख्या।

अनुलग्नक घ – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI प्रश्न

1. कृपया राज्य में निम्नलिखित से संबद्ध 'विधिक सेवा क्लिनिकों' की संख्या उपलब्ध कराएं:
 - क) राज्य में मौजूद 'किशोर न्याय बोर्ड'
 - ख) राज्य में मौजूद 'पर्यवेक्षण गृह'
 - ग) राज्य में मौजूद 'विशेष गृह'
 - घ) राज्य में मौजूद टसुरक्षित स्थान'
2. प्रत्येक JJB के 'विधिक सहायता क्लिनिक' में पैनल अधिवक्ताओं की सूची तथा निम्नलिखित विवरण, निर्धारित प्रारूप में अथवा
3. आपके राज्य में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विधिक सहायता के लाभार्थी बच्चों की संख्या, दिए गए प्रारूप अथवा प्राधिकरण के लिए सुविधाजनक किसी भी प्रारूप में उपलब्ध कराएं।



अनुलग्नक ड: जिलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटार गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटार गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
जिले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
अरुणाचल प्रदेश									
अंजॉ	1	3	1	2	33.3	NP	NP	NP	1
चांगलांग	1	16	11	5	68.8	NP	NP	NP	1
दिबांग घाटी	1	13	13	4	100.0	NP	NP	NP	1
पूर्वी कामेंग	1	36	17	17	47.2	NP	NP	NP	1
पूर्वी सियांग	1	33	23	10	69.7	NP	NP	NP	1
कामले	1	0	0	0	NA	NP	NP	NP	1
क्रा-दादी	1	2	2	0	100.0	NP	NP	NP	1
कुरुंग कुमे	1	0	0	0	NA	NP	NP	NP	1
लेपा राड़ा	1	2	0	2	0.0	NP	NP	NP	1
लोहित	1	37	1	36	2.7	NP	NP	NP	1
लोगडिंग	1	9	7	2	77.8	NP	NP	NP	1
लोअर दिबांग वैली	1	12	0	12	0.0	NP	NP	NP	1
लोअर सियांग	1	4	3	1	75.0	NP	NP	NP	1
लोअर सुबनसिरी	1	16	7	9	43.8	NP	NP	NP	1
नमसाई	1	23	0	23	0.0	NP	NP	NP	1
पक्के केसांग	1	0	0	0	NA	NP	NP	NP	1
पापुम पारे	2	127	20	104	15.7	NP	NP	NP	2
शि-योमी	1	0	0	0	NA	NP	NP	NP	1
सियांग	1	19	18	1	94.7	NP	NP	NP	1
तवांग	1	4	2	2	50.0	NP	NP	NP	1
तिरप	1	7	1	6	14.3	NP	NP	NP	1
अपर सियांग	1	6	1	5	16.7	NP	NP	NP	1
अपर सुबनसिरी	1	60	3	57	5.0	NP	NP	NP	1
पश्चिमी कामेंग	1	38	8	30	21.1	NP	NP	NP	1
पश्चिमी सियांग	1	22	14	8	63.6	NP	NP	NP	1
असम									
बाक्सा	1	88	68	20	77.3	1	88	0	1
बारपेटा	1	150	67	83	44.7	1	150	0	NP
बिस्वनाथ	1	48	5	43	10.4	1	48	0	NP
बोंगाईगांव	1	75	35	40	46.7	1	75	0	NP
कछार	1	179	100	79	55.9	1	179	0	NP
चराइदेव	1	39	16	23	41.0	1	39	1	1
चिरांग	1	60	15	45	25.0	1	60	0	1
दरंग	1	121	67	54	55.4	1	121	0	1
धेमाजी	1	43	23	20	53.5	1	43	1	NP
धुबरी	1	205	32	173	15.6	1	205	1	1
डिब्रूगढ़	1	102	76	26	74.5	1	102	0	1
दीमा हसाओ	1	55	28	27	50.9	0	-	1	1
गोलपाड़ा	1	192	10	182	5.2	0	-	0	NP
गोलाघाट	1	101	48	53	47.5	1	101	0	1
हैलाकांडी	1	66	28	38	42.4	1	66	1	1

अनुलग्नक ड: ज़िलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटारे गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटारे गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
ज़िले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
होसाई	1	116	39	77	33.6	1	116	0	NP
जोरहाट	1	112	60	52	53.6	1	112	1	1
कामरूप अमीगांव (ग्रामीण)	1	128	64	64	50.0	1	128	0	NP
कामरूप महानगरीय	1	107	58	49	54.2	1	107	1	NP
कार्बी आंगलोंग	1	66	26	40	39.4	0	-	0	1
करीमगंज	1	117	37	80	31.6	1	117	1	NP
कोकराझार	1	98	43	55	43.9	1	98	0	1
लखीमपुर	1	93	53	40	57.0	1	93	1	NP
माजुली	1	15	11	4	73.3	1	15	1	1
मोरीगांव	1	179	107	72	59.8	1	179	1	NP
नगांव	1	329	89	240	27.1	1	329	0	NP
नलबाड़ी	1	76	41	35	53.9	1	76	0	NP
शिवसागर	1	51	25	26	49.0	1	51	0	1
सोनितपुर	1	113	49	64	43.4	1	113	0	1
दक्षिण सालमारा-मनकाछर	1	6	2	4	33.3	1	6	0	NP
तिनसुकिया	1	146	67	79	45.9	1	146	1	1
उदलगुरी	1	163	14	149	8.6	1	163	0	NP
गोवा									
दक्षिणी गोवा	1	56	45	11	80.4	NP	NP	0	1
उत्तरी गोवा	1	71	47	24	66.2	NP	NP	1	1
हरियाणा									
अम्बाला	1	242	149	93	61.6	0	-	NP	1
चरखी दादरी	1	47	18	29	38.3	0	-	1	1
फ़रीदाबाद	1	355	211	148	59.4	0	-	1	1
गुरुग्राम	1	582	352	233	60.5	1	582	0	1
झज्जर	1	-	64	101	NA	1	-	0	1
कैथल	1	173	69	71	39.9	0	-	1	1
नरनौल	1	121	45	76	37.2	1	121	1	1
पानीपत	1	333	189	144	56.8	1	333	0	1
हिमाचल प्रदेश									
बिलासपुर	1	84	14	70	16.7	1	84	1	1
चम्बा	1	127	111	16	87.4	1	127	1	1
हमीरपुर	1	53	22	31	41.5	1	53	NP	1
कांगड़ा	1	176	33	143	18.8	1	176	NP	1
किन्नौर	1	43	3	40	7.0	1	43	NP	1
कुल्लू	1	102	24	78	23.5	1	102	NP	1
मंडी	1	137	45	92	32.8	1	137	NP	1
शिमला	1	116	60	56	51.7	2	58	1	1
सिरमौर	1	105	45	60	42.9	1	105	NP	1
सोलन	1	259	158	101	61.0	1	259	0	1
ऊना	1	78	35	43	44.9	2	39	0	1

अनुलग्नक ड: ज़िलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटार गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटार गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
ज़िले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
जम्मू और कश्मीर									
अनंतनाग	1	250	57	219	22.8	NP	NP	NP	1
बंदीपोरा	1	144	29	110	20.1	NP	NP	NP	1
बारामूला	1	486	76	410	15.6	NP	NP	NP	1
बडगाम	1	287	61	226	21.3	NP	NP	NP	NP
डोडा	1	42	9	33	21.4	NP	NP	NP	1
गांदरबल	1	129	42	86	32.6	NP	NP	NP	NP
जम्मू	1	198	117	81	59.1	NP	NP	NP	NP
कठुआ	1	64	34	30	53.1	NP	NP	NP	1
किश्तवाड़	1	22	12	10	54.5	NP	NP	NP	1
कुलगाम	1	210	76	134	36.2	NP	NP	NP	1
कुपवाड़ा	1	190	66	135	34.7	NP	NP	NP	NP
पुंछ	1	56	7	49	12.5	NP	NP	NP	1
पुलवामा	1	207	66	143	31.9	NP	NP	NP	1
राजौरी	1	167	26	141	15.6	NP	NP	NP	1
रामबान	1	30	4	26	13.3	NP	NP	NP	1
रीसी	1	53	8	53	15.1	NP	NP	NP	NP
सांबा	1	36	9	26	25.0	NP	NP	NP	1
शोपियां	1	258	39	222	15.1	NP	NP	NP	1
श्रीनगर	1	438	121	306	27.6	NP	NP	NP	1
उधमपुर	1	92	21	71	22.8	NP	NP	NP	NP
झारखंड									
जामताड़ा	1	72	18	54	25.0	NP	NP	NP	NP
सिमडेगा	1	87	69	18	79.3	NP	NP	NP	NP
लातेहार	1	126	65	63	51.6	NP	NP	NP	NP
दुमका	1	143	48	95	33.6	NP	NP	NP	NP
लोहरदगा	1	218	142	76	65.1	NP	NP	NP	NP
गुमला	1	264	50	214	18.9	NP	NP	NP	NP
हजारीबाग	1	304	143	161	47.0	NP	NP	NP	NP
धनबाद	1	320	147	173	45.9	NP	NP	NP	NP
गिरिडीह	1	358	165	193	46.1	NP	NP	NP	NP
केरल									
अलप्पुझा	1	282	60	222	21.3	0	-	0	NP
एर्नाकुलम	1	420	139	281	33.1	1	420	0	NP
इडुक्की	1	196	42	154	21.4	1	196	0	NP
कन्नूर सिटी	1	409	191	218	46.7	1	409	NP	NP
कसारगोड	1	151	76	75	50.3	1	151	0	NP
कोट्टायम	1	352	129	223	36.6	1	352	1	NP
कोझिकोड	1	440	272	168	61.8	1	440	NP	NP
मलप्पुरम	1	220	128	92	58.2	1	220	0	NP
पालक्कड़	1	232	73	159	31.5	1	232	1	NP

नोट: जम्मू और कश्मीर SLISA ने बताया कि राज्य में 11 विधिक सेवा क्लिनिक हैं, लेकिन ज़िलावार आंकड़े नहीं दिए।

अनुलग्नक डः ज़िलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटाए गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटाए गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
ज़िले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
पथनमथिहट्टा	1	99	17	82	17.2	1	99	1	NP
त्रिशुर	1	306	95	211	31.0	1	306	1	NP
वायनाड	1	163	16	147	9.8	1	163	1	NP
मध्य प्रदेश									
अलीराजपुर	1	395	166	229	42.0	NP	NP	NP	NP
अनूपपुर	1	291	183	108	62.9	1	291	NP	NP
अशोकनगर	1	462	358	104	77.5	NP	NP	NP	NP
बालाघाट	1	322	210	112	65.2	NP	NP	NP	NP
बड़वानी	1	382	246	136	64.4	NP	NP	NP	NP
बैतूल	1	1,810	887	923	49.0	1	1,810	NP	NP
भिंड	1	807	491	316	60.8	NP	NP	NP	NP
भोपाल	1	340	242	98	71.2	NP	NP	NP	NP
बुरहानपुर	1	441	407	34	92.3	NP	NP	NP	NP
छतरपुर	1	652	333	319	51.1	NP	NP	NP	NP
छिंदवाड़ा	1	477	225	252	47.2	NP	NP	NP	NP
दामोह	1	298	205	93	68.8	NP	NP	NP	NP
दतिया	1	355	309	46	87.0	NP	NP	NP	NP
देवास	1	766	485	281	63.3	NP	NP	NP	NP
धार	1	586	439	147	74.9	1	586	NP	NP
डिंडोरी	1	106	56	50	52.8	NP	NP	NP	NP
गुना	1	1,041	323	718	31.0	1	1,041	NP	NP
ग्वालियर	1	1,100	647	453	58.8	NP	NP	NP	NP
हरदा	1	344	207	137	60.2	NP	NP	NP	NP
होशंगाबाद	1	474	62	412	13.1	NP	NP	NP	NP
इंदौर	1	2,077	1,026	1,051	49.4	1	2,077	NP	NP
जबलपुर	1	1,213	715	498	58.9	NP	NP	NP	NP
झाबुआ	1	493	305	188	61.9	NP	NP	NP	NP
कटनी	1	750	275	475	36.7	NP	NP	NP	NP
खंडवा	1	399	279	120	69.9	0	-	NP	NP
खरगौन	1	487	350	137	71.9	NP	NP	NP	NP
मंडला	1	150	65	85	43.3	NP	NP	NP	NP
मंदसौर	1	384	223	161	58.1	NP	NP	NP	NP
मुरैना	1	1,234	677	557	54.9	NP	NP	NP	NP
नर्मदापुरम	1	109	72	37	66.1	NP	NP	NP	NP
नरसिंहपुर	1	328	174	154	53.0	NP	NP	NP	NP
नीमच	1	308	46	262	14.9	NP	NP	NP	NP
पन्ना	1	378	192	186	50.8	NP	NP	NP	NP
रायसेन	1	484	279	205	57.6	NP	NP	NP	NP
राजगढ़	1	605	302	303	49.9	NP	NP	NP	NP
रतलाम	1	1,244	373	871	30.0	NP	NP	NP	NP
रीवा	1	1,239	775	464	62.6	NP	NP	NP	NP
सागर	1	1,301	234	1,067	18.0	NP	NP	NP	NP

नोट: मध्य प्रदेश SLISA ने जवाब दिया कि राज्य में 50 विधिक सेवा क्लिनिक हैं, लेकिन ज़िलावार जानकारी नहीं दी।

अनुलग्नक ड: जिलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटार गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटार गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
जिले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
सतना	1	1,054	573	481	54.4	NP	NP	NP	NP
सीहोर	1	397	78	319	19.6	NP	NP	NP	NP
सिवनी	1	199	138	61	69.3	NP	NP	NP	NP
शहडोल	1	452	341	111	75.4	NP	NP	NP	NP
शाजापुर	1	539	327	212	60.7	NP	NP	NP	NP
श्योपुर	1	98	0	98	0.0	NP	NP	NP	NP
शिवपुरी	1	577	266	311	46.1	NP	NP	NP	NP
सिद्धी	1	304	167	137	54.9	NP	NP	NP	NP
सिंगरौली	1	553	331	222	59.9	NP	NP	NP	NP
टीकमगढ़	1	541	191	350	35.3	NP	NP	NP	NP
उज्जैन	1	1,575	361	1,214	22.9	NP	NP	NP	NP
उमरिया	1	252	109	143	43.3	NP	NP	NP	NP
विदिशा	1	1,100	859	241	78.1	1	1,100	NP	NP
मेघालय									
पूर्वी गारो हिल्स	1	19	4	7	21.1	1	19	NP	1
पूर्वी जांटिया हिल्स	1	40	13	27	32.5	1	40	NP	1
पूर्वी खासी हिल्स	1	189	26	155	13.8	1	189	NP	1
पूर्वी-पश्चिमी खासी हिल्स	1	0	0	0	NA	0	-	NP	NP
उत्तरी गारो हिल्स	1	13	2	11	15.4	1	13	NP	1
री भोई	1	39	14	23	35.9	0	-	NP	1
दक्षिणी गारो हिल्स	1	12	5	5	41.7	1	12	NP	1
दक्षिण-पश्चिमी गारो हिल्स	1	17	11	6	64.7	1	17	NP	1
दक्षिण-पश्चिमी खासी हिल्स	1	6	5	1	83.3	1	6	NP	1
पश्चिमी गारो हिल्स	1	61	29	32	47.5	1	61	NP	1
पश्चिमी जांटिया हिल्स	1	30	8	22	26.7	1	30	NP	1
पश्चिमी खासी हिल्स	1	35	8	21	22.9	1	35	NP	1
मिज़ोरम									
आईजोल	1	134	110	24	82.1	1	134	1	1
चम्फाई	1	36	25	11	69.4	1	36	1	1
हनाहथियाल	1	5	3	2	60.0	1	5	1	1
खवजावल	1	15	3	12	20.0	1	15	1	1
कोलासिब	1	44	41	3	93.2	1	44	1	1
लांगटलाई	1	8	5	3	62.5	1	8	1	1
लुंगलेई	1	33	27	6	81.8	1	33	1	1
ममित	1	21	19	2	90.5	1	21	1	1
साइहा	1	6	4	2	66.7	1	6	1	1
सैतुअल	1	8	6	2	75.0	1	8	1	1
सेरछिप	1	19	17	2	89.5	1	19	1	1

2 यह जिला 2021 में बना, जो अब 12 वां जिला है।

अनुलग्नक डः ज़िलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटाए गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटाए गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
ज़िले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
नगालैंड									
चुमौकेडिमा	1	0	0	0	NA	-	-	0	NP
दीमापुर	1	19	9	6	47.4	1	19	0	1
किफ़िरे	1	0	0	1	NA	1	0	0	1
कोहिमा	1	17	8	7	47.1	1	17	0	1
लोंगलेंग	1	1	0	0	0.0	1	1	0	1
मोकोकचुंग	1	2	0	1	0.0	1	2	0	1
मॉन	1	5	5	0	100.0	1	5	0	1
नियूलैंड	1	0	0	0	NA	-	-	0	NP
नोकलाक	1	0	0	0	NA	-	-	0	NP
पेरन	1	0	0	0	NA	1	0	0	NP
फेक	1	2	0	0	0.0	1	2	0	1
शमाटोर	1	0	0	0	NA	-	-	0	NP
ट्सेमिन्यु	1	0	0	0	NA	-	-	0	1
टुएंसांग	1	4	6	0	150.0	1	4	0	1
वोखा	1	0	0	0	NA	1	0	0	1
जुन्हेबोटो	1	0	0	1	NA	1	0	0	1
ओडिशा									
अंगुल	1	428	85	343	19.9	1	428	1	1
बलांगीर	1	390	61	329	15.6	1	390	1	1
बालासोर	1	311	48	263	15.4	1	311	1	1
बरगढ़	1	432	87	345	20.1	1	432	1	1
भद्रक	1	210	20	190	9.5	1	210	1	1
बौध	1	53	22	31	41.5	1	53	1	1
कटक	1	607	64	543	10.5	1	607	1	1
देवघर	1	67	15	52	22.4	1	67	1	1
ढेंकानाल	1	179	49	130	27.4	1	179	1	1
गंजम 1	1	95	48	47	50.5	1	95	1	1
गंजम 2	1	259	89	170	34.4	1	259	1	1
जगतसिंहपुर	1	456	122	334	26.8				
जजपुर	1	92	57	35	62.0	1	92	1	1
झारसुगुड़ा	1	350	37	313	10.6	1	350	1	1
कालाहांडी	1	467	57	410	12.2	1	467	1	1
कंधमाल	1	222	34	188	15.3	1	222	1	1
केंद्रपाड़ा	1	148	55	93	37.2	1	148	1	1
गजपति	1	224	32	192	14.3	1	224	1	1
क्योंझर	1	269	62	207	23.0	1	269	1	1
खोरधा 2 JJB	2	998	81	917	8.1	1	998	1	1
कोरापुट	1	661	55	606	8.3	1	661	1	1
मलकानगिरी	1	173	54	119	31.2	1	173	1	1
मयूरभंज	1	391	76	315	19.4	1	391	1	1
नबरंगपुर	1	165	54	111	32.7	1	165	1	1

अनुलग्नक ड: जिलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटार गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटार गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
जिले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
नयागढ़	1	140	74	66	52.9	1	140	1	1
नुआपाड़ा	1	53	18	35	34.0	1	53	1	1
पुरी	1	634	84	550	13.2	1	634	1	1
रायगढ़	1	158	70	88	44.3	1	158	1	1
संबलपुर 2 JJB	2	1,149	148	1,001	12.9	1	1,149	1	1
सुवर्णपुर	1	106	34	72	32.1	1	106	1	1
सुंदरगढ़ 2 JJB	2	1,479	189	889	12.8	1	1,479	1	1
राजस्थान									
अलवर	1	701	216	485	30.8	NP	NP	NP	1
भरतपुर	1	819	408	376	49.8	NP	NP	NP	1
भीलवाड़ा	1	439	140	299	31.9	NP	NP	NP	1
बूंदी	1	494	191	278	38.7	NP	NP	NP	1
चित्तौड़गढ़	1	422	180	242	42.7	NP	NP	NP	1
चुरु	1	285	188	97	66.0	NP	NP	NP	1
दौसा	1	359	195	173	54.3	NP	NP	NP	1
हनुमानगढ़	1	341	120	221	35.2	NP	NP	NP	1
जालोर	1	185	75	110	40.5	NP	NP	NP	1
झालावाड़	1	698	434	264	62.2	NP	NP	NP	1
कोटा	1	1,375	686	689	49.9	NP	NP	NP	1
राजसमंद	1	194	114	80	58.8	NP	NP	NP	1
सिरोही	1	132	79	53	59.8	NP	NP	NP	1
टोंक	1	597	446	151	74.7	NP	NP	NP	1
उदयपुर	1	1,157	576	581	49.8	NP	NP	NP	1
सिक्किम									
पूर्वी सिक्किम (गंगटोक)	1	36	27	9	75.0	1	36	1	1
उत्तरी सिक्किम (गनगन)	1	7	1	4	14.3	1	7	1	1
दक्षिणी सिक्किम (नामची)	1	6	2	4	33.3	1	6	1	NP
पश्चिम सिक्किम	1	19	16	3	84.2	1	19	1	NP
त्रिपुरा									
धलाइ	1	19	11	8	57.9	1	19	1	NP
गोमती	1	28	8	20	28.6	1	28	1	1
खोवाई	1	25	16	9	64.0	1	25	1	1
उत्तरी त्रिपुरा	1	31	7	24	22.6	1	31	1	NP
सेपाहिजिला	1	56	19	37	33.9	1	56	1	NP
दक्षिण त्रिपुरा	1	14	3	13	21.4	0	-	1	NP
पश्चिम त्रिपुरा	1	28	10	18	35.7	1	28	1	1
उनाकोटी	1	59	24	35	40.7	0	-	1	1

अनुलग्नक डः ज़िलावार आंकड़े

	JJB	केस, 2022-23			निपटाए गए केसों का प्रतिशत (%)	LCPO	LCPO कार्यभार	विधिक सेवा क्लिनिक	SJPU
		कुल	अक्टूबर 2023 तक निपटाए गए केस	अक्टूबर 2023 तक लंबित केस					
ज़िले		क	ख	क-ख	ख/कx100				
उत्तराखंड									
अल्मोड़ा	1	36	30	6	83.3	NP	NP	1	1
बागेश्वर	1	25	22	3	88.0	NP	NP	NP	1
चमोली	1	28	17	2	60.7	NP	NP	1	1
नैनीताल	1	276	111	165	40.2	NP	NP	1	1
पौड़ी गढ़वाल	1	64	59	5	92.2	NP	NP	1	1
पिथौरागढ़	1	56	54	2	96.4	NP	NP	1	1
रुद्रप्रयाग	1	2	1	1	50.0	NP	NP	NP	1
टिहरी गढ़वाल	1	15	26	1	173.3	NP	NP	NP	1
उधम सिंह नगर	1	478	402	176	84.1	NP	NP	NP	1
पश्चिम बंगाल									
कूचबिहार	1	578	163	415	28.2	1	578	1	1
दक्षिण दिनाजपुर	1	432	72	360	16.7	0	-	NP	1
हुगली	1	613	100	513	16.3	1	613	NP	NP
हावड़ा	1	830	152	678	18.3	1	830	1	1
जलपाईगुड़ी	1	1,390	818	571	58.8	1	1,390	NP	1
कलिम्पोंग	1	40	20	20	50.0	1	40	1	1
मुर्शिदाबाद	1	1,639	237	1,402	14.5	1	1,639	1	1
नादिया	1	755	316	439	41.9	1	755	1	NP
पश्चिम बर्धमान	1	226	50	176	22.1	1	226	NP	NP
पश्चिम मिदनापुर	1	581	114	383	19.6	1	581	1	1
पूर्व बर्धमान	1	537	50	338	9.3	1	537	1	NP
पूर्व मेदिनीपुर	1	398	146	252	36.7	1	398	1	1

संदर्भ

परिचय

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. शीला बरसे और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [रिट याचिका (फौजदारी) संख्या 1451/1985]. आदेश इस लिंक पर उपलब्ध: <https://api.sci.gov.in/jonew/judis/8969.pdf>
4. सम्पूर्णा बेहुरा बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 473/2005].
5. अनाथालयों में बच्चों के शोषण संबंधी विषय: तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ और अन्य [रिट याचिका (फौजदारी) संख्या 102/2007], 5 मई 2017 के आदेश सहित। आदेश इस लिंक पर उपलब्ध: <https://api.sci.gov.in/jonew/ropor/rop/all/932242.pdf>
6. राज्यसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1270, दिनांक 13 दिसम्बर 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/annex/262/AU1270.pdf?source=pqars>
7. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), बाल देखरेख संस्थानों (CCI) का सामाजिक लेखा-परीक्षण। इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncpcr.gov.in/uploads/167145198563a05551c7b75_national-report-social-audit-of-ccis.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू और अन्य [2022] CrI. No.950/2022.
4. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2023'। 'बाल न्याय अधिनियम, 2015' की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने हेतु दिशानिर्देश। इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncpcr.gov.in/uploads/16813797786437d1c2bea2a_guidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf

पुलिस

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) (ई). इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2056/1/200604.pdf>
4. कर्नाटक सरकार, सरकारी आदेश संख्या HD 20 PCC 2021, दिनांक 29 जून, 2021। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.makkalahakku.com/main-control/uploads/SENIOR-SJPU%20ORDERS.pdf>
5. तेलंगाना उच्च न्यायालय, मार्च 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://tshc.gov.in/documents/2024_06_24T04_57_27_SJPUs.pdf
6. Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, as of January 2025. The document also

संरचना और प्रक्रिया

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf

- lists SJPU set up in three railway districts - Bhopal, Jabalpur and Indore - in addition to 55 districts. Available at: https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/JUVENILE%20JUSTICE%20STAKEHOLDERS/6.%20Special%20Juvenile%20Police%20Units.pdf
7. किशोर न्याय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourt.cg.gov.in/jj/sjpu.htm>
 8. गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्ष 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://gujarat.nalsa.gov.in/en/juvenile-justice-committee/>
 9. 2023 तक के आंकड़े। इसके बाद किशोर न्याय इकाई की वेबसाइट पर 204 पुलिस स्टेशन और 422 बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची अपडेट की गई है। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://spuwac.in/dpju2/sjpus.html>
 10. 'किशोर न्याय समिति', छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यूजलेटर 'नविचेतन' से प्राप्त आंकड़े (2023 तक के)। इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf
 11. किशोर न्याय समिति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, वर्ष 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://aphc.gov.in/juvenile_docs/Special_Juvenile_Police_Officers_help_desk.pdf
 12. किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, वर्ष 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jjmc/>
 13. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्ष 2020 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jhalsa.org/pdfs/juvenile/Table_JJB_jun2020.pdf
 14. राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2076, दिनांक 31 मार्च 2021 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/annex/254/AU2076.pdf?source=pqars>
 15. महिला एवं बाल विकास विभाग, जुलाई 2021 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://mahilakalyan.up.nic.in/JJB_LIST_Final.pdf
 16. केरल राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://kescpcr.kerala.gov.in/?p=1343>
 17. 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो', 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' 2023.

किशोर न्याय बोर्ड

1. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD), पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2023.
2. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
3. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
4. आंध्र प्रदेश सरकार, किशोर कल्याण, सुधारात्मक सेवाएं और बेघर बच्चों का कल्याण विभाग, 4 अप्रैल 2025। इस लिंक पर उपलब्ध: https://wdcw.ap.gov.in/dept_files/Notification.pdf
5. किशोर न्याय समिति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिसंबर 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://aphc.gov.in/aphc_old/juvenile_docs/HELPDESK_JJBs.pdf
6. तेलंगाना राज्य के 'किशोर न्याय बोर्डों' की सूची, तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मई 2025। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://tslsa.telangana.gov.in/pdf/JuvenileTh%20Justice%20Boards%20in%20the%20State%20of%20Telangana.pdf>
7. किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://mphc.gov.in/jjc/ivth-quarter-2022>

8. किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय, मई 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://patnahighcourt.gov.in/jjs/>
9. गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://gujarat.nalsa.gov.in/en/juvenile-justice-committee/>
10. किशोर न्याय निगरानी समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://highcourtchd.gov.in/jjmc/?trs=cl>
11. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्ष 2020 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jhalsa.org/pdfs/juvenile/Table_JJB_jun2020.pdf
12. राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2076, दिनांक 31 मार्च 2021 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/annex/254/AU2076.pdf?source=pqars>
13. महिला एवं बाल विकास विभाग, जुलाई 2021 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://mahilakalyan.up.nic.in/JJB_LIST_Final.pdf
14. बाल संरक्षण निदेशालय, वर्ष 2021 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://icps.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/JJB%20Memebrs%20list.pdf>
15. राजस्थान के मामलों के कार्यभार संबंधी आंकड़े 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच के हैं, जो बाल अधिकार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/OrderEntry/SJED/2025/Annual_Progress_Report/O_160425_9855fc0e-bd99-45e2-b2a1-70518e6b2a09.pdf
16. बिहार ने मामलों के बोझ पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए हम इसका आकलन नहीं कर सके। "बिहार के JJBs में 2022 में लंबित मामले और निपटारे की स्थिति दर्शाने वाला समेकित चार्ट" नामक दस्तावेज़ में राज्य के 37 JJBs के

समक्ष कुल 3.7 लाख से अधिक मामलों के बोझ और जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच 3.62 लाख मामलों की लंबित स्थिति का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस दस्तावेज़ के मूल स्रोत की पुष्टि नहीं की जा सकी। दस्तावेज़ इस लिंक पर उपलब्ध: <https://patnahighcourt.gov.in/jjs/PDF/UPLOADED/250.PDF>

17. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किशोर न्याय प्रकोष्ठ के आंकड़े। नवचेतन- एक नई शुरुआत, खंड 2/JJC/2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf

कानूनी सहायता

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियमन 2011 का नियम 3। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://nalsa.gov.in/regulations/>
4. 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण', अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान मौजूद 'विधिक सेवा क्लिनिकों' की संख्या। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/06/202506121393486667.pdf>
5. 'नालसा' (बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल-मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना, 2015 का नियम 10, इस लिंक पर उपलब्ध: https://palsa.punjab.gov.in/media/documents/NALSA_Child_Friendly_Scheme.pdf
6. 'नालसा' (बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल-मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना, 2015 का नियम 5, इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/202504081834821576.pdf>

7. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली सरकार (GNCTD), आदेश संदर्भ संख्या F4 (JJ2)/1/DCPCR/2021-22/SM/16612-628, दिनांक 3 जनवरी 2022. आदेश इस लिंक पर उपलब्ध: <https://drive.google.com/file/d/1J5AIHRkSz6kWoYQadCB2ee3867-lqXSy/view>
8. “बच्चों को प्रभावी विधिक सहायता नहीं मिल रही है”: दिल्ली के किशोर गृहों का मूल्यांकन करने हेतु DCPCR पैनल के प्रमुख होंगे न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, बार एंड बेंच, 6 जनवरी 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://www.barandbench.com/news/litigation/justice-madan-lokur-to-head-dcpcr-panel-to-assess-delhi-juvenile-homes>
9. “क्या बच्चों को विधिक सहायता मिल रही है? पैनल करेगा जांच”, द इंडियन एक्सप्रेस, 6 जनवरी 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://indianexpress.com/article/cities/delhi/are-children-getting-legal-aid-panel-to-find->

बाल देखरेख संस्थान

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. अध्याय 3, 'संस्थागत सेवाएं', मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश 2022। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf>
4. लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4264, दिनांक 20 दिसंबर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqals

6. अध्याय 5, 'अभिसरण', मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश 2022.

परिवीक्षा

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015.

इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf

2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3, 4 और 6। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15408/1/the_probation_of_offenders_act%2C_1958.pdf

निरीक्षण और निगरानी

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. अध्याय 2, कार्यान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा। DCPU में कर्तव्यधारकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां, मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf>
4. लोकसभा के 20 दिसंबर, 2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4264 से लिए गए हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4264_iuNtpB.pdf?source=pqas

किशोर न्याय बजट

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf
2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल न्याय प्रणाली की स्थिति - संरचनाएं, तंत्र और प्रक्रियाएं, 2019। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408568184710.pdf>
4. 'महिला एवं बाल विकास विभाग'। 'बालनिधि'। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://balanidhi.kerala.gov.in/>
5. किशोर न्याय समिति, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर। नविचेतन - एक नई शुरुआत। खंड 2/JJC/2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf
6. नियम 3, 'गोवा किशोर न्याय कोष नियमावली, 2003'। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://goaprintingpress.gov.in/downloads/2324/2324-22-SI-OG-0.pdf>
7. पैरा 1, 'ओडिशा किशोर न्याय कोष प्रबंधन दिशानिर्देश' का मसौदा, 'महिला एवं बाल विकास विभाग' और 'मिशन शक्ति', 'ओडिशा राज्य बाल संरक्षण समिति'। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://iacn.in/wp-content/uploads/2025/01/Odisha-Guidelines-for-Management-of-Juvenile-Justice-Fund.pdf>
8. नियम 3, 'तमिलनाडु किशोर न्याय कोष नियमावली', 2017। इस लिंक पर उपलब्ध: https://courtbook.in/act/664c7c82ad9dd371756ee71f_jj_fund_rules_2_iii_1a.pdf
9. पैरा 6, [G.O.Ms.No.4](#), 4 मई, 2018, 'महिला, बाल, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक विभाग', तेलंगाना सरकार। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://wdcw.tg.nic.in/Notification/G.O.Ms.No.4%20JJ%20Fund.PDF>
10. 'उच्च जोखिम वाले युवा, गरीबी के चक्र में फंसे जाते हैं': राजस्थान हाई कोर्ट ने PIL में बच्चों के 'संरक्षण गृह' छोड़ने के बाद CCLs द्वारा सामना की गई कठिनाइयों का मुद्दा उठाया, लाइव लॉ, 2 जून 2025। इस लिंक पर उपलब्ध: [https://www.livelaw.in/high-court/rajasthan-high-court/rajasthan-high-](https://www.livelaw.in/high-court/rajasthan-high-court/rajasthan-high-court-hearing-suo-motu-pil-government-aid-child-care-institutions-294016)
- [court-hearing-suo-motu-pil-government-aid-child-care-institutions-294016](https://www.livelaw.in/high-court/rajasthan-high-court/rajasthan-high-court-hearing-suo-motu-pil-government-aid-child-care-institutions-294016)
11. राजेश कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार NCT) और अन्य (W.P.(CRL) 1361/2021) दिनांक 22 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.livelaw.in/pdf_upload/smp28092022crlw13612021183002-437058.pdf
12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल न्याय प्रणाली की स्थिति- संरचनाएं, तंत्र और प्रक्रियाएं, 2019। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408568184710.pdf>
13. नविचेतन, न्यूज़लेटर अंक- 2/JJC/2023, किशोर न्याय समिति, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर। इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourt.cg.gov.in/jj/ebook/Newsletter_Volume_2.pdf
14. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 'किशोर न्याय कोष' में दान करने के लिए खाते का विवरण देता है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://jhalsa.org/juvenile_justice.php
15. किशोर न्याय समिति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इस लिंक पर उपलब्ध: https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/PDF/publication/Madhya%20Pradesh%20Juvenile%20Justice%20Fund%20Rules,%202023.pdf
16. पैरा 6, [G.O.Ms.No.4](#), 4 मई, 2018, महिला, बाल, विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक विभाग, तेलंगाना सरकार। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://wdcw.tg.nic.in/Notification/G.O.Ms.No.4%20JJ%20Fund.PDF>
17. त्रिपुरा सरकार, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा निदेशालय। इस लिंक पर उपलब्ध: https://socialwelfare.tripura.gov.in/about_us
18. उत्तराखंड बजट, खंड 5 (शीर्षवार विवरण भाग-2), 2023-24 और 2024-25. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408568184710.pdf>

s3waas.gov.in/s3c65d7bd70fe3e5e3a2f3de681edc193d/uploads/2025/01/20250117202061198.pdf और <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c65d7bd70fe3e5e3a2f3de681edc193d/uploads/2025/01/202501171700995134.pdf>

19. पश्चिम बंगाल किशोर न्याय निधि हेतु संचालन दिशा-निर्देश, अधिसूचना संख्या 5410/(37), दिनांक 3 नवम्बर 2015, महिला एवं बाल विकास विभाग। इस लिंक पर उपलब्ध: <http://wbscps.in/link/pdf/guideline/Operational%20Guideline%20for%20WBjj%20Fund.pdf>

सूचनाओं तक पहुंच और आंकड़े

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/JJAct_2015.pdf

2. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cara.wcd.gov.in/PDF/english%20model%20rule.pdf>
3. गुजरात सूचना का अधिकार, अधिसूचना संख्या SB.1/102001/8203/goi-62, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025, गृह विभाग, सचिवालय, गांधीनगर। इस लिंक पर उपलब्ध: https://dfs.gujarat.gov.in/Upload/dfs_act_060422.pdf
4. विनुभाई हरिभाई पटेल (मालविया) बनाम सहायक आयकर आयुक्त मामले में अदालत का फैसला, दिनांक 27 जनवरी 2021 [R/लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1169/2016]
5. गुजरात सूचना का अधिकार, अधिसूचना संख्या SB.1/102001/8203/goi-62, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025, गृह विभाग, सचिवालय, गांधीनगर। इस लिंक पर उपलब्ध: https://dfs.gujarat.gov.in/Upload/dfs_act_060422.pdf



चित्रों की सूची

पुलिस

चित्र 5.1: फ्रंटलाइन एजेंसी- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)	36
चित्र 5.2 - SJPU का गठन: महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी और रिक्त पद	37
चित्र 5.3: पुलिस स्टेशनों में महिला CWPO की हिस्सेदारी	37

किशोर न्याय बोर्ड

चित्र 5.4: बिना किशोर न्याय बोर्ड वाले ज़िले (2023-2024 तक)	39
चित्र 5.5: JJB की पूरे देश में मौजूदगी	40
चित्र 5.6: JJB में रिक्तियां	41
चित्र 5.7: किशोर न्याय बोर्ड में महिला सामाजिक कार्यकर्ता	42
चित्र 5.8: 2022-23 में किशोर न्याय बोर्डों का कुल कार्यभार	43

क्रानूनी सहायता

चित्र 5.9: JJB से संबद्ध विधिक सेवा क्लिनिक	45
चित्र 5.10: - राज्यों द्वारा प्रदान की गई क्रानूनी सहायता और सेवाओं के लाभार्थी (2022-23)	47

बाल देखरेख संस्थान

चित्र 5.11: विधि विवादित बच्चे और संस्थानीकरण (2024)	51
चित्र 5.12: विधि विवादित बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्थानों में उपलब्ध कर्मचारी	53

परिवीक्षा

चित्र 5.13: विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी एवं उनका कार्यभार (2022-23)	56
--	----

निरीक्षण और निगरानी

चित्र 5.14: JJB द्वारा CCI का निरीक्षण	58
चित्र 5.15: DCPO के फ़ील्ड दौरे	59

किशोर न्याय बजट

चित्र 5.16: राज्य के बजट दस्तावेजों में JJ फंड का आवंटन और उपयोग (2023-24 और 2024-25)	61
चित्र 5.17: किशोर न्याय कोष की स्थिति और किशोर न्याय कोष नियमावली	63

292 ज़िलों की कहानी

चित्र 6.1: किशोर न्याय संस्थानों में RTI की जवाबदेही और क्षमता में अनेक कमियां	65
चित्र 6.2: ज़िलावार कार्यभार	66
चित्र 6.3: ज़िलावार केसों का निपटारा	67
चित्र 6.4 JJB में विधिक सेवा क्लिनिक	69
चित्र 6.5 बाल देखरेख संस्थान	70

सूचनाओं तक पहुंच और आंकड़े

चित्र 7.1: राज्यवार RTI का जवाब	78
---------------------------------	----

किशोर न्याय अध्ययन के बारे में

किशोर न्याय व्यवस्था के इस अध्ययन में यह मूल्यांकन किया गया है कि 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015' के तहत राज्य 'विधि विवादित बच्चों' (CCL) के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किस हद तक तैयार हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से संसद में दिए गए जवाबों और एक वर्ष तक विभिन्न राज्यों से पूछे गए RTI के उत्तरों पर आधारित है। इस अध्ययन में 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB), 'बाल देखरेख संस्थान' (CCI), 'विशेष किशोर पुलिस इकाइयों' (SPJU) और 'ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) जैसे प्रमुख संस्थानों की क्षमता का विश्लेषण किया गया है। सभी संस्थानों में यह क्षमता चार प्रमुख मानकों- आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, बजट और विविधता के संदर्भ में आंकी गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) का यह अध्ययन बिखरे हुए आंकड़ों को एक स्थान पर संकलित करके नीति निर्माताओं, सक्रिय नागरिकों और हितधारकों को बहुमूल्य उपकरण प्रदान करता है, जिससे वे व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और उसके समग्र कामकाज में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठा सकते हैं।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े जानने और अधिक इस्तेमाल के लिए

<https://indiajusticereport.org> पर क्लिक करें।

ईमेल आईडी: indiajusticereport@gmail.com फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403

पार्टनर्स

डिज़ाइन



डोनर्स



TATA TRUSTS

Cyrus
Guzder

J.T. Pathak
Trust



Ravi
Venkatesan

Tree of Life
Foundation

